

## कार्यपालिक सारांश

<p>इस अध्याय में हमने क्या मुख्यांकित किया है</p>	<p>इस अध्याय में हमने "वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली" पर एक समीक्षा एवं ₹ 149.94 करोड़ के निदर्शी मामले दर्शाये गये हैं। यह हमारे अभिलेखों की नमूना जाँच में पाए गए प्रेक्षणों से लिए गए हैं व वैट के कम आरोपण प्रवेश कर का कम/अनारोपण अर्थदण्ड के अनारोपण, घोषणा प्रपत्रों पर अनियमिता के कारण कम करारोपण एवं कर की दर के त्रुटिपूर्ण आरोपण से सम्बन्धित है।</p>
<p>कर संग्रहण में वृद्धि/कमी</p>	<p>पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों में ₹ 1762.82 करोड़ की वृद्धि (5.32 प्रतिशत) हुई विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के विरुद्ध ₹ 3622.52 करोड़ (9.4 प्रतिशत) कम थीं।</p>
<p>प्रवर्तन शाखा की कमजोर कार्य प्रणाली</p>	<p>विभाग की प्रवर्तन शाखा (प्र0शा0) में सचल दल (स0द0) इकाइयाँ और विशेष अनुसंधान शाखाएँ (वि0अनु0शा0) शामिल हैं। हमने प्र0शा0 की कार्यप्रणाली में अनेक कमियाँ देखी, जो कि "वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" की समीक्षा में चित्रित हैं।</p>
<p>निरीक्षण प्रतिवेदनों 2012-13 के अनुपालन की स्थिति</p>	<p>हमने वर्ष 2012-13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यालयों में 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों के कर निर्धारण एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं गलत कर की दर और त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण का अनारोपण/कम आरोपण, प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण त्रुटिपूर्ण कर मुक्ति आदि के ₹ 778.39 करोड़ के 3589 मामले पाये। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के ₹ 2.94 करोड़ के 438 मामले स्वीकार किए। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसूली की।</p>
<p>हमारा निष्कर्ष</p>	<p>विभाग को प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है जिससे हमारे द्वारा पायी गई कमियों एवं प्रणालीगत कमजोरियों से भविष्य में बचा जा सके।</p> <p>हमारे द्वारा इंगित कर के अनारोपण/कम आरोपण, घोषणापत्रों पर त्रुटिपूर्ण आरोपण आदि के मामलों पर, विशेषकर उन मामलों में, जिनमें हमारे प्रेक्षण को स्वीकार किया गया है की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही के पहल की भी आवश्यकता है।</p>

## अध्याय-II बिक्री, व्यापार आदि पर कर

### 2.1 कर प्रशासन

व्यापार कर (व्या०क०) राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है (दिसम्बर 2007 के पश्चात इसे वाणिज्य कर के रूप में जाना गया) जो कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 58,098.36 करोड़) के 60 प्रतिशत (₹ 34,870.16 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। वाणिज्य कर का आरोपण 31 दिसम्बर 2007 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (उ०प्र०व्या०क० अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम 2008 (उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम) 1 जनवरी 2008 से प्रभावी, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। प्रवेश कर का आरोपण उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के प्रावधानों और तत्पश्चात बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर के आरोपण का विनियमन केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (के०बि०क० अधि०) के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण कमिश्नर वाणिज्य कर (क०वा०क०) उत्तर प्रदेश में निहित है, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है। उनकी सहायता 104 एडीशनल कमिश्नरों, 157 ज्वाण्ट कमिश्नरों, ज्वा०क० 494 डिप्टी कमिश्नरों (डि०क०) 964 असिस्टेन्ट कमिश्नरों एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारियों (वा०क०अ०) द्वारा की जाती है।

### 2.2 प्राप्तियों का रुझान

विगत वर्षों 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ ही उसी अवधि में व्यापार कर/वैट की वास्तविक प्राप्तियों का विवरण सारणी क्रमांक 2.1 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक व्या०क०/मू०सं०क० का प्रतिशत
2008-09	19,705.00	17,482.05	(-) 2,222.95	(-) 11.28	28,658.97	61.00
2009-10	20,741.27	20,825.18	(+) 83.91	0.40	33,877.60	61.47
2010-11	26,978.34	24,836.52	(-) 2,141.82	(-) 7.94	41,355.00	60.06
2011-12	32,000.00	33,107.34	(+) 1,107.34	3.46	52,613.43	62.93
2012-13	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-) 9.41	58,098.36	60.02

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित लेखे।

2012-13 में बिक्री, व्यापार आदि से संग्रह में गत वर्ष की तुलना में 5.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर का विस्तार (-) 11.28 प्रतिशत एवं 3.46 के मध्य रहा।

विभाग ने बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता के विशिष्ट कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार बजट अनुमानों को यथार्थ बनाने का प्रयत्न करे जिससे अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता कम हो सकें।

## 2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को ₹ 22,850.53 करोड़ का राजस्व बकाया था, जिसमें से ₹ 14,256.01 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लंबित राजस्व बकाए का विवरण सारणी क्रमांक 2.2 में दिखाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक रहतिया	बकाया का अंतिम रहतिया
2008-09	11,081.94	15,389.85
2009-10	15,389.85	16,453.30
2010-11	16,453.30	16,665.41
2011-12	16,665.41	18,960.28
2012-13	18,960.28	22,850.53

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

31 मार्च 2013 को बकाया ₹ 22,850.53 करोड़ के बारे में विभाग ने बताया कि ₹ 1,730.04 करोड़ के भू राजस्व के बकाए की वसूली के लिए प्रमाणित माँग पत्र निर्गत किए गए, ₹ 4,566.12 करोड़ न्यायालय एवं शासन द्वारा स्थगित किए गए थे, ₹ 489.86 करोड़ की बकाया की वसूली सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों से थी। ₹ 1,166.26 करोड़ की वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों से सम्बन्धित थे, राज्य के ट्रान्सपोर्टर्स पर ₹ 51.78 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र थे, ₹ 1579.44 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित है। ₹ 13,267.03 करोड़ के शेष बकाए के मामले में की गई विनिर्दिष्ट कार्रवाई के बारे में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

## 2.4 प्रति व्यापारी बिक्री, व्यापार आदि पर कर की लागत

प्रति व्यापारी वैट पर वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान आयी लागत का विवरण सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.3

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	प्रति व्यापारी लागत (₹ में)
2010-11	5,94,695	24,836.52	391.45	6,582.37
2011-12	6,42,645	33,107.34	440.89	6,860.55
2012-13	7,08,636	34,870.16	416.18	5,872.97

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

## 2.5 कर निर्धारण हेतु बकाए मामले

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार कर निर्धारण के लिए समय सीमा कर अवधि समाप्त होने के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर निर्धारण के मामले, अतिरिक्त मामले जो कि वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु प्राप्त हुए, वर्ष के दौरान निस्तारित मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु अवशेष मामलों का विवरण सारणी क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक रहतिया	कर निर्धारण हेतु प्राप्त मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में बकाया मामले	कालम 4 के सापेक्ष कौलम 6 का प्रतिशत
2008-09	9,38,667	5,33,358	14,72,025	9,50,313	5,21,712	35.44
2009-10	5,21,712	1,83,378	7,05,090	6,92,704	12,386	1.76
2010-11	12,386	5,44,458	5,56,844	5,50,802	6,042	1.09
2011-12	6,042	6,54,378	6,60,420	4,76,368	1,84,052	27.87
2012-13	1,84,052	4,58,225	6,42,277	4,95,505	1,46,772	22.85

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर निर्धारण हेतु बकाये मामलों का प्रतिशत 1.09 से 35.44 के मध्य है।

विभाग द्वारा बकाए मामलों का कर निर्धारण निर्धारित समय में किया जाना चाहिए।

## 2.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर से सकल संग्रह, संग्रह पर किए गए व्यय और ऐसे व्यय की सकल संग्रह पर प्रतिशतता सकल संग्रह पर किए गए व्यय के सुसंगत पिछले वर्ष की सुसंगत अखिल भारतीय प्रतिशतता को सारणी क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर संग्रह की लागत की प्रतिशतता	पिछले वर्ष की अखिल भारतीय प्रतिशतता
2008-09	17,482.05	272.54	1.56	0.83
2009-10	20,825.18	358.43	1.72	0.88
2010-11	24,836.52	406.65	1.64	0.96
2011-12	33,107.34	440.89	1.33	0.75
2012-13	34,870.16	430.31	1.23	0.83

स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत से अधिक है।

हम शासन से संग्रह लागत कम करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने की संस्तुति करते हैं।

## 2.7 लेखा परीक्षा के प्रभाव

### 2.7.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) के अनुपालन की स्थिति:

हमने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, कर का कम आरोपण/राजस्व हानि, अनियमित छूट, टर्नओवर का छिपाव, कर की गलत दर का लागू किया जाना, गणना की त्रुटि आदि के ₹ 1,560.51 करोड़ के 10,987 मामलों को इंगित किया। इनमें से विभाग/शासन ने 1,843 मामलों में ₹ 17.93 करोड़ की लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा अब तक 732 मामलों में ₹ 2.48 करोड़ की वसूली हो चुकी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकार की गई धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2007-08	489	1,210	1,191.14	124	0.51	114	0.46
2008-09	591	1,967	64.65	202	5.60	128	0.68
2009-10	685	2,711	77.32	559	7.13	112	0.36
2010-11	892	2,648	94.73	436	1.63	148	0.53
2011-12	615	2,451	132.67	522	3.06	230	0.45
<b>योग</b>	<b>3,272</b>	<b>10,987</b>	<b>1,560.51</b>	<b>1,843</b>	<b>17.93</b>	<b>732</b>	<b>2.48</b>

### 2.7.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13):

वर्ष 2012-13 के दौरान 616 वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण और अन्य अभिलेखों के 1,17,213 मामलों में से 54,141 मामलों की नमूना जाँच में कर का अनारोपण/कम आरोपण और अन्य अनियमितताओं के ₹ 778.39 करोड़ के 3,589

मामले पाए गए, जो निम्नखिलित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं और जिन्हें सारणी क्रमांक 2.7 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.7

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली (एक समीक्षा)	1	73.20
2.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण कम आरोपण	711	75.47
3.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	334	54.67
4.	अनियमित कर मुक्ति का दिया जाना	326	18.45
5.	माल की दर का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	301	8.50
6.	माल का गलत वर्गीकरण	4	0.08
7.	केन्द्रीय बिक्री कर से सम्बन्धित अनियमितताएँ	56	3.21
8.	गणना की त्रुटि	14	16.96
9.	टर्नओवर पर कर लगने से छूट जाना	11	0.09
10.	अन्य अनियमितताएँ	1,831	527.76
	<b>योग</b>	<b>3,589</b>	<b>778.39</b>

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 438 मामलों में ₹ 2.94 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 8,000 का एक मामला वर्ष 2012-13 में इंगित किया गया था तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 316 मामलों में ₹ 89.26 लाख की वसूली की।

“वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली” पर एक समीक्षा एवं कुछ निदर्शी मामले जिनमें कि ₹ 149.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है, अनुवर्ती प्रस्तारों में वर्णित हैं।

## 2.8 वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली

### प्रमुख अंश

- वर्ष 2009 से कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने के बावजूद नीतियाँ, नियम एवं कार्यविधियाँ अभी तक विकसित की जा रही हैं। परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रण के साधन अपर्याप्त हैं तथा आपदा प्रबन्धन (डिसास्टर मैनेजमेन्ट) एवं सतत कार्य-योजना का अभाव है।

(प्रस्तर 2.8.7.1, 2.8.7.2)

- प्रान्त से होकर गुजरने वाले कर योग्य माल के पारगमन सम्बन्धी जांच/सूचना तकनीक के अभाव के फलस्वरूप अधिग्रहण के मामलों की संख्या क्रमशः 14632 से घटकर 30 तथा आच्छादित धनराशि ₹ 557.67 करोड़ से घटकर ₹ 1.53 करोड़ रह गयी।

(प्रस्तर 2.8.7.5)

- फार्म-38 (आयात हेतु घोषणा पत्र) को संव्यवहार का विवरण भरे बिना आनलाइन डाउनलोड करने के प्रावधान से राजस्व क्षति का जोखिम बना।

(प्रस्तर 2.8.7.6)

- अपर्याप्त जनशक्ति, असंचालित नियन्त्रण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता प्रवर्तन शाखा में सचल दल इकाइयों के दुर्बल संचालन का कारण रही।

(प्रस्तर 2.8.8, 2.8.8.2)

- सचल दल इकाइयाँ वर्ष में 23 दिनों से 287 दिनों तक असंचालित रहीं जिसके परिणामस्वरूप माल के अनधिकृत परिवहन की जांच नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 2.8.8.1)

- अधिनियम का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत किये जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 32.37 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.4)

- पंजीकृत व्यापारियों से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों की निगरानी की कमी के फलस्वरूप ₹ 39.64 करोड़ की जमानत राशि कम वसूल हुई।

(प्रस्तर 2.8.8.5)

### 2.8.1 प्रस्तावना

वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की शक्तियाँ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-13 ए, 28, 28 'ए', 28 'बी' सपठित व्यापार कर नियमावली के नियम 83 और नियम 87 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (उ0प्र0 वैट) 2008 की धारा 45 से 52 तक तथा सपठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 52 से 59 तक में दिये गये प्रावधानों से संचालित होती हैं। चेक पोस्ट (अगस्त 2008 से अगस्त-2009 के मध्य समाप्त), सचल दल (स0द0) इकाई एवं विशेष अनुसंधान शाखा (वि0अनु0शा0) प्रवर्तन शाखा के अंग हैं जो कि करापवंचन को रोकने के लिए कार्य करती हैं।

प्रदेश की सीमाओं से लगे महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ माल के प्रान्त बाहर से परिवहन की जांच के लिए उत्तरदायी थीं। सचल दलों की तैनाती माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए की गयी है।

छियालीस वि0अनु0शा0 इकाइयों की स्थापना करापवंचन के मामलों की जाँच हेतु की गयी थी। यह वि0अनु0शा0 इकाइयाँ अपने क्षेत्र में कर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण वस्तुओं

के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने, व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली जैसे— अनियमित प्रान्तीय एवं अन्तर्प्रान्तीय बिक्री, स्टॉक ट्रान्सफर, माननीय न्यायालयों के निर्णयों की गलत व्याख्या, कर का भुगतान न किया जाना आदि के लिये उत्तरदायी हैं। विशेष अनुसंधान शाखाओं का कार्य करापवंचन की रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार गोपनीय सर्वेक्षण एवं व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टर्स के व्यापार स्थलों/गोदामों की जांच करना है।

उत्तर प्रदेश में वैट अधिनियम दिनांक 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। शासन द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान दो चरणों में सभी 83 जांच चौकियां समाप्त कर दी गयीं। जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात माल के बिना उचित अभिलेखों के प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त बाहर से माल के संचालन से करापवंचन की रोकथाम हेतु सचल दल इकाइयाँ ही एक मात्र साधन हैं। जून 2008 में सचलदल इकाइयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 कर दी गयी<sup>2</sup>।

हमने "वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली" पर एक समीक्षा की जिसमें वैट प्रणाली के पश्चात, जिसमें जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात एवं वैट अधिनियम, उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों में कमियां उजागर हुईं।

## 2.8.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं निर्देशन का दायित्व, कमिश्नर-वाणिज्य कर, में निहित है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्यों के कुशल निष्पादन के उद्देश्य से विभाग को 20 जोनों में विभाजित किया गया है। पुनः ये जोन 45 संभागों में विभाजित हैं। मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन शाखा की कार्यवाही की निगरानी एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा की जाती है। ज्वाइंट कमिश्नर (ज्वा0 कमि0) (वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइंट कमिश्नर (स0द0) इनके सहायक हैं। फील्ड में जोन स्तर पर प्रवर्तन शाखा की गतिविधियों का नियंत्रण/निगरानी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा की जाती है। ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। संभाग स्तर पर डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0) (वि0अनु0शा0) इकाई के प्रभारी होते हैं तथा असिस्टेंट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। कुल 144 सचल दल इकाइयाँ<sup>3</sup> असि0कमि0 (सचल दल) के अधीन कार्यरत हैं। सचल दल इकाइयां सम्बन्धित संभाग के ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) को प्रतिवेदित करती हैं। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) शाखा मुख्यालय स्तर पर ज्वा0 कमि0 (आई0टी0) के अधीन है जिन्हें एक डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0), एक असि0कमि0 (आई0टी0) एवं सहायक कर्मी सहायता प्रदान करते हैं।

## 2.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिगत की गई थी कि क्या :

- अधिनियम के प्रावधानों, विज्ञप्तियों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन अनुकूल ढंग से किया गया था।
- करापवंचन रोकने में वि0अनु0शा0 एवं सचल दल इकाइयों की दक्षता एवं प्रभावकारिता।
- प्रवर्तन शाखा में कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता।
- प्रवर्तन शाखा में जनशक्ति का उपयोग।

<sup>1</sup> उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 45 एवं व्यापार कर अधिनियम की धारा-28 ए एवं 28 बी के अन्तर्गत।

<sup>2</sup> विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-4-1080/11-2008-400(35)/91 दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा।

<sup>3</sup> 1 जनवरी, 2013 को 150 स्वीकृत सचल दल इकाइयों के विरुद्ध।

### 2.8.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

समीक्षा के विषय हेतु लेखा परीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न किये गये:

- उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008 एवं उनके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ
- वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी प्रवर्तन मैनुअल
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

### 2.8.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

हमने अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के मध्य समीक्षा सम्पादित की एवं वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि आच्छादित की। लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र विभाग की प्रवर्तन शाखा के अभिलेखों की जांच तक सीमित था। हमने कमिश्नर वाणिज्य कर, 35 सचल दल<sup>4</sup> इकाइयों एवं 14 जोनों<sup>5</sup> से सम्बन्धित 19 डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0)<sup>6</sup> कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की।

जिन जोनों में उक्त सचल दल इकाइयां कार्यरत थीं, उनसे सम्बन्धित डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) का चयन भी लेखापरीक्षा हेतु किया गया। इसके अतिरिक्त 17 सचल दल इकाइयों<sup>7</sup> एवं 3 वि0अनु0शा0 जोनों<sup>8</sup> से हमने वर्ष 2008-09 से 2011-12 अवधि की सूचनाएं एकत्र कीं। नवम्बर 2012 में विभाग के साथ प्रारम्भिक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी थी जिसमें विभाग को लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य पद्धति से भिन्न कराया गया। समीक्षा के परिणाम विभाग एवं शासन को जुलाई 2013 में अग्रेषित किये गये थे। समापन विचारगोष्ठी सितम्बर 2013 में आयोजित की गयी जिसमें एडीशनल कमिश्नर ने विभाग का तथा सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर ने शासन का प्रतिनिधित्व किया। विभाग/शासन के प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

### 2.8.6 अभिस्वीकृति

लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाओं तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहयोग के लिए हम वाणिज्य कर विभाग का आभार प्रकट करते हैं।

## लेखापरीक्षा के परिणाम

### 2.8.7 सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

विभाग द्वारा पारगमन घोषणापत्रों (टी.डी.एफ.)<sup>9</sup> एवं फार्म-38<sup>10</sup> के क्रमशः व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा आनलाइन डाउनलोड करने की पद्धति (जुलाई 2009 एवं सितम्बर 2009) आरम्भ की गयी।

<sup>4</sup> असि0कमि0 (स0द0-2) आगरा, असि0कमि0(स0द0 1 एवं 2) बरेली, असि0कमि0 (स0दल) बुलन्दशहर, असि0कमि0 (स0द0 1,4,5 एवं 6) गौतमबुद्धनगर, असि0कमि0, (स0द0 1,2,3 एवं 4) गाजियाबाद, असि0कमि0(स0द0 2 एवं 3) गोरखपुर, असि0कमि0 (स0द0 1 एवं 2) झांसी, असि0कमि0 (स0द0 1,2 एवं 3) कानपुर, असि0कमि0 (स0द0 1), लखनऊ, असि0कमि0(स0द0 1 एवं 4) मथुरा, असि0कमि0 (स0द0 2,4, एवं 5) मेरठ, असि0कमि0 (स0द0 2,3 एवं 5) मुरादाबाद, असि0कमि0 (स0द0 1,3 एवं 4) सहारनपुर असि0कमि0 (स0द0) मुगलसराय स्थित वाराणसी असि0कमि0 स0द0 चदौली स्थित वाराणसी, असि0कमि0 (स0द0-2) नौबतपुर-चदौली स्थित वाराणसी, असि0कमि0 (स0द0-4) वाराणसी।

<sup>5</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी कानपुर-1 एवं 2, लखनऊ-1 मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-1

<sup>6</sup> डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी आगरा, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी बरेली, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी गोरखपुर, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए- झांसी, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए, सी एवं डी कानपुर, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग- मथुरा, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मेरठ, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी मुरादाबाद, डि0कमि0 (वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी सहारनपुर, डि0कमि0(वि0अनु0शा0) संभाग ए एवं बी वाराणसी।

<sup>7</sup> असि0कमि0(स0द0) 1,3,4,5,6,7 एवं 8 आगरा, असि0कमि0(स0द0) 9,10,11 एवं 12 कानपुर, असि0कमि0(स0द0) 2,3,4, एवं 5 लखनऊ, असि0कमि0(स0द0) 2 एवं 3 मथुरा।

<sup>8</sup> गाजियाबाद-2, लखनऊ-2, वाराणसी-2।

<sup>9</sup> टी.डी.एफ.ऐसे वाहन के ड्राइवर अथवा स्वामी द्वारा वाहन में लदे माल का विवरण भरकर साथ रखे जाने वाला अभिलेख है जो प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्य प्रान्त को जाना हो। यह इस बात के प्रमाणस्वरूप होता है कि वाहन में लदा माल उ.प्र. में बिक्री के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट/528/वाणिज्य कर दिनांक 27 जुलाई 2009 से आरम्भ हुई।

<sup>10</sup> फार्म-38 एक आयात घोषणा पत्र है जो कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा बिक्री हेतु प्रान्त बाहर से माल मंगाते समय वाहन के साथ लेकर चलना होता है। आनलाइन डाउनलोडिंग परिपत्र सं. चेक पोस्ट- फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर, दिनांक 28 अगस्त, 2009 द्वारा सितम्बर 2009 में आरम्भ की गयी।



वैट अधिनियम के अनुसार (1 जनवरी, 2008 से प्रभावी) सूचना प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से आरम्भ किया गया। उक्त को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र<sup>11</sup> दिनांक जून, 2010 द्वारा समयावधि भी निश्चित की गयी थी तय सीमा के अनुसार निम्नलिखित कार्य दिसम्बर 2010 तक पूर्ण किये जाने थे :

- (i) एप्लीकेशन के प्रयोग हेतु तैयार होने पर किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच एवं सर्टिफिकेशन जैसे—मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) की व्यवस्था।
- (ii) लम्बी अवधि तक विद्युत आपूर्ति बाधा, बाढ़, भूकम्प, वायरस हमला आदि की स्थिति में भी सिस्टम का 24x365 दिवस निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबन्धन योजना।

क्योंकि जाँच चौकियों के कार्यों का भाग विभाग के कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन सिस्टम द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, हमने टी.डी.एफ. सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा निष्पादित की। हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

### 2.8.7.1 टी.डी.एफ. डाटाबैंक की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

त्वरित निर्णय लेने, करापवंचन रोकने एवं परिणामतः वृहत्तर राजस्व संचरण के लिए सुदृढ़ प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम.आई.एस.) उपलब्ध कराने एवं सूचकीय सक्षमता के उद्देश्य से बेहतर निर्णय लेने के लिये एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा प्रान्त बाहर से उत्तर प्रदेश होते हुए अन्य प्रान्त को माल ले जाने के लिए बहती/ट्रान्जिट डिक्लरेशन फार्म (टी.डी.एफ.) के आनलाइन इश्यू/डाउनलोडिंग हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया। एन.आई.सी. द्वारा विकसित साफ्टवेयर फ्रन्ट एन्ड में जावा सर्वर पेजों से युक्त एवं बैक एन्ड में आरेकल आर.डी.बी.एम. (रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेन्ट) सिस्टम से युक्त था। सभी विभागीय कार्यालयों का अपना स्वयं का लोकल एरिया नेटवर्क है तथा वे कमिश्नर कार्यालय में वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) – भारत संचार निगम लिमिटेड की (64 के.बी.पी.एस.) लीज्ड लाइन द्वारा केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हैं।

अंसगत एवं परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने, कार्य योजना के सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी होने एवं समयबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सूत्रबद्ध एवं अभिलिखित सूचना प्रौद्योगिकी नीति का होना आवश्यक है।

हमने निर्गत/डाउनलोडेड टी.डी.एफ. के डाटाबैंक की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि क्या विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल एवं

नीति विद्यमान है, प्रणाली की आवश्यकतानुसार विशिष्टियां (एस.आर.एस.) अभिलिखित हैं, टी.डी.एफ. का रखा गया डाटा विश्वसनीय है तथा केन्द्रीकृत डाटा का प्रभावकारी एम.आई.एस. हेतु मुख्यालय पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

आँकड़ों की शुद्धता, पूर्णता एवं समेकता (इन्टीग्रिटी) की जांच के उद्देश्य से लेखापरीक्षा द्वारा कम्प्यूटर पर आडिटिंग टूल आईडिया (इन्टरैक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस) की सहायता से टी.डी.एफ. के डाटाबैंक का विश्लेषण किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 अवधि तक के ही आँकड़े उपलब्ध कराये जा सके। इनका विश्लेषण आई.टी.सपोर्ट सिस्टम की दक्षता एवं प्रभावकारिता तथा आई.टी.कन्ट्रोलस की विद्यमानता एवं पर्याप्तता की जांच हेतु किया गया।

<sup>11</sup> एफ नं० एस-31013/2/2010-एस.ओ./ (एस.टी.), दिनांक 24/06/2010

हमने पाया कि विभाग द्वारा आई.टी.सिस्टम के कार्यान्वयन, सुरक्षा, परिवर्तन प्रबन्धन-नियन्त्रण (यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी उत्पाद के सम्बन्ध में परिवर्तन नियंत्रित एवं समन्वित रूप में लागू किये जाते हैं), बैकअप डाटा का भण्डारण, आपदा निवारण एवं सतत् कार्य योजना हेतु नीतियां निर्धारित नहीं की गयी थी। इन बिन्दुओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभाग की आई.टी.पद्धति के आलोक में नीतियां एवं कार्यात्मक ढांचा (फ्रेमवर्क) विकसित किये जा रहे हैं।

उत्तर से पुष्टि होती है कि नीतियां, नियम एवं कार्यविधि विकसित नहीं थे और अभी तक विकास की अवस्था में हैं।

### 2.8.7.2 आपदा प्रबन्धन एवं सतत् कार्य योजना

हमने देखा कि आपदा के तत्काल बाद की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा दर्शाते हुए (ताकि आँकड़ों के प्रसंस्करण (प्रासैसिंग) की कार्यवाही तत्काल पुनः आरम्भ की जा सके), कोई आपदा निवारण एवं सतत् कार्य योजना ही नहीं थी। डाटाबेस बैकअप का रखरखाव एन.आई.सी. द्वारा वृद्धि के (इन्फ्रीमैन्टल) आधार पर किया जाता है जबकि प्राकृतिक अथवा तकनीकी आपदा की स्थिति में डाटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण डाटाबेस का बैक-अप विभागीय भवन से इतर किसी अन्यत्र स्थान पर भी रखा जाना चाहिये। मुख्य संरूपण (कनफिगरेशन) उपकरणों जैसे-हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कार्मिक एवं अन्य सम्पत्तियां जो आपदा की स्थिति में आई.टी.कार्यों की निरन्तरता हेतु आवश्यक थे, की पहचान करके उन्हें अभिलेखीय रूप में नहीं रखा गया था।

समापन गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि डाटा बैकअप योजना भवन स्थित एन.आई.सी. के स्टेट डाटा केन्द्र में टेप-ड्राइव एवं हार्डडिस्क में रखा जा रहा है। आपदा-प्रबन्धन योजना एवं कार्यविधि विकसित किये जा रहे हैं।

उक्त से यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जाने वाले आपदा प्रबन्धन योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

हम संस्तुति करते हैं कि आपदा प्रबन्धन एवं सतत् कार्य योजना को स्थापित किया जाय।

### 2.8.7.3 इनपुट एवं वैलीडेशन नियन्त्रण

इनपुट नियन्त्रणों को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सिस्टम में फीड किये गये डाटा पूर्ण, विशुद्ध एवं निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। यह आँकड़ों की संगतता के मुद्दे को भी इंगित करता है। सिस्टम का डिजाइन एवं संचालन फीडेड डाटा से विशिष्ट आँकड़ों को अलग करने हेतु पर्याप्त होना चाहिये। इनपुट नियन्त्रण एवं निष्कपटता (वैलीडेशन) जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन में त्रुटियां होने एवं सम्बन्धित डाटा भण्डार नकली आँकड़ों पर आधारित होने की संभावना रहती है।

डाटाबेस की शुद्धता, पूर्णता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डाटा एन्ट्री के दौरान सभी संभावित एप्लीकेशन कन्ट्रोल लागू किये गये हों। यह नियन्त्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रासैसिंग हेतु प्राप्त डाटा विशुद्ध, पूर्ण, वैध, सही तथा अधिकृत है एवं डाटा हस्तान्तरण बिना फील्डस के दोहराव के उचित प्रकार से किया गया है तथा सिस्टम में डाटा एन्ट्री के समय सभी फील्ड सही प्रकार से भर दिये गये हैं।

सिस्टम की संरचना एवं संचालन इनपुट से आँकड़ों को पकड़ने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। इनपुट नियन्त्रण एवं वैलीडेशन जांच में कमी की स्थिति में ट्रांजिट पास के निर्गमन तथा सम्बन्धित डाटाबैंक में त्रुटियां होने की संभावना रहती है।

हमने दिनांक 11 फरवरी 2010 से 16 दिसम्बर 2012 के दौरान निकाले/डाउनलोड किये गये ₹ 98,11,54,740.90 करोड़ धनराशि से

आच्छादित 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों की जांच की और पाया कि डाउनलोडेड ट्रांजिट पासों की संख्या फरवरी 2010 की 4,726 की संख्या के सापेक्ष बढ़कर मार्च 2012 में 4,10,189 हो गयी।

टी.डी.एफ. के डाटाबैंक की जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 6,50,971 मामलों में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे- माल का विवरण, वजन एवं इकाई, स्वामी का नाम, प्रस्थान का प्रान्त, गन्तव्य प्रान्त आदि रिक्त थीं। पुनः अनेक मामलों में माल का मूल्य, बिल्टी नम्बर, बिल नम्बर, आदि में 'शून्य' अंकित किया गया था। विवरण सारणी क्रमांक 2.8 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.8

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड विवरण खाली/शून्य	मामलों की संख्या
1	चेसिस नम्बर	खाली	6662
2	प्रस्थान का प्रान्त		5748
3	माल का विवरण		32490
4	गन्तव्य प्रान्त		35976
5	इंजिन नम्बर		6661
6	स्वामी		6023
7	माल की मात्रा एवं संख्या		36006
8	ट्रान्सपोर्टर का नाम		18997
9	माल का मूल्य	शून्य	70878
10	बिल्टी नम्बर		371154
11	बिलों की संख्या		60376

हमारे द्वारा डाटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि आगे फील्ड्स में असत्य/अवास्तविक आंकड़े भरे गये थे जैसा कि सारणी क्रमांक 2.9 में अंकित है।

सारणी क्रमांक 2.9

क्र.सं.	फील्ड	फील्ड का विवरण	मामलों की संख्या
1	प्रवेश एवं निकास का दिनांक	सही प्रारूप <sup>12</sup> में उपलब्ध नहीं	19,400
2	निकास का दिनांक	प्रवेश के दिनांक से भी पहले <sup>13</sup> की भरी हुई	35
3	निकास का दिनांक	निकास का दिनांक प्रवेश के दिनांक से चार दिन से भी कम के थे	38,60,760
4	वाहन संख्या एवं ट्रान्सपोर्टर	एक ही दिन में एक ही वाहन के लिए कई टी.डी.एफ. डाउनलोड करना	7,93,593

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) विभाग ने बताया कि वेबसाइट सीक्योरिटी आडिट के बाद गलत दिनांक फार्मेट के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में संशोधन एवं त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है। विभाग ने आगे बताया कि एक्सेल टेबिल फार्मेट में डाटा कन्वर्जन के फलस्वरूप डाटा की तिथि में बदलाव हो सकता है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिणाम "आईडीया"<sup>14</sup> द्वारा निकाले गये हैं और फील्ड में कोई कन्वर्जन नहीं है क्योंकि "आईडीया" साफ्टवेयर बिना किसी डाटा कन्वर्जन के डाटाबैंक का विश्लेषण करता है।

चार दिन से कम अवधि के लिए तथा एक दिवस में एक ही वाहन के लिए कई ट्रांजिट पास डाउनलोड किये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वाहन पांच से छः घण्टे में पुनः माल को लादकर आ सकते हैं। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि उक्त क्रमांक 3 एवं 4 पर दिये गये मामलों में गन्तव्य स्थान 390 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था जहां से एक अथवा दो दिवस में वापसी यात्रा सम्भव नहीं थी।

<sup>12</sup> प्रदेश में प्रवेश एवं प्रदेश से निकास का दिनांक डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई के प्रारूप में अर्थात् 02/11/2012 होना चाहिये।

<sup>13</sup> कोई भी वाहन प्रदेश में प्रवेश से पूर्व नहीं निकल सकता जैसे- प्रवेश तिथि 17.04.2010 जबकि निकास तिथि 11.04.2010 अतः प्रवेश का दिनांक निकास से पूर्व ही होना चाहिए।

<sup>14</sup> भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रीय आडिट टूल।

### 2.8.7.4 ऑनलाइन टी.डी.एफ. सिस्टम की दुर्बलताएँ

व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 एवं वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल के अनियमित आयात एवं उसको लेखों में दर्ज न करने, कर के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली सीमाओं पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जाँच चौकियाँ स्थापित की गयी थीं। जाँच-चौकियाँ निम्न के लिए उत्तरदायी थीं:

- आयात घोषणा पत्रों (फार्म-38) की जाँच एवं पृष्ठांकित करके, कर योग्य माल के अनधिकृत प्रवेश को रोकना।
- प्रान्त बाहर से माल लेकर उत्तर प्रदेश में होते हुए अन्य प्रान्त को माल लेकर जाने वाले ट्रान्सपोर्टर/वाहन स्वामियों को ट्रांजिट पास (बहती) जारी करना।
- निकास जाँच चौकी पर ट्रांजिट पास खारिज करना।

1 जनवरी 2008 से उ0प्र0 वैट अधिनियम लागू किया गया। उस समय पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण स्थानों पर 83 जाँच चौकियाँ कार्यरत थीं। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान सभी जाँच चौकियाँ दो चरणों- 46 जाँच चौकियाँ<sup>15</sup> जून 2008 में तथा 37 जाँच चौकियाँ<sup>16</sup> जुलाई 2009 में समाप्त कर दी गयीं।

व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर द्वारा ट्रांजिट डिक्लरेशन फार्म (टी.डी.एफ.) एवं आयात

घोषणापत्र (फार्म-38) के आनलाइन डाउनलोडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था क्रमशः जुलाई<sup>17</sup> 2009 एवं सितम्बर<sup>18</sup> 2009 में प्रारम्भ की गयी। नयी पद्धति में 19 बिन्दुओं पर सूचना<sup>19</sup> वाहन इंचार्ज/ट्रान्सपोर्टर द्वारा आनलाइन भरनी होती है। वांछित सूचना भरने के पश्चात 14 अंकों की स्वउत्पादित आई.डी.संख्या सहित टी.डी.एफ. आनलाइन जारी होता है। इस टी.डी.एफ. की प्रति लेकर वाहन इंचार्ज प्रदेश से होकर निकलने के लिए अनुमन्य था। टी.डी.एफ. प्रवेश की तिथि से चार दिनों के लिए मान्य था और यह माना जाता था कि इस अवधि के अन्दर वाहन उत्तर प्रदेश के बाहर निकल जायेगा। 46 जाँच चौकियों की समाप्ति एवं आनलाइन टी.डी.एफ. डाउनलोड करने की पद्धति लागू करने के मध्य 12 माह का अन्तराल था। इस अन्तराल की अवधि के दौरान उन क्षेत्रों के मार्ग जिनमें जाँच चौकियाँ समाप्त कर दी गयी थीं, किसी टी.डी.एफ. से आच्छादित नहीं थे।

हमने देखा कि स0द0इकाई/जोन/मुख्यालय स्तर पर डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ.के विश्लेषण/अनुश्रवण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी थी। पुनः ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लागू नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य प्रान्त के गन्तव्य हेतु आया माल वास्तव में प्रदेश से बाहर चला गया है। हमने यह भी पाया कि यद्यपि टी.डी.एफ. चार दिन के लिए मान्य है किन्तु इस तथ्य के बावजूद कि प्रवेश एवं निकास के स्थानों के मध्य की दूरी के

<sup>15</sup> अछनेरा, अमरपुर, अम्बावाय, भगवन्तपुरा, बांगरा, बिन्धमगंज, बादशाहीबाग, भोपुरा, भोयापुर, चखनी, चन्दियार, देवरी मउरानीपुर, डूंगरवाला, दुमचाड़ी, डी-एल चौराहा, गोवर्धन, हथिनीकुण्ड, इन्द्रपुरी, झुप्पा, ग्राम खुनवा, कम्हरौरा, कोंडली बांगर, कुलेशरा, कुंआगांव, महाराजपुर, मकनपुर, महरौना, मोहण्ड, मसवारी चौराहा, माधवटाण्डा, नगलाबीच (नन्दगांव), नरायन नगला, नरैनी चौराहा, पनवाड़ी, रेना नगर, रायपुरी, रामपुर बुजुर्ग, साहिबाबाद (कडकड़ पुल), समउर, साँख,शमसाबाद, सीतापुर, सुआंवाला (सुतपुरी), टी.पी.नगर, टीलाकोठी, विप्रावली।

<sup>16</sup> अमरिया, आमटांडा, ओडमोड, बारा, बभनी, भागुवाला, भरौली, भूरहेडी ग्राम, बड़कला, बड़नी, चौखटा, झमण्ड गंज, फतेहपुर सीकरी, गौरीफन्टा, गौरीपुर, हरीनगर, आइ.सी.डी.नोएडा, केराना, कौड़िया, कौशलगंज, कोअवन, लोनी, मझोला, मसौरा, मोहननगर (मोहननगर एक्सटेंशन सहित), मुगर्ग, नौबतपुर, रक्सा, रूपईदिया, सैयां, शाहजहांपुर, श्रीनगर, सोनौली, तमकुईराज, ठाकुरद्वारा, ऊरी, विजयनगर।

<sup>17</sup> परिपत्र सं.- चैक पोस्ट/528/वाणिज्य कर दिनांक 27 जुलाई 2009।

<sup>18</sup> परिपत्र सं.- चौक पोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।

<sup>19</sup> (i) वाहन के प्रस्थान का स्थान (ii) गन्तव्य का स्थान (iii) वाहन नम्बर (iv) चैसिस नम्बर (v) इंजिन नम्बर (vi) ट्रांसपोअर का नाम एवं पता (vii) वर्तमान पता जैसे कि वाहन की इश्योरेंस पालिसी में दिया गया हो (viii) वाहन स्वामी का नाम व पता (ix) प्रदेश के अन्दर मार्ग का विवरण (x) प्रदेश में प्रवेश का सम्भावित दिनांक (xi) प्रदेश से निकास का सम्भावित दिनांक (xii) बिलिटियों की कुल संख्या (xiii) बिलों की कुल संख्या (xv) नगों की कुल संख्या (xv) माल का मूल्य (शब्दों में) (xvi) माल का मूल्य (अंकों में) (xvii) माल का विवरण (xviii) माल का वजन (xix) प्रिंटिंग (सर्वर का आई.पी.एड्रेस)।

दृष्टिगत (जहां एक ही दिन में कई फेरे संभव न हों) एक ही दिन में एक ही वाहन हेतु कई ट्रांजिट पासों का निर्गमन रोकने हेतु सिस्टम में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था।

राजस्व हित के दृष्टिगत ट्रांजिट पासों (टी.डी.एफ.) का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हमने वर्ष 2010 से 2012 के मध्य डाउनलोड किये गये 1,04,62,126 ट्रांजिट पासों में से 99,000 के आंकड़ों की नमूना जाँच एवं विश्लेषण किया और पाया कि:

- 3,605 व्यापारियों ने अपना माल सड़क मार्ग से एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को वाया उत्तर प्रदेश 44,318 टी.डी.एफ. के द्वारा प्रेषित किया। यह हमारे द्वारा विश्लेषण किये गये 99,000 टी.डी.एफ. का 44.77 प्रतिशत थे। उक्त में एक ही वाहन के द्वारा समान प्रेषण के लिए उत्तर प्रदेश में समान मार्ग एवं उन्हीं प्रवेश तथा निकास मार्गों से होते हुए डाउनलोड की जाने वाली टी.डी.एफ. की संख्या पाँच से 569 तक थी। जबकि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में क्रेता को माल सुपुर्द करने तक पूर्ण यात्रा हेतु मात्र एक ट्रांजिट पास ही आवश्यक होता है। हमने देखा कि इस तथ्य के बावजूद कि यह घटनाक्रम वर्ष 2010 से 2012-13 तक निरन्तर जारी था तथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 (मई 2012 तक) के दौरान क्रमशः 425,486 एवं 36 ट्रांजिट पास डाउनलोड किये गये, किन्तु विभाग द्वारा इस विसंगति की जाँच नहीं की गयी।

- 3,605 व्यापारियों में से 27 व्यापारियों ने ₹ 133.60 करोड़ मूल्य के माल का प्रेषण एक प्रान्त से अन्य प्रान्त को 911 ट्रांजिट पास डाउनलोड करते हुए घोषित किया।

हमने देखा कि इनमें से प्रत्येक वाहन द्वारा प्रथम टी.डी.एफ. दूसरी टी.डी.एफ. में दर्शायी गयी प्रवेश तिथि से एक या दो दिन पहले डाउनलोड की गयी थी। यह भी देखा गया कि यात्रा प्रारम्भ एवं गन्तव्य<sup>20</sup> स्थान के मध्य दूरी इतनी अधिक थी कि जाने एवं वापसी की दूरी एक अथवा दो दिन में तय नहीं की जा सकती है। स्पष्टतः एक या दो दिन बाद डाउनलोड की गयी द्वितीय टी.डी.एफ. का भौतिक रूप से उचित उपयोग सम्भव नहीं है।

पाँच व्यापारियों ने अपने माल के परिवहन हेतु 15 वाहनों के लिए बहुसंख्या में टी.डी.एफ. डाउनलोड की। यह टी.डी.एफ. एक ही दिनांक को समान वाहन के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों से माल का लदान करके भिन्न प्रान्तों के अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के स्थानों से होते हुए जाने के लिए डाउनलोड की गयी थीं। जबकि एक वाहन किसी प्रान्त में एक स्थान से किसी अन्य प्रान्त में विशिष्ट स्थान पर सुपुर्दगी हेतु उत्तर प्रदेश में एक ही प्रवेश एवं निकास के स्थान से होते हुए, प्रस्थान के लिए ही लोड किया जा सकता है।

- यह भी उजागर हुआ कि दो ट्रान्सपोर्टों ने एक ही वाहन हेतु समान प्रवेश एवं निकास की तिथियों के लिए बहुसंख्या में ट्रांजिट पास (टी.डी.एफ.) डाउनलोड किये। यह क्रिया 12 ट्रान्सपोर्टों द्वारा अपनायी गयी।

- हमने यह भी देखा कि विभाग की आई.टी.शाखा द्वारा राजस्व के हित में उक्त को दूढ़ निकालने एवं सचल दलों तथा वि०अनु०शाखाओं को, विश्लेषण एवं वांछित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

- हमने विभाग की सूचना प्रबन्धन तंत्र वेबसाइट के प्रति सत्यापन में पाया कि टी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर आटोमैटिकली अपडेट न होकर दिन में मैन्यूअली दो बार<sup>21</sup> अपलोड किया जाता था। केवल दिन में दो बार टी.डी.एफ. के डाटा की अपलोडिंग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्रों जैसे— आगरा, बुलन्दशहर,

<sup>20</sup> उदाहरणतः— अहमदाबाद (गुजरात) से विराट नगर (नेपाल), अलरसा (गुजरात) से धूलिया (प०बंगाल), भिवांडी (महाराष्ट्र) से काठमाण्डू (नेपाल), इन्दौर (म०प्र०) से दलसिंह सराय (बिहार), लुधियाना (पंजाब) से कटक (उड़ीसा), परवानू (हि०प्र०) से पटना (बिहार), पटना (बिहार) से पुणे (महाराष्ट्र) एवं सतना (म०प्र०) से गिरीडीह (झारखण्ड)।

<sup>21</sup> 07.54 पूर्वाह्न एवं 01.54 अपराह्न।

गाजियाबाद, झांसी, मथुरा आदि की सचल दल इकाईयों के प्राधिकार क्षेत्र से वाहनों के माल खाली कर वापस निकल जाने का जोखिम तथा प्रवर्तन शाखा द्वारा ऐसे वाहनों की जांच कर उन्हें पकड़ने में असमर्थता फलित होती है। यह तथ्य फील्ड की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा भी स्वीकार किये गये।

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) विभाग ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित समस्त आनलाइन एप्लीकेशंस से संबंधित सूचना प्रबन्धन रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा विभागीय अधिकारियों को आवंटित यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड के द्वारा उन्हें रोलबेस एवं संकलित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. की रिपोर्ट वाहनवार, दिनांकवार, प्रान्तवार, प्रवेश एवं निकास बिन्दुवार तथा वस्तुवार विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा स्थल पर ही एस.एम.एस. के माध्यम से भी टी.डी.एफ. का सत्यापन किया जा सकता है।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभाग द्वारा हमारे द्वारा इंगित किये गये मामलों की जांच एवं विश्लेषण नहीं किया गया और न वाहनों के बिना जांच किये निकल जाने की संभावना से बचने के लिये, सचल दल इकाईयों द्वारा पकड़े गये वाहनों से प्रतिसत्यापित ही कराया गया। पुनः एस.एम.एस. द्वारा टी.डी.एफ. के सत्यापन की पद्धति भी तभी कारगर है जबकि वाहन सचल दलों द्वारा की जा रही जाँच में आ जावे अन्यथा टी.डी.एफ. का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के पूर्व ही करापवंचन के उद्देश्य से प्रदेश में प्रवेश किये हुए वाहन के माल खाली कर वापस जाने का जोखिम बना रहता है।

### 2.8.7.5 प्रान्त से कर योग्य माल के ट्रांजिटिंग हेतु उचित आश्वासन प्रणाली का अभाव

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 28बी एवं उ0प्र0व्यापार कर नियम 87 तथा उ0प्र0वैट की धारा 52\* तथा नियम 58\*\* के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 50 की उपधारा (1) में सन्दर्भित माल को एक प्रान्त से लाकर, अन्य प्रान्त में गन्तव्य को ले जाने के लिए ड्राइवर या वाहन का इंचार्ज जब उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो अपने साथ ऐसे अभिलेख रखेगा तथा ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो कमिश्नर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें।

उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत शासन को ऐसे स्थानों पर जांच चौकी अथवा बैरियर स्थापित करने की शक्ति प्राप्त थी जिन्हें वह उचित समझे। यह प्रावधान विज्ञप्ति संख्या 1230(2)/79-V-1-09-1 क0 21/2009 दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

\* विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1980/xi दिनांक 27 अगस्त 2009 द्वारा संशोधित

\*\* विज्ञप्ति संख्या- क0नि0 2-241/xi दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा संशोधित

हमने "प्रान्त से होकर गुजरने वाले प्रेषण वास्तव में प्रान्त से निकल गये हैं", हेतु विभागीय तन्त्र में विकसित प्रणाली की अनुपलब्धता के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि मात्र छः जनों<sup>22</sup> में वर्ष 2007-08 से 2008-09 के मध्य निकास चौकियों पर बहती खारिज न कराने के 14632 मामले थे जिनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4448.60 करोड़ था। उ0प्र0व्यापार कर एवं वैट अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त मामलों में ₹ 557.67 करोड़ कर आरोपित किया गया। 2008-09 (जुलाई 08 से आगे) से 2011-12 के मध्य

अवैध/ टी.डी.एफ. से अनाच्छादित पकड़े गये मामलों की संख्या घटकर मात्र 30 रह गयी जिसमें आच्छादित माल एवं कर प्रभाव क्रमशः ₹ 1.53 करोड़ एवं ₹ 1.04 करोड़ था जो कि सारणी क्रमांक 2.10 में दर्शाया गया है:

<sup>22</sup> शेष सात जनों द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये जबकि कानपुर-1 द्वारा विवरण (निरंक) दर्शाया गया।

सारणी क्रमांक 2.10

(₹ लाख में)

खारिज न करायी गयी टी.डी.एफ.							
जाँच चौकियों की समाप्ति के पूर्व अवधि: 2007-08 से 2008-09				सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये मामले जुलाई 2008 से 2011-12			
क्र०सं०	जोन	खारिज न करायी गयी बहतियों की संख्या	कुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी	अवैध/बिना टी.डी.एफ. के मामले	कुल धनराशि	कर की राशि जो जमा नहीं की गयी
1	आगरा	शून्य	शून्य	0.43	शून्य	शून्य	शून्य
2	अलीगढ़	11,003	3,932.53	1,730.31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3	झाँसी	575	3,321.13	985.37	18	93.31	79.65
4	कानपुर-II	शून्य	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	सहारनपुर	3,049	4,37,564.09	53,050.7	12	60.07	24.02
6	वाराणसी-I	05	41.77	0	0	0	0
	<b>योग</b>	<b>14,632</b>	<b>4,44,859.52</b>	<b>55,766.81</b>	<b>30</b>	<b>153.38</b>	<b>103.67</b>

नोट : अनुपलब्ध = उपलब्ध नहीं कराये गये।

उक्त से यह स्पष्ट है कि सचल दल इकाइयों, जाँच चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थीं। यह प्रान्त में माल की अवैध अनलोडिंग के मामलों को रोकने में उतनी प्रभावी नहीं हो पायीं।

जाँच चौकियों द्वारा 2007-08 से 2008-09 तक मैनुअली जारी की गयी बहतियों एवं 2009-10 से 2011-12 के बीच डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. के आंकड़े सारणी क्रमांक 2.11 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.11

वर्ष	जारी बहतियों/ टी.डी.एफ. का माध्यम	जारी बहतियों/ टी.डी.एफ. की संख्या	वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
2006-07	मैनुअली	17,99,323	-	-
2007-08	मैनुअली	20,10,480	2,11,517	11.76
2008-09	मैनुअली	19,74,896	(-) 35,944	(-) 01.79
2009-10	आनलाइन	21,68,181	1,93,285	09.79 <sup>*</sup>
(सितम्बर 2009 से मार्च 2010)				
2010-11	आनलाइन	37,19,217	17,44,321	88.32
2011-12	आनलाइन	42,90,260	5,71,043	15.35

नोट: अप्रैल 2009 से अगस्त 2009 की अवधि में मैनुअली जारी बहतियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

\* यह वृद्धि मात्र सात माह की अवधि में थी।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान जब मैनुअली बहती निर्गत की जाती थी तो वृद्धि 11.76 प्रतिशत थी। यहां तक कि 1.79 प्रतिशत की कमी आयी। आनलाइन टी.डी.एफ. जारी की पद्धति आरम्भ करने पर (दिनांक 01 सितम्बर 2009 से) मात्र छः माह की अवधि में 9.79 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। यहां तक कि वर्ष 2010-11 में इसमें 88.32 प्रतिशत का उछाल आया। जबकि फार्म<sup>23</sup> 38 की डाउनलोडिंग में कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी गयी जो कि सारणी क्रमांक 2.12 से स्पष्ट है:

सारणी क्रमांक 2.12

(संख्या लाख में)

वर्ष	फार्म 31/38 की संख्या (छपे/मैनुअली निर्गत)	वर्ष	फार्म 38 की संख्या मैनुअली निर्गत एवं व्यापारियों द्वारा डाउनलोडेड
2006-07	7.50	2009-10	48.31
2007-08	43.80	2010-11	18.48
2008-09	34.05	2011-12	37.65
<b>योग</b>	<b>85.35</b>	<b>योग</b>	<b>104.44</b>

टी.डी.एफ.की संख्या में असामान्य वृद्धि पड़ोसी राज्यों में व्यापारियों की संख्या में हुई वृद्धि से भी समर्थित नहीं है। हमने आगे पाया कि व्यापार कर अधिनियम<sup>24</sup> के अन्तर्गत जारी मैनुअल के प्रावधानानुसार बहतियों की संख्या में असामान्य वृद्धि/कमी के

<sup>23</sup> आयात हेतु घोषणापत्र- फार्म-31 एवं फार्म-38 क्रमशः उ०प्र०व्यापार कर अधिनियम की धारा 28 ए (1), उ०प्र०व्यापार कर नियम 1948 के नियम 83 (4)(ए) (i) एवं उ०प्र०वैट अधिनियम की धारा 50 तथा उ०प्र०वैट नियम 2008 के नियम 54 (3) में यथापरिभाषित फार्म जिसमें प्रान्त में आयातित, कर योग्य माल का नाम, मूल्य, परिमाण आदि घोषित किया जाता है।

<sup>24</sup> उ०प्र०व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर, व्यापार कर के प्राधिकार से जारी 'व्यापार कर सहायता केन्द्र/सचल दल मैनुअल' के अध्याय 2 के उप प्रस्तर 11 (1) 3 के अनुसार।

विश्लेषण हेतु डिप्टी कमिश्नर (जाँच चौकी) उत्तरदायी थे, किन्तु वैट के अन्तर्गत निर्गत मैनुअल में ऐसा कोई समतुल्य प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने अन्य प्रान्तों में टी.डी.एफ. के डाटा की जांच की पद्धति का अध्ययन किया और पाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखण्ड और असम राज्यों में जांच-चौकियां अभी भी अस्तित्व में हैं। बिहार में, जहां जांच चौकियां नहीं थीं, यह पद्धति जून 2011 से प्रारम्भ की गयी है। कर्नाटक में टी.डी.एफ. के सत्यापन की विशिष्ट पद्धति 1 जुलाई 2011 से प्रारम्भ की गयी है।

समापन विचारगोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने स्वीकार किया कि टी.डी.एफ. पद्धति में खामियां करापवंचन का कारण रहीं और बताया कि टी.डी.एफ. की आड़ में सुनियोजित ढंग से किये जा रहे करापवंचन को रोकने के लिए विभाग द्वारा 03 सितम्बर<sup>25</sup> 2013 को नयी व्यवस्था लागू की गयी है।

हम यह संस्तुति करते हैं कि विभाग प्रान्त में नियत प्रावधानों का स्वैच्छिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश एवं निकास के स्थानों पर व्यापारियों की सुविधा के लिए सूचनाओं के संग्रहण हेतु तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक प्रान्त से अन्य प्रान्त में गन्तव्य हेतु वाहन पर लादा गया माल वास्तव में उत्तर प्रदेश से निकल गया है तथा कर अपवंचन पर रोक लगेगी।

### 2.8.7.6 संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरे बिना फार्म-38 (आयात हेतु घोषणापत्र) डाउनलोड किया जाना।

उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 50 तथा उ0प्र0वैट नियमवली 2008 के नियम 54(1) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी जो प्रान्त बाहर से प्रदेश के अन्दर ऐसी मात्रा, माप अथवा मूल्य का कर योग्य माल जैसा कि इस सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, लाने/आयात करने का इच्छुक हो तो यथाविहित रीति से कर-निर्धारण अधिकारी से निर्धारित आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) प्राप्त करेगा अथवा यथाविहित रीति से विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करेगा।

06 जुलाई 2009 की बैठक में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि फार्म डाउनलोडिंग के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरना व्यापारी के लिये अनिवार्य होगा।

फार्म-38 आनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा 01 सितम्बर 2009 से प्रारम्भ की गयी। तदनुसार अर्ह व्यापारी डाउनलोडिंग का दिनांक एवं फर्म का विवरण भरकर आनलाइन फार्म-38 डाउनलोड कर सकता है। फार्म-38 को डाउनलोडिंग की दिनांक से तीन माह के अन्दर प्रयोग किया जा सकता है। फार्म-38 के प्रयोग का विवरण उपभोग किये जाने के सात दिन के अन्दर आनलाइन देना होगा।

हमने देखा कि शासन<sup>26</sup> द्वारा लिए गये निर्णयानुसार संव्यवहार का विवरण जैसे-वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता भरना अनिवार्य था, तो भी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा जारी परिपत्र<sup>27</sup> में यह कहा गया कि व्यापारी केवल स्वयं का विवरण जैसे- डाउनलोडिंग का दिनांक, निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम तथा स्वयं व्यापारी का नाम एवं पता भरकर फार्म-38 डाउनलोड किया जा सकता है। व्यापारी को शेष संव्यवहार का विवरण जैसे- वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता फार्म-38 के प्रयोग की

<sup>25</sup> परिपत्र सं0- सचल दल-ट्राजिट पास-2013-14/1341/1314041 दिनांक 3.09.2013।

<sup>26</sup> बैठक दिनांक 06 जुलाई 2009।

<sup>27</sup> परिपत्र सं0- चेक पोस्ट-फार्म-38 व्यवस्था/0910045/वाणिज्य कर दिनांक 28 अगस्त 2009।



सूचना उसे तीन माह के भीतर प्रयोग करने के सात दिन के अन्दर आनलाइन उपभोक्ता (यूटीलाईजेशन) प्रपत्र भरते समय देने की सुविधा प्रदान की गयी। इस प्रकार संव्यवहार का विवरण विभाग को प्रतिसत्यापन हेतु फार्म-38 डाउनलोडिंग के तीन माह एवं सात दिन के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा। कमिश्नर, वाणिज्य कर का अगस्त, 2009 का परिपत्र, शासन द्वारा जुलाई 2009 में लिए गये निर्णय से भिन्न था। अनिवार्य प्रविष्टियों जैसे- वस्तु का नाम, परिमाण, मूल्य, विक्रेता व्यापारी का नाम व पता न भरने के फलस्वरूप तीन माह सात दिन की अवधि में एक ही फार्म का कई बार प्रिन्ट लेकर प्रयोग करने का जोखिम उत्पन्न हो गया।

जब जाँच चौकियाँ अस्तित्व में थीं तो फार्म-38 जांच चौकी पर प्रान्त में प्रवेश के समय पृष्ठांकित किया जाता था। यह पृष्ठांकन उसी फार्म के दुबारा प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाता था। डाउनलोड किये जाने वाले फार्म-38 की अनिवार्य प्रविष्टियों को न भरने सम्बन्धी नियन्त्रण की यह कमी स्पष्टतः लेखाओं से बाहर माल को प्रान्त में विक्रय हेतु लाने तथा अन्ततोगत्वा विभाग/शासन को राजस्व क्षति का जोखिम उत्पन्न करती है।

डाउनलोड किये गये फार्मों के प्रयोग की सूचना प्रयोग के सात दिन के अन्दर आनलाइन देनी थी। हमने यह भी पाया कि डाउनलोड किये गये फार्मों में से 15.33 प्रतिशत से 19 प्रतिशत के उपभोग की सूचना दी ही नहीं गयी थी। विवरण सारणी क्रमांक 2.13 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.13

वर्ष	डाउनलोड किये गये फार्म-38 की कुल संख्या	प्रस्तुत उपभोग	अन्तर
2009-10	46,533	शून्य	46,533
2010-11	18,48,298	15,60,832	2,87,466
2011-12	37,64,719	31,87,381	5,77,338
2012-13	44,96,865	36,41,038	8,55,827

विभाग ने उत्तर में बताया (मई 2013) कि सिस्टम लागू करने के पूर्व कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के सिस्टम का अध्ययन किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि गुजरात तथा कर्नाटक की प्रणाली भिन्न है एवं परिवहन किये जा रहे माल के संव्यवहार का पूर्ण विवरण उसके परिवहन के पूर्व भरा जाना अनिवार्य है साथ ही उसका सत्यापन जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। क्योंकि प्रान्त में जाँच चौकियाँ विद्यमान नहीं हैं, फार्म-38 के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कड़े एप्लीकेशन नियंत्रण की आवश्यकता है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग शासन द्वारा जुलाई 2009 में फार्म-38 की डाउनलोडिंग पर लिए गये निर्णय के अनुक्रम में संव्यवहार के विवरण को अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान बनाने पर विचार कर सकता है।

### 2.8.7.7 बार-बार पकड़े जाने वाले अपराधियों की पहचान एवं अपंजीकृत व्यापारियों को पकड़ना

उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सपठित धारा-3 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जिसका वार्षिक कर योग्य व्यापारावर्त ₹ पांच लाख है, कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा तथा विहित प्रारूप एवं रीति से, निर्धारित पंजीयन प्रभारी द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 54 (1)(7) के प्रावधानान्तर्गत यदि पंजीयन हेतु दायी व्यापारी बिना पंजीयन प्राप्त किये व्यापार करता है तो व्यापार की गयी अवधि में ₹ 100 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा।

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने पत्र संख्या- एफ नं0 एस-31013/2/2010-एस.ओ./ (एस.टी.), दिनांक 24 जून 2010 द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए ₹ 58.40 करोड़ लागत की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कि यह सुनिश्चित कर लिया

जाये कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग द्वारा आवश्यक साफ्टवेयरों का निर्माण नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्कारपोरेट (निक्सी)के सहयोग से कराया गया।

हमने विभाग की कम्प्यूटरीकरण कार्यवाही का अध्ययन किया और पाया कि विभाग की प्रवर्तन शाखा के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट माड्यूल<sup>28</sup> विकसित नहीं किया गया था। हमने 25 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की जांच की और देखा कि 151 अपंजीकृत व्यापारी जो कि ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य का करयोग्य माल ले जाते हुए पकड़े गये थे, का विवरण वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में सचल दल इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख पंजी<sup>29</sup> -5 में दर्ज था। यद्यपि वांछित जमानत/अर्थदण्ड/कर ₹ 6.54 करोड़ की उनसे वसूली की गयी थी किन्तु ऐसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वही व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर एक वर्ष के दौरान एक या अधिक बार पकड़े गये थे। हमने यह भी पाया कि 1946 मामलों<sup>30</sup> में से 123 मामले ऐसे थे जिनमें वाहन एक से अधिक बार पकड़े गये थे, उनसे आच्छादित माल का मूल्य ₹ 4.35 करोड़ था तथा ₹ 1.41 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया था किन्तु बार-बार अपराध करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु सूचना संकलित करने की कोई युक्ति विद्यमान नहीं थी। यदि साफ्टवेयर में ऐसा कोई माड्यूल विकसित किया गया होता तो विभाग को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती थी।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग ऐसे प्रवर्तन साफ्टवेयर माड्यूल के निर्माण पर विचार कर सकता है जिससे ₹ पांच लाख एवं अधिक के प्रेषण पर करापवंचन करते हुए पकड़े जाने वाले व्यापारियों की पहचान की जा सके तथा उसमें बार बार अपराध करने वाले व्यापारियों की पहचान तथा आंकड़े रखने का भी प्रावधान हो। इस प्रकार के व्यापारियों के पंजीयन एवं न्यूनतम अर्थदण्ड के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए।

### 2.8.8 सचल दल इकाइयों की कार्यप्रणाली

उत्तर प्रदेश के अन्दर एवं उत्तर प्रदेश से होते हुए निर्धारित प्रपत्रों<sup>31</sup>/सूचना से अनाच्छादित एवं अपंजीकृत से सम्बन्धित माल के परिवहन के दौरान करापवंचन को रोकने के लिए सचल दल इकाइयों की स्थापना की गयी है। असिस्टेंट कमिश्नर (स0द0) अपनी सचल दल इकाइयों के प्रभारी होते हैं। उनका मुख्य उत्तरदायित्व उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 45, 46, 47, 48, 50, 51 एवं 52 के प्रावधानों के अन्तर्गत वाहनों के द्वारा परिवहन किये जा रहे तथा ट्रान्सपोर्टरों के गोदामों में रखे हुए माल की जांच करना है। उनका अन्य उत्तरदायित्व बिलों का संकलन (संवेदनशील वस्तुओं एवं प्रमुख निर्माताओं के बिक्री के बिलों के संकलन को प्राथमिकता देते हुए) करना है। उनका कार्य प्रान्त के अन्दर फर्जी प्रपत्रों के आधार पर माल के परिवहन, रेल एवं सड़क मार्ग से आयातित माल के सन्दर्भ में हो रहे करापवंचन पर प्रभावी ढंग से जांच कार्यवाही कर अंकुश लगाना है। सचल दल इकाइयों का कार्य निर्धारित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल का अभिग्रहण, परिवहन किये जा रहे कर योग्य माल के मूल्य का आंकलन एवं माल अवमुक्त किये जाने के पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड का आरोपण/जमानत राशि<sup>32</sup> की वसूली करना है।

हमने कमिश्नर, वाणिज्य कर के अभिलेखों<sup>33</sup> की नमूना जांच की और पाया कि जून<sup>34</sup> 2008 से पूर्व जब 83 जांच चौकियां अस्तित्व में थीं, मानकों के अनुसार 267 असिस्टेंट

<sup>28</sup> माड्यूल-टी.डी.एफ. माड्यूल, ई-पेमेंट माड्यूल, ई-रिटर्न माड्यूल, ई-पंजीयन माड्यूल, ई-फार्म माड्यूल (फार्म-38 आदि के लिए), आनलाइन एम.आई.एस.माड्यूल एवं आनलाइन जी.आर.सी. (श्रीवांस रीड्रेसल सेल) माड्यूल।

<sup>29</sup> पंजी-5-एक रजिस्टर जिसमें वाहन संख्या, ट्रान्सपोर्टर का नाम व पता, वस्तु का नाम, माल का अनुमानित मूल्य तथा आरोपित अर्थदण्ड/जमानत का विवरण दर्ज किया जाता है।

<sup>30</sup> जहां पकड़े गये माल का मूल्य ₹ दो लाख से अधिक था।

<sup>31</sup> इनवायस/चालान की प्रति, टी.डी.एफ./ फार्म-31/फार्म-38, व्यापारी का नाम, माल का मूल्य, वजन, माप अथवा संख्या आदि।

<sup>32</sup> उ0प्र0वैट अधिनियम की धारा 48 (6) के अन्तर्गत निर्धारित।

<sup>33</sup> प्रवर्तन मैनुअल एवं विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन।

<sup>34</sup> उ0प्र0शासन के आदेश संख्या-विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-4-1080/11-2008-400 (35)/91 दिनांक 10 जून 2008 एवं क0नि0-4-1459/11-2009-400 (137)/2001 टी.सी.-5 दिनांक 30 जुलाई 2009 द्वारा जांच चौकियां समाप्त की गयीं।

कमिश्नर तथा 422 वाणिज्य कर अधिकारी जांच चौकियों<sup>35</sup> पर तैनात किये जाने थे। जांच-चौकियों की समाप्ति के पश्चात प्रवर्तन कार्यों को सृष्ट करने के लिए सचल दल इकाइयों की संख्या 55 से बढ़ाकर 150 करते हुए 95 नयी सचल इकाइयां स्वीकृत<sup>36</sup> की गयीं। वर्ष 2012-13 के दौरान 144 सचल दल इकाइयां (मुख्यालय पर दो इकाइयां नियन्त्रण कक्ष हेतु सहित) संचालित थीं। एक सचल दल इकाई हेतु स्वीकृत जनशक्ति:- एक असि0कमि0, दो वा0क0अधि0 एवं अन्य (चालक, लिपिक आदि) पांच है।

हमने देखा कि जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व तथा बाद में प्रवर्तन कार्यों हेतु स्वीकृत कार्मिकों की संख्या में अन्तर है। यह दर्शाता है कि मुख्य प्रवर्तन शाखा हेतु कार्मिकों का नियोजन अनुकूलतम नहीं था। समाप्त की गयी जांच चौकियों<sup>37</sup> के शेष अधिकारी/कर्मचारी प्रवर्तन कार्यों पर नहीं लगाये गये थे। विवरण सारणी क्रमांक 2.14 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.14

विवरण	जांच चौकियों की समाप्ति के पूर्व स्वीकृत जनशक्ति			जांच चौकियों की समाप्ति के पश्चात सचल दल इकाइयों हेतु स्वीकृत जनशक्ति	अन्तर
	जांच चौकियों हेतु	सचल दल इकाइयों हेतु	योग		
असि0कमि0	267	55	322	150	172
वा0कर अधि0	422	110	532	300	232
अन्य	559	275	834	750	84

जांच चौकियों तथा सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये वाहनों की संख्या तथा अर्थदण्ड/जमानत के रूप में वसूले गये राजस्व का विवरण सारणी क्रमांक 2.15 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.15

(₹ लाख में)

वर्ष	जांच चौकियाँ			सचल दल इकाइयाँ			वर्ष के दौरान पकड़े गये वाहनों की सं०		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
	जांच चौकियों की सं०	पकड़े गये वाहनों की सं०	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	सचल दल इकाइयों की सं०	पकड़े गये वाहनों की सं०	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	संख्या	वसूली गयी अर्थदण्ड/जमानत की राशि	
2007-08	83	5,84,282	14,988.01	55	20,817	6,480.79	6,05,109	21,468.80	(+) 8.35
2008-09 (अप्रैल 08 से जुलाई 08)	83	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3,242.39	अनुपलब्ध	3,242.39	अनुपलब्ध
2008-09 (अगस्त 08 से मार्च 09)	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध		अनुपलब्ध
2009-10	शून्य	शून्य	शून्य	136	15,990	6,859.15	15,990	6,859.15	(-) 68.05
2010-11	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,693	9,079.67	21,693	9,079.67	(-) 57.70
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	136	21,446	11,294.50	21,446	11,294.50	(-) 47.39

\* वर्ष 2008-09 के लिए जो आंकड़े विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये।

अनुपलब्ध = विभाग के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं।

उक्त से दृष्टव्य है कि :

- वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान सचल दल इकाइयों की संख्या में वर्ष 2007-08 की तुलना में 147 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वास्तव में राजस्व वसूली में 47.39 से 68.05 प्रतिशत की कमी आयी।
- वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान (सचल दल इकाइयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद) पकड़े गये वाहनों की संख्या लगभग समान रही। यह इंगित करता है कि सचल दल इकाइयां जांच-चौकियों का पूर्ण विकल्प नहीं थीं।

समापन गोष्ठी के दौरान (सितम्बर 2013) शासन ने बताया कि जांच-चौकियों के समय एक निरन्तर जांच की व्यवस्था थी, अतः अधिक जनशक्ति लगायी गयी थी। जांच-चौकियों की समाप्ति के उपरान्त सचल दल प्रणाली में आकस्मिक जांच की व्यवस्था है अतः कार्मिक आवश्यकतानुसार लगाये गये।

<sup>35</sup> बिक्री कर जांच चौकी/सचल दल मैनुअल के अध्याय (3)(3) में निर्धारित मानकों के अनुसार जांच चौकियों पर कार्मिक तैनात किये जाते थे।

<sup>36</sup> विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-4-1080/11-2008-400(35)/91 दिनांक 10 जून 2008 द्वारा।

<sup>37</sup> जांच चौकियों की संख्या 83, असिस्टेंट कमिश्नर 267 एवं वाणिज्य कर अधिकारी 422।

हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आकस्मिक जांच प्रणाली में भी कार्मिकों की पाली (शिफ्ट) में तैनाती आवश्यक होती है जिससे कि आकस्मिकता बनी रहे। सचल दल इकाइयों की स्वीकृत जनशक्ति एक पाली के आधार पर निर्धारित की गयी है। इस प्रकार सचल दल इकाइयां चौबीस घण्टे में केवल एक पाली के दौरान कार्य करती हैं जो कि जांच चौकियों की अपर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था का द्योतक है।

### 2.8.8.1 सचल दल इकाइयों की संचालनात्मक कमियां

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत सचल दल इकाइयां प्रदेश के अन्दर समुचित प्रपत्रों से अनाच्छादित माल के परिवहन की जांच हेतु उत्तरदायी हैं। सचल दल के कार्य व उत्तरदायित्व विभाग के प्रवर्तन मैनुअल में उल्लिखित किये गये हैं। सचल दलों की स्थापना वैध प्रपत्रों आदि से अनाच्छादित माल के परिवहन के दौरान किये जा रहे करापवंचन को रोकने तथा माल के अभिग्रहण के लिये की गयी है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2(1)(xiii) में विशिष्टतया यह उल्लिखित है कि जोन में सचल दल इस तरह लगाये जायें कि सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो।

प्रान्त में माल के अनियमित आयात/परिवहन द्वारा करापवंचन को रोकने में सचल दलों की प्रभावकारिता की जांच के उद्देश्य से हमने 35 सचल दल इकाइयों<sup>38</sup> के अभिलेखों<sup>39</sup> की नमूना जांच किया और पाया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान सचल दल इकाइयां-प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं थीं। सचल दल इकाइयों के संचालन

के दिनों की संख्या 78 दिनों से 343 दिनों के मध्य थी। विवरण परिशिष्ट-I में दिये गये हैं।

इस प्रकार बिना व्यवधान के सचल दलों के संचालन द्वारा राजस्व के क्षरण को रोकने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि 24 घण्टे सड़क जांच सम्भव नहीं थी, क्योंकि वाहन/माल के अभिग्रहण के पश्चात, सचल दलों को भौतिक सत्यापन, कारण बताओ नोटिस निर्गत करना तथा जमानत धनराशि जमा कराना जैसी औपचारिकतायें भी पूर्ण करनी पड़ती हैं। इसलिए सचल दलों द्वारा सभी मार्गों पर सतत निगरानी सम्भव नहीं थी। साथ ही विभागीय उत्तर में लेखा परीक्षा द्वारा सूचित आँकड़े काल्पनिक कहे गये।

हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विभागीय उत्तर प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। जहां तक आकड़ों की सत्यता का प्रश्न है, यह सम्बन्धित सचल दल इकाइयों को आबंटित वाहनों की लागबुक में दर्ज विवरण पर आधारित हैं।

<sup>38</sup> सचल दल इकाई 2,4,5,7 और 8 आगरा, सचल इकाई 1 और 2 बरेली, सचल दल इकाई बुलन्दशहर, सचल दल इकाई प्रथम चन्दौली, स0द0इकाई-4 गौतमबुद्धनगर नगर, स0द0 इकाई-1,2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई 1,2,3,8 एवं 12 कानपुर, स0द0इकाई 1 एवं 5 लखनऊ, स0द0इकाई-4 मथुरा, स0द0इकाई 2,4 एवं 5 मेरठ, स0द0इकाई 3 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 1,5 एवं 6 नोयडा, स0द0इकाई 1 एवं 4 सहारनपुर और स0द0इकाई-4 वाराणसी।

<sup>39</sup> सचल दलों को आबंटित वाहन की लाग बुक।

### 2.8.8.2 असंचालित नियंत्रण कक्ष एवं उपकरणों की अनुपलब्धता

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) 3 (i) के प्रावधानान्तर्गत एक प्रभावी सूचनातंत्र के द्वारा प्रवर्तन कार्यों के अनुश्रवण हेतु जोनल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उत्तरदायित्व ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) का है।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 1 व अध्याय-4 के पैरा 2 के अन्तर्गत असिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल) दैनिक रूप से डाउनलोड की गयी टी.डी.एफ. की सूचनायें इन्टरनेट से प्राप्त करके इनके वाहनों की जाँच हेतु उत्तरदायी हैं। ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) नियोजन व अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी हैं।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के मध्य 11 जोनों की 35 सचल दल इकाइयों की सम्परीक्षा के दौरान हमने पाया कि छः जोनों<sup>40</sup> में नियंत्रण कक्ष स्थापित थे लेकिन इनमें से दो जोनों<sup>41</sup> में संचालित नहीं थे क्योंकि नियंत्रण कक्ष में कोई कार्मिक तैनात नहीं था। साथ ही नियंत्रण कक्ष में टी.डी.एफ. के विश्लेषण व व्यापारियों के टिन व पते की जाँच हेतु इन्टरनेट कनेक्शन भी नहीं था। हमने

पाया कि पाँच जोनों<sup>42</sup> में नियंत्रण कक्ष स्थापित नहीं थे। फलस्वरूप नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ। यह वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य सात जोनों<sup>43</sup> में जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित/संचालित नहीं था, में पकड़े गये 21,999 मामलों की तुलना में उन चार जोनों<sup>44</sup> द्वारा जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित था, समान अवधि में पकड़े गये 20,187 मामलों से परिलक्षित होता है। इस प्रकार उन जोनों की दक्षता बेहतर थी जहाँ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये थे।

हमने आगे यह भी देखा कि सचल दल अधिकारियों को इन्टरनेट सुविधा से सुसज्जित कोई उपकरण<sup>45</sup> उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वे वाहन में लदे माल के, व्यापारी के पते व टिन आदि की जाँच कर पाते। ऐसे उपकरणों की अनुपलब्धता व नियंत्रण कक्ष के असंचालित होने की दशा में रोड चेकिंग के दौरान वाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के विवरण के मिलान अथवा प्रतिसत्यापन हेतु सचल दल अधिकारियों के समक्ष कोई विकल्प नहीं था। विज्ञप्ति सं० क०नि०-2-241/X1-9(295)/07-यू०पी०एक्ट-5-2008-उ०प्र०मू०संवर्धित कर, नियमावली-08-आदेश-(55)-2010 दिनांक 4 फरवरी 2010 द्वारा नियम 55(2) के प्रावधानों को समाप्त किये जाने के पश्चात् सचल दल प्रभारी को वाहन में लदे माल की प्रमाणिकता की जाँच हेतु वाहन के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्रों की मांग का अधिकार नहीं रहा।

सचल दल अधिकारियों को केवल पंजीकृत व्यापारियों के टिन के सत्यापन और वाहन की टी.डी.एफ. के विवरण की जाँच हेतु पुश एण्ड पुल एस.एम.एस.<sup>46</sup> की सुविधा उपलब्ध थी किन्तु हमने देखा कि विभागीय अधिकारियों को उक्त हेतु कोई सी.यू.जी.<sup>47</sup> सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया (सितम्बर, 2013) कि विभागीय अधिकारियों को उपकरण उपलब्ध नहीं थे तथा उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने विषयक प्रस्ताव विचाराधीन था। आगे यह कहा कि मुख्यालय व जोनल स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्यरत हैं।

<sup>40</sup> आगरा, गजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर-I एवं II, वाराणसी

<sup>41</sup> आगरा व गोरखपुर

<sup>42</sup> बरेली, झाँसी, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर

<sup>43</sup> आगरा, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर

<sup>44</sup> गजियाबाद, कानपुर-I एवं II, वाराणसी

<sup>45</sup> जैसे लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्ट फोन आदि

<sup>46</sup> निर्धारित नम्बर पर एस.एम.एस.

<sup>47</sup> सी.यू.जी.-कामन यूजर ग्रुप नम्बर, जिनकी बिलिंग एक श्रोत से होती है

### 2.8.8.3 सचल दल इकाइयों की तैनाती में अनुश्रवण की कमी

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2 (I) के अनुसार नगर में वाहनों के प्रवेश मार्गों को चिन्हीकृत करके आवश्यकतानुसार (दो या दो से अधिक प्रवेश मार्गों से सम्बन्धित क्षेत्र को आच्छादित करते हुए) बीट बनाये जायें। बीट की संख्या सचल दल इकाइयों के अनुरूप रखी जाये। प्रत्येक बीट में एक सचल दल इकाई अपने अधिकार क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों पर रोड चेकिंग का कार्य करेगी। इकाइयों में ड्यूटी साप्ताहिक रूप से परिवर्तित की जाये। प्रत्येक बीट की लिंक इकाई नामित कर दी जाये जो कि बीट इकाई के संचालित न रहने की स्थिति में अपनी बीट एवं लिंक इकाई की बीट में वाहन चेकिंग कर सके। सचल दल इकाइयों के पृथक पृथक अवकाश के दिवस इस प्रकार नियत किये जायें कि सभी इकाइयों को सप्ताह में एक दिन अवकाश मिल जाये और सार्वजनिक अवकाशों में भी प्रवर्तन कार्य बाधित न हो। रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डों के आस-पास भी सचल दल इकाइयों द्वारा गहन जाँच की जाये। रेंज में ज्वा0कमि0 (वि0अनु0शा0) सचल दल इकाइयों के प्रभारी अधिकारी होंगे।

प्रवर्तन मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-II अपने जोन में सचल दल इकाइयों हेतु मासिक ड्यूटी चार्ट तैयार करने व उसको क्रियान्वित करवाने के लिये उत्तरदायी हैं। चौदह जोनों के अन्तर्गत कार्यरत 42 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों<sup>48</sup> की जाँच में हमने देखा कि छः जोनों<sup>49</sup> में जिनमें उक्त 42 में से 15 सचल दल इकाइयाँ कार्यरत थीं, कोई ड्यूटी चार्ट तैयार नहीं किया गया। आठ जोनों<sup>50</sup> में जिनमें उक्त 42 में से 21 सचल दल इकाइयाँ कार्यरत थीं, ड्यूटी चार्ट

तैयार किया गया था।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि सभी सम्बन्धित कार्मिकों को कमियों को दूर करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

<sup>48</sup> ड्यूटी चार्ट

<sup>49</sup> गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर

<sup>50</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर- I एवं II और वाराणसी

#### 2.8.8.4 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में परिपत्र का निर्गमन

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त प्रभारी अधिकारी सचल दल, यदि यह समझता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें ऐसी धनराशि संसूचित होगी, जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप से आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो। उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत ऐसे प्रकरणों में शास्ति की धनराशि माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत है। कमिश्नर वाणिज्य कर ने परिपत्र संख्या चे0 पो0-25 क-परिपत्र/2008/0809100 दिनांक 3 फरवरी 2009 द्वारा निर्धारित किया कि पंजीकृत व्यापारियों द्वारा बिना वैध प्रपत्रों के, प्रदेश के अन्दर या प्रदेश के बाहर से माल को परिवहित करते पाये जाने से सम्बन्धित अभिग्रहण के मामलों में वसूल की जाने वाली जमानत धनराशि क्रमशः देय कर के दो गुना अथवा तीन गुना अथवा माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत जो दोनो में कम हो, होगी। यह आदेश परिपत्र संख्या चे0पो0-25क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र/2009-2010/0910060 दिनांक 5 नवम्बर 2009 द्वारा वापस ले लिया गया।

हमने 21 सचल दल इकाइयों<sup>51</sup> के अभिलेखों की जाँच किया एवं 13 अन्य सचल दल इकाइयों<sup>52</sup> से सूचनाएं एकत्रित किया और पाया कि फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 3031 मामलों में ₹ 128.97 करोड़ का माल इन सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहीत किया गया। इन मामलों में ₹ 19.22 करोड़ की जमानत राशि जमा करायी गयी जो कि देय कर का दो गुना या तीन गुना थी। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 40 प्रतिशत आगणित जमानत धनराशि ₹ 51.59 करोड़ आरोपणीय थी। इस प्रकार कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 (7) के

प्रावधानों का उल्लंघन करके परिपत्र निर्गत करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.37 करोड़ कम जमानत राशि मात्र इन 34 सचल दल इकाइयों द्वारा वसूल की गयी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि परिपत्र धारा 48 (7) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं था।

उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि प्रावधान ऐसी धनराशि, जो शास्ति को आच्छादित करने हेतु पर्याप्त हो, के जमा हेतु निर्दिष्ट करता है, तथा ऐसे मामलों में धारा 54 (1) के अन्तर्गत शास्ति की धनराशि चालीस प्रतिशत निर्धारित है।

<sup>51</sup> स0द0 इकाई-2, आगरा, स0द0 इकाई 1 एवं 2 बरेली, स0द0 इकाई-2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0 इकाई-4, गौतमबुद्ध नगर, स0द0 इकाई-2, गोरखपुर, स0द0 इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0 इकाई-1,2 एवं 3 कानपुर, स0द0 इकाई-1, लखनऊ, स0द0 इकाई 1 एवं 4 मथुरा, स0द0 इकाई-6 मुरादाबाद, स0द0 इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0 इकाई मुगलसराय एवं नौबतपुर स्थित वाराणसी।

<sup>52</sup> स0द0 इकाई 1,3,4,5,6,7 एवं 8 आगरा, स0द0 इकाई 9 एवं 11 कानपुर, स0द0 इकाई-3 एवं 4 लखनऊ, स0द0 इकाई 2 एवं 3 मथुरा।

### 2.8.8.5 पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों का अनुश्रवण

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी सचल दल द्वारा यदि यह पाया जाता है कि माल को अभिग्रहीत करने के पर्याप्त कारण हैं तो वह व्यापारी या प्रभारी व्यक्ति को एक लिखित आदेश तामील करायेगा जिसमें अभिग्रहण के तथ्यों का उल्लेख होगा और ऐसी धनराशि संसूचित होगी जो ऐसी धनराशि से अनधिक होगी जो संभावित रूप में आरोपित की जाने वाली शास्ति को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो अर्थात् माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत। धारा 48 (5) के अन्तर्गत जमानत राशि जमा होने के पश्चात माल अवमुक्त किया जाता है। पंजीकृत व्यापारियों के मामले सम्बन्धित खण्डों में अग्रेतर परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

इन मामलों का अनुश्रवण ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा किया जाता है।

बारह जोनों<sup>53</sup> के अभिलेखों<sup>54</sup> की नमूना जाँच में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य सचल दल इकाइयों ने 41,081 वाहन पकड़े जिनमें ₹ 404.25 करोड़ का माल बिना निर्धारित प्रपत्रों के परिवहित किया जा रहा था और अपंजीकृत व्यापारियों के 41,081 मामलों में ₹ 176.62 करोड़ शास्ति आरोपित की गयी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य पंजीकृत व्यापारियों के 26,510 मामले कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को भेजे गये।

विवरण सारणी क्रमांक 2.16 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अभिग्रहीत वाहनों की संख्या		योग	माल का मूल्य		योग	आरोपित शास्ति (अपंजीकृत)	खण्ड में क0नि0 प्राधिकारी को प्रेषित मामले	खण्ड में वसूली गयी शास्ति*
	पंजीकृत	अपंजीकृत		पंजीकृत	अपंजीकृत				
2007-08	3014	5662	8676	52.57	35.32	87.89	16.86	3014	0.17
2008-09	6975	5563	12538	152.97	50.87	203.84	21.38	6975	1.90
2009-10	7504	8463	15967	218.75	79.81	298.56	33.79	7504	2.06
2010-11	4466	10725	15191	134.94	109.26	244.20	46.96	4466	1.70
2011-12	4551	10668	15219	133.63	128.99	262.62	57.63	4551	1.88
<b>योग</b>	<b>26510</b>	<b>41081</b>	<b>67591</b>	<b>692.86</b>	<b>404.25</b>	<b>1097.11</b>	<b>176.62</b>	<b>26510</b>	<b>7.71</b>

श्रोत: सम्प्रेक्षा के दौरान एकत्रित सूचनायें

\* विभाग के पास मात्र तीन जोन की सूचना (आगरा, अलीगढ़ और कानपुर-II) ही उपलब्ध थी।

17 सचल दल इकाइयों<sup>55</sup> के मामलों में हमने देखा कि अभिग्रहीत किये गये 17,151 वाहनों<sup>56</sup> में से 2,566 वाहन पंजीकृत व्यापारियों के थे जिनमें कुल ₹ 190.96 करोड़ मूल्य का माल लाया जा रहा था। प्रावधानों के अनुरूप ₹ 76.35 करोड़ शास्ति के रूप में वसूले जाने थे जबकि मात्र ₹ 36.71 करोड़ वसूले गये। इस प्रकार, जमानत के रूप में ₹ 39.64 करोड़ कम वसूल किया गया।

हमने यह भी देखा कि न तो सचल दल इकाइयों या उनके पर्यवेक्षीय अधिकारियों ने कर, निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही अर्थात् सचल दल इकाइयों द्वारा रोड चेकिंग के दौरान पकड़े गये व्यापारियों पर आरोपित व वसूल की गयी कर की राशि की निगरानी हेतु कोई अभिलेख नहीं तैयार किया और न ही पंजीकृत व्यापारियों के अभिग्रहण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों पर आरोपित कर व उसकी वसूली की आवधिक प्रगति रिपोर्ट भेजने हेतु कोई कार्यप्रणाली विकसित की।

<sup>53</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ-I एवं II, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी-I

<sup>54</sup> पंजी-5।

<sup>55</sup> स0द0इकाई 1 एवं 2, बरेली, स0द0इकाई-4 गौतमबुद्ध नगर, स0द0इकाई-2,3 एवं 4 गाजियाबाद, स0द0इकाई-3, गोरखपुर, स0द0इकाई 1 एवं 2 झांसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई-1, लखनऊ, स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई 3 एवं 4 सहारनपुर, स0द0इकाई-मुगलसराय एवं नौबतपुर-2 चन्दौली स्थित वाराणसी।

<sup>56</sup> वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य (परिपत्र संख्या चै0पो0-25क-परिपत्र/2008/0809100 के अन्तर्गत सम्मिलित अवधि, फरवरी 2009 से नवम्बर 2009 तक अभिग्रहणों को छोड़कर)



समापन विचारगोष्ठी में शासन ने बताया (सितम्बर 2013) कि सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये प्रकरणों को अपलोड करने हेतु एक साफ्टवेयर बनाया गया है तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों को अगस्त 2013 में परिपत्र<sup>57</sup> के द्वारा संसूचित किया गया है। यद्यपि विभाग ने विवरणों के आनलाइन इन्द्राज हेतु कार्यवाही की है लेकिन कम जमानत राशि वसूले जाने के हमारी प्रेक्षा का समुचित उत्तर नहीं दिया।

### 2.8.8.6 अभिग्रहीत माल की गैर नीलामी

उ0प्र0मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 (9) के प्रावधानान्तर्गत यदि अभिग्रहीत माल पर निर्धारित कर या आरोपित शास्ति की धनराशि को जमा न किया गया हो, वहाँ यथास्थिति माल को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी निर्धारित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल बिकवायेगा। यद्यपि ऐसे माल के अभिग्रहण के पश्चात नीलामी हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

हमने 25 सचल दल इकाइयों के पंजी-5 की नमूना जाँच किया और पांच सचल दल इकाइयों में पाया कि इन इकाइयों के अधिकारियों ने वर्ष 1998-99 से 2010-11 के मध्य बिना उचित प्रपत्रों के माल का परिवहन करते हुये वाहनों को पकड़ा। व्यापारियों द्वारा उस पर

आरोपित जमानत/शास्ति की धनराशि जमा न करने के कारण माल का अभिग्रहण किया गया। चूँकि व्यापारी दीर्घ अवधि तक प्रस्तुत नहीं हुए अतः विभाग ₹ 1.02 करोड़ मूल्य के माल का इकलौता मालिक हो गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.17 में दिये गये हैं।

सारणी क्रमांक 2.17

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	मामलों की संख्या	माल का विवरण	माल का मूल्य
1	स0द0इकाई-4 गाजियाबाद	2005-06 से 2009-10	3	दवा, सिले हुए पस्थान, परचून, प्लास्टिक दाना	8.28
2	स0द0इकाई-1 कानपुर	2009-10 से 2010-11	4	चमड़ा, दवा,विभिन्न माल आदि	1.37
3	स0द0इकाई-2 कानपुर	1998-99 से 2010-11	5	दवा,सुपाड़ी,गुटका	56.13
4	स0द0इकाई-3 कानपुर	1999-2000 से 2001-02	12	गुटका,तम्बाकू,दवा,चूड़ी,मिक्सर ग्राइन्डर, होजरी	7.09
5	स0द0 इकाई-1 लखनऊ	2001-02 से 2009-10	30	गुटका,दवा,लोहा,इस्पात इत्यादि	28.73
योग			54		101.60

हमने देखा कि अभिग्रहीत माल की नीलामी नहीं की गयी और माल गोदाम में पड़ा था जबकि अधिकांश माल नाशवान प्रकृति के थे जैसे-दवा, चमड़ा, सुपाड़ी, गुटखा इत्यादि। विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण अभिग्रहीत माल के मूल्य की वसूली नहीं की जा सकी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि जोनल एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को अभिग्रहीत माल के निस्तारण के लिये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्व हित में विभाग अभिग्रहीत माल के निस्तारण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करे।

### 2.8.8.7 कर का अनारोपण

कमिश्नर वाणिज्य कर के परिपत्र संख्या: सचल दल/ अर्थदण्ड/ क0नि0/ ट्राजिटपास/ 10-11/ 101104/ वाणिज्य कर दिनांक 20 सितम्बर 2010 के अनुसार, यदि सचल दल इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा टी.डी.एफ. के मामले अभिग्रहीत किये जाते हैं, तो वह शास्ति आरोपित करने के साथ ही कर आरोपित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

हमने 35 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 12 सचल दल इकाइयों<sup>58</sup> में बिना वैध पारगमन पत्र/ टी.डी.एफ. के 68

<sup>57</sup> संख्या-आई.टी.-बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14/642 दिनांक 30.08.2013

<sup>58</sup> स0द0इकाई-2, आगरा, स0द0इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, स0द0इकाई-2 झाँसी, स0द0इकाई-3 कानपुर, स0द0इकाई-2 एवं 5, मेरठ स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, स0द0इकाई-3 एवं 4 सहरानपुर, स0द0इकाई- नौबतपुर-2 स्थित वाराणसी।

मामलों में ₹ 3.22 करोड़ मूल्य का माल सचल दल प्राधिकारियों द्वारा अभिग्रहीत किया गया और मात्र ₹ 1.41 करोड़ की शास्ति आरोपित की गयी। यद्यपि ₹ 17.55 लाख कर आरोपणीय था परन्तु सचल दल प्राधिकारियों द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि करारोपण की कार्यवाही की जा रही है। आगे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं (दिसम्बर 2013) हुई थी।

### 2.8.8.8 धनराशि को बिलम्ब से जमा किया जाना

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय 11 के पैरा 5(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत सचल दल अधिकारी प्राप्त हुई धनराशि को यथा संभव प्रतिदिन अथवा सप्ताह में दो बार स्टेट बैंक आफ इण्डिया/कोषागार में जमा करेंगे। इस जमा का सत्यापन कोषागार से प्रत्येक माह किया जायेगा। तदुपरान्त सत्यापित चालानों के विवरण की एक प्रति ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) को प्रेषित की जायेगी।

हमने 35 सचल दल इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और पाया कि 14 इकाइयों<sup>59</sup> के 906 प्रकरणों में ₹ 4.23 करोड़ की धनराशि प्रवर्तन मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जमा नहीं की गयी थी। विलम्ब की अवधि 3 से 33 दिन

तक थी। सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) ने विवरण की जानकारी होने के बाद भी धनराशि का समय से जमा सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। शेष 21 इकाइयों में धनराशि समय से जमा की गयी थी। सचल दल इकाइयों व आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कोषागार से चालान का समय से प्रतिसत्यापन की एक अच्छी परम्परा भी देखी गयी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि अनुपालन के लिये निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

### 2.8.8.9 तिजोरी (कैश चेस्ट) की अनुपलब्धता

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के नियम 28 के अनुसार शासकीय धन मजबूत तिजोरी में रखा जाना चाहिए। तिजोरी को जमीन या दीवाल में चुनवा देना चाहिए।

सचल दल इकाइयों मूल्यवान वस्तुओं का अभिग्रहण, जमानत जमा/शास्ति की धनराशि नगद प्राप्त करती हैं। 25

इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि मात्र तीन सचल दल इकाइयों<sup>60</sup> में नगद प्राप्ति को रखने हेतु तिजोरी थी। तिजोरी के अभाव में शेष 22 सचल दल इकाइयों ने मूल्यवान वस्तुओं का अभिग्रहण तथा जमानत/शास्ति के रूप में प्राप्त नगद धनराशि को राजस्व सुरक्षा के हितों से समझौता करके सामान्य लोहे की आलमारी में रखा।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि कोडल प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

<sup>59</sup> स0द0 इकाई 1 एवं 2, बरेली, स0द0 इकाई-2 एवं 3, गाजियाबाद, स0द0 इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, स0द0 इकाई-1,2 एवं 3 कानपुर, स0द0 इकाई-1, लखनऊ, स0द0 इकाई-2 एवं 5 मेरठ, स0द0 इकाई-मुगलसराय एवं नौबतपुर-2 चन्दौली स्थित वाराणसी।

<sup>60</sup> स0द0 इकाई 2, बरेली, स0द0 इकाई-1 एवं 2, कानपुर।

### 2.8.8.10 निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय 13 के प्रावधानानुसार सचल दल इकाइयों को भौतिक सत्यापन पंजी रखना चाहिए। रजिस्टर के पार्ट-ए में तिथि व श्रेणीवार, इन्द्राज किये जाते हैं जबकि पार्ट-बी में पल्लेदारी के मद में तिथिवार भुगतान व शेष का विवरण रखा जाता है।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-10 के पैरा 2 (6) के अनुसार सचल दल अधिकारियों को वाहन मालिकों से बिलों की प्रति संग्रहीत कर उन्हें सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को पृष्ठांकन तथा उसकी प्रविष्टि बिल प्रेषण रजिस्टर में करें। रोड चेकिंग रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखे जाने चाहिए।

मात्रा/भार और सत्यापन के दौरान देखे गये माल का मात्रा/वजन जैसे विवरण भरे नहीं गये।

- आठ सचल दल इकाइयों<sup>64</sup> में बिल प्रेषण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखे गये और तिथि व समय, रोड चेकिंग का स्थान, कर निर्धारण प्राधिकारियों के नाम, प्रेषित पत्र संख्या व तिथि तथा प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर जैसे स्तंभ रजिस्टर में नहीं बनाये गये।
- छः सचल दल इकाइयों<sup>65</sup> में रोड चेकिंग रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखे गये और रोड चेकिंग का स्थान, रोड चेकिंग अधिकारी का नाम, दिनांक व समय, वाहन संख्या के ब्योरे नहीं भरे गये।

अभिलेखों का अपूर्ण/समुचित रखरखाव न करने के कारण सचल दल इकाइयों द्वारा घोषित वाहनों के भौतिक सत्यापन, बिलों के प्रेषण एवं वाहनों की चेकिंग की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने कहा (सितम्बर 2013) कि अनुपालन हेतु दिनांक 02 सितम्बर 2013 को आदेश दे दिये गये हैं और अग्रेतर यह कहा कि सचल दल इकाइयों द्वारा पकड़े गये बीजकों, व्यापारियों, परिमाण (माल का विवरण आदि) अपलोड करने तथा पंजी-5 का विवरण दर्ज करने हेतु आनलाइन प्रणाली विकसित की गयी है तथा सचल दल इकाइयों को उक्त के अनुपालन हेतु अगस्त 2013 की परिपत्र<sup>66</sup> द्वारा आदेशित कर दिया गया है।

<sup>61</sup> असि0कमि0स0द0इकाई-2, आगरा, असि0कमि0स0द0इकाई 1 एवं 2, बरेली, असि0कमि0स0द0इकाई, बुलन्दशहर, असि0कमि0स0द0इकाई-1, 2, 3, एवं 4 गाजियाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-1, 4, 5 एवं 6 गौतमबुद्ध नगर, असि0कमि0स0द0इकाई-2 एवं 3, गोरखपुर, असि0कमि0स0द0इकाई-1 एवं 2 झांसी, असि0कमि0स0द0इकाई-1, 2 एवं 3 कानपुर, असि0कमि0स0द0इकाई-1, लखनऊ, असि0कमि0स0द0इकाई-1 एवं 4 मथुरा, असि0कमि0स0द0इकाई-2.4 एवं 5 मेरठ, असि0कमि0स0द0इकाई-3.5 एवं 6 मुरादाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-1.3 एवं 4 सहारनपुर, असि0कमि0स0द0इकाई-मुगलसराय, असि0कमि0स0द0-1 चन्दौली स्थित वाराणसी, असि0कमि0स0द0-2 नौबतपुर स्थित वाराणसी, असि0कमि0स0द0इकाई-4, वाराणसी।

<sup>62</sup> असि0कमि0स0द0इकाई-8, आगरा, असि0कमि0स0द0इकाई-1 एवं 2 बरेली, असि0कमि0स0द0इकाई-3, गोरखपुर, असि0कमि0स0द0इकाई-2 गाजियाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-3 कानपुर, असि0कमि0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्धनगर, असि0कमि0स0द0इकाई-2 मेरठ, असि0कमि0स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-3 एवं 4 सहारनपुर, असि0कमि0स0द0इकाई- मुगलसराय एवं नौबतपुर-2 स्थित वाराणसी।

<sup>63</sup> असि0कमि0स0द0इकाई-3 एवं 4 गाजियाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-6 मुरादाबाद।

<sup>64</sup> असि0कमि0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्ध नगर, असि0कमि0स0द0इकाई-2.3 एवं 4 गाजियाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-5 एवं 6 मुरादाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-3 एवं 4 सहारनपुर।

<sup>65</sup> असि0कमि0स0द0इकाई-4 गौतमबुद्ध नगर, असि0कमि0स0द0इकाई-2.3 एवं 4 गाजियाबाद, असि0कमि0स0द0इकाई-1 एवं 3 कानपुर।

<sup>66</sup> संख्या: आई. टी. बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14/642 और संख्या: आई.टी.बिल संग्रहण कम्प्यूटराइजेशन-2013-14/आई.टी. पंजी-5 स0द0 2013-14/643 दिनांक 30.08.2013

### 2.8.9 विशेष अनुसंधान शाखा की कार्यप्रणाली

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (सी) के प्रावधानान्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) सर्वेक्षित व्यापारियों के प्रतिवेदनों को सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजने तथा प्रेषित प्रतिवेदनों के आधार पर स्थायी/अस्थायी कर निर्धारण की स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-9 के अनुसार वि0अनु0शा0 इकाइयों को 12 स्तम्भीय रजिस्टर जिसमें कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित किये गये प्रतिवेदन का विवरण सर्वेक्षण के पूर्ण विवरण एवं उसके आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो, तैयार करना होता है। प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-5 के पैरा 1 ए (vi एवं vii) के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) और असि0 कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अपने द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा करेंगे। वे कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर लम्बित वि0अनु0शा0 वादों का त्रैमासिक रूप से मिलान करेंगे। वाणिज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) छोटे व्यापारियों से सम्बन्धित परिवादों की जाँच असि0 कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के सहयोग से करेंगे तथा डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) से अनुमोदित कराने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन सम्बन्धित खण्डाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

वि0अनु0शा0 इकाइयों अपने रेंज/जोन के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टर्स के भवनों/गोदामों में सर्वेक्षण, जांच व अभिग्रहण की कार्यवाही करती हैं। अभिग्रहीत दस्तावेजों के साथ प्रतिकूल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को कर-निर्धारण एवं वसूली हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

प्रान्त में विशेष अनुसंधान शाखाओं द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणाम सारणी संख्या 2.18 में दिये गये हैं:

सारणी क्रमांक 2.18

वर्ष	इकाइयों की संख्या	प्रतिकूल सर्वेक्षणों की संख्या	अभिग्रहीत अभिलेखों की संख्या	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों <sup>67</sup> की संख्या	प्रेषित प्रतिवेदनों में सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	क0नि0प्रा0 को प्रेषित प्रतिवेदनों में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में)	गत वर्ष की तुलना में धनराशि में वृद्धि (प्रतिशत में)
2007-08	39	5,024	2,316	6,994	7,547.48	14.36	73.49
2008-09	46	6,133	2,638	8,170	7,916.57	16.81	04.89
2009-10	46	7,031	3,180	8,244	9,008.05	00.91	13.79
2010-11	46	4,625	2,421	7,357	11,513.00	(-) 10.76	27.81
2011-12	46	4,513	2,505	6,979	13,015.00	(-) 05.14	13.04
<b>योग</b>		<b>27,326</b>	<b>13,060</b>	<b>37,744</b>	<b>49,000.10</b>	<b>32.08</b>	<b>133.02</b>

स्रोत : विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन

सारणी क्रमांक 2.18 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य प्रतिकूल सर्वेक्षणों में ग्यारह से पांच प्रतिशत की कमी आयी है तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में 10.76 से 5.14 प्रतिशत की कमी आयी है। कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों में समाहित धनराशि वर्ष 2008-09 में ₹ 7,916.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 13,015 करोड़ हो गयी। रजिस्टर<sup>68</sup> में वांछित विवरण अंकित न होने के कारण विभाग इन मामलों में वास्तविक वसूली की स्थिति बताने में असमर्थ रहा।

<sup>67</sup> कुल प्रेषित प्रतिवेदन प्रतिकूल सर्वेक्षण रिपोर्ट को शामिल करते हुये।

<sup>68</sup> क0नि0प्रा0 अधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों का 12 स्तम्भीय रजिस्टर।

हमने नमूना जांच में देखा कि 11 वि०अनु०शा० जोनों<sup>69</sup> में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) ने 20,257 सर्वेक्षण किये जिनमें ₹ 24,698.07 करोड़ अपवंचित टर्नओवर कर निर्धारण प्राधिकारियों को संसूचित किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.19 में दिया गया है:

**सारणी क्रमांक 2.19**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जोनों की संख्या	सर्वेक्षणों की संख्या	कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों की संख्या	अनुमानित अपवंचित टर्नओवर की सन्निहित धनराशि
2007-08	11	4,590	3,960	5,853.96
2008-09	11	4,845	4,268	4,378.36
2009-10	11	4,655	4,525	4,655.62
2010-11	11	3,188	3,278	4,481.95
2011-12	11	2,979	3,012	5,328.18
<b>योग</b>		<b>20,257</b>	<b>19,043</b>	<b>24,698.07</b>

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कर और उसकी वसूली का विवरण जो कि डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) द्वारा रखा जाना चाहिए, मात्र मुरादाबाद जोन के डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०)<sup>70</sup> द्वारा रखा गया तथा मुरादाबाद जोन के 2,395 मामलों में अपवंचित टर्नओवर पर आरोपित कर<sup>71</sup> की वसूली<sup>72</sup> 22 से 25 प्रतिशत तक रही।

हम मात्र पांच जोन<sup>73</sup> के 21 व्यापारियों के कर निर्धारण आदेशों की जांच कर सके जिन्हें वि०अनु०शा० अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रतिकूल सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, अन्तिम रूप दिया गया था और पाया कि :

- तीन व्यापारियों<sup>74</sup> के वर्ष 2007-08 से 2009-10 के वाद जिनमें ₹ 1.34 करोड़ का कर सन्निहित था, उ०प्र०मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 32 व उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण हेतु लम्बित थे।
- नौ व्यापारियों<sup>75</sup> के वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के वादों में, जिनमें ₹ 115.27 करोड़ का अपवंचित टर्नओवर और ₹ 6.18 करोड़ का कर सन्निहित था, प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कर घटाकर ₹ 8.04 लाख कर दिया गया। सभी मामले अपील में लम्बित थे।
- दो मामलों<sup>76</sup> में व्यापारियों ने निर्धारित कर ₹ 1.5 लाख जमा कर दिया और एक मामले<sup>77</sup> में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई अपवंचन नहीं पाया। चौथे मामले<sup>78</sup> में ₹ 8000 की आई.टी.सी. उत्क्रमित की गयी।
- वर्ष 2009-10 के एक मामले<sup>79</sup> में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अप्रैल 2012 में ₹ 88.30 लाख कर निर्धारित किया गया।
- शेष तीन मामलों<sup>80</sup> में जो वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित थे तथा जिनमें ₹ 1.50 करोड़ का कर सन्निहित था, में जून 2011 से सितम्बर 2012 के मध्य वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये।

इन इक्कीस मामलों में हमने पाया कि वि०अनु०शा द्वारा संसूचित करापवंचन कर निर्धारण/अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर पर पोषणीय नहीं रहा।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि वि०अनु०शा० इकाइयों को कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण

<sup>69</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर-I एवं II, लखनऊ-I, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी-I

<sup>70</sup> जोन मुरादाबाद के डि०क०, वि०अनु०शा०-ए, वि०अनु०शा०-बी एवं वि०अनु०शा०-बिजनौर।

<sup>71</sup> निर्धारित कर ₹ 171.71 करोड़।

<sup>72</sup> वसूली गया कर ₹ 41.19 करोड़।

<sup>73</sup> आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ एवं नोएडा।

<sup>74</sup> बंसल इस्पात गाजियाबाद, चेतना स्टील्स गाजियाबाद और गाजियाबाद आयरन एण्ड स्टील कम्पनी गाजियाबाद।

<sup>75</sup> गेल इण्डिया लि० आगरा, गणेश इण्टरप्राइजेज आगरा, गिरीराज किशोर आगरा, बालाजी फूड प्राडक्ट मथुरा, समय फूड प्रा०लि० नोएडा, मैनी स्टील वर्क्स नोएडा, नमिता अग्रवाल आगरा, नीलकण्ठ स्वीट्स लखनऊ, कृष्णा इलेक्ट्रिक एवं हार्डवेयर नोएडा।

<sup>76</sup> स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग (प्रा०)लि० नोएडा एवं वैली हेल्थ प्राडक्ट्स (प्रा०)लि० नोएडा।

<sup>77</sup> बाबूलाल एण्ड सन्स मथुरा।

<sup>78</sup> खण्डेलवाल स्टील्स सेंटर गाजियाबाद।

<sup>79</sup> एस०जी०स्टील्स गाजियाबाद।

<sup>80</sup> राजगंगा डेवलपर्स लखनऊ, सुरेश चन्द्र रिषी कुमार मथुरा, ताज स्टील वर्क्स नोएडा।

अभिलिखित करना चाहिए साथ ही डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विश्लेषण करने एवं उसके विरुद्ध अपील करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण पुनः 13 सितम्बर 2013 के परिपत्र<sup>81</sup> द्वारा कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

### 2.8.10 एडीशनल कमिश्नर (वि०अनु०शा०) द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

विशेष अनुश्रवण शाखा के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-5 के अन्तर्गत परिभाषित किये गये हैं। रेल व मण्डी समिति द्वारा परिवहित माल की सूचना, संवेदनशील वस्तुओं\* से सम्बन्धित आंकड़े, निर्माता इकाइयों द्वारा बिजली उपभोग की सूचना आदि, कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन की समीक्षा, कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर लम्बित वि०अनु०शा० वादों का त्रैमासिक रूप से मिलान करना जैसे-कर्तव्य डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) को निर्दिष्ट किये गये हैं।

प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा 2 (बी) के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-II के भी कर्तव्य नियत किये गये हैं जिनमें ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) तथा असिस्टेंट कमिश्नर (सचल दल) द्वारा किये गये कार्यों की पाक्षिक समीक्षा तथा उनके कार्यालयों का सामयिक निरीक्षण करना, कर अपवंचन गतिविधियों में लिप्त ट्रान्सपोर्टरों को चिन्हित करके न्यूनतम एक ट्रान्सपोर्टर के गोदाम तथा उस दिन पूरे चौबीस घंटे तक उसके समस्त वाहनों की सघन जाँच करना, कर अपवंचन में लिप्त निर्माता इकाइयों की पहचान करके उनकी फैक्ट्री, गोदाम तथा शाखा का निरीक्षण करना, अन्य विभागों से करापवंचन की सूचना एकत्रित करके उसे कर निर्धारण प्राधिकारियों से साझा करना सम्मिलित है।

\* जैसे- लोहा व इस्पात, सुपारी, गुटखा और परचून इत्यादि।

हमने 14 वि०अनु०शा० जोनों द्वारा किये गये कार्यों के विवरण<sup>82</sup> की जाँच करी और हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(i) आठ जोन<sup>83</sup> के 12 डिप्टी कमिश्नरों (वि०अनु०शा०)<sup>84</sup> ने किये गये कार्यों का विवरण नहीं रखा। शेष छः जोन<sup>85</sup> के डिप्टी कमिश्नर (वि०अनु०शा०) कार्यालयों<sup>86</sup> से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ii) 10 वि०अनु०शा० जोनों<sup>87</sup> ने कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर आरोपित कर और उसकी वसूली से सम्बन्धित विवरण को प्राप्त करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। मात्र मुरादाबाद जोन ने कर वसूली से सम्बन्धित आंकड़े

उपलब्ध कराये। तीन जोनों<sup>88</sup> से आंकड़े प्राप्त नहीं हुये।

उक्त के अतिरिक्त हमने एडीशनल कमिश्नर (वि०अनु०शा०) ग्रेड-II की कार्यप्रणाली में भी कमियाँ पायीं क्योंकि वि०अनु०शा० इकाइयों को जारी दिशा निर्देशों का विवरण, संगोष्ठी के कार्यवृत्त का विवरण, किये गये सामयिक निरीक्षण का विवरण, न्यूनतम एक ट्रान्सपोर्टर के गोदाम तथा उस दिन पूरे चौबीस घंटे तक उक्त ट्रान्सपोर्टर के समस्त वाहनों की सघन जाँच का विवरण, रेलवे द्वारा परिवहित माल के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण, अन्य सरकारी विभागों जैसे-आयकर, केन्द्रीय उत्पाद तथा खाद्य एवं रसद विभाग, बड़े आपूर्तिकर्ताओं एवं विभिन्न राजकीय विभागों के ठेकेदारों के पैन् के आधार पर संकलित सूचना का आदान प्रदान (साझा) करना संबंधी विवरण केवल

<sup>81</sup> परिपत्र सं०: ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु-57/स०प०/वि०अनु०शा० व्यवस्था परिवर्तन/2013-14/1047 दिनांक 13.09.2013।

<sup>82</sup> रेलवे कन्टेनर डिपो, रेलवे/मण्डी समिति द्वारा परिवहित माल की जाँच करके करापवंचन की सूचनायें एकत्रित करना, महत्वपूर्ण माल के सम्बन्ध में व्यापारियों का प्रोफाइल तैयार करना, निर्माताओं द्वारा उपभोग की गयी बिजली की सूचना एकत्रित करना, माल एवं संयंत्र तथा मशीनरी के राइट दू यूज के हस्तान्तरण की सूचना, अन्य सरकारी विभागों जैसे आयकर, केन्द्रीय उत्पाद, खाद्य एवं रसद विभाग से करापवंचनको की सूचना एकत्र करना, ठेकेदारों के पैन् का संकलन, कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रतिवेदनों पर आरोपित कर का मिलान करना।

<sup>83</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर I एवं II, मेरठ और सहारनपुर

<sup>84</sup> आगरा ए एवं बी, बरेली ए एवं बी, झांसी, कानपुर ए, सी एवं डी, मथुरा, मेरठ ए एवं बी, सहारनपुर ए

<sup>85</sup> गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-1, गोरखपुर, लखनऊ-1, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

<sup>86</sup> गोरखपुर ए एवं बी, मुरादाबाद ए एवं बी, सहारनपुर बी, वाराणसी ए एवं बी

<sup>87</sup> आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर 1 एवं 2, लखनऊ-1, सहारनपुर एवं वाराणसी-1

<sup>88</sup> गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-1 एवं मेरठ

पाँच जोन<sup>89</sup> में उपलब्ध थे। इन पाँच जोनों में से केवल तीन जोनों<sup>90</sup> में निर्माता इकाइयों में किये गये सर्वेक्षण व अभिग्रहण के ही विवरण उपलब्ध थे। इस प्रकार पर्यवेक्षी व निगरानी नियंत्रण में निदेशन का अभाव था तथा उद्देश्यपूर्ण नहीं रहा। शेष नौ जोनों<sup>91</sup> से सूचनायें/आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा कहा कि मैनुअल में दिये गये प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत<sup>92</sup> कर दिये गये हैं।

### 2.8.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों को तर्कपूर्ण प्रभाव के साथ व्यवस्थित रूप से लागू करने में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्यतः परिभाषित है कि यह सभी नियंत्रणों पर नियन्त्रण है। आन्तरिक नियन्त्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करापवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध उचित सुरक्षा के लिए वित्तीय और प्रबन्धन की विश्वसनीय सूचना प्रणाली के सृजन करने में भी मदद करता है।

हमने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के मध्य आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित सचल दल इकाइयों के संबंध में सूचनायें कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर से एकत्र किया और पाया कि क्रमशः 129, 136, और 134 सचल दल इकाइयाँ आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गयीं। पुनः कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इन इकाइयों द्वारा जमा का मात्र कोषागार से सत्यापन किया गया और अन्य कोई अभिलेख नहीं जाँचे गये थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि सचल दल इकाइयों को विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित नहीं किया जाता है। वि0अनु0शा0 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। चूँकि प्रवर्तन शाखा वाणिज्य कर विभाग का अभिन्न अंग है अतः इसके सभी पक्षों को आन्तरिक लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

समापन विचारगोष्ठी में शासन ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को भविष्य में सचल दल इकाइयों के समस्त अभिलेखों जैसे डिटेंशन मेमो, कारण बताओ नोटिस, अभिग्रहण आदेश, गोदाम पंजी, पंजी-5, भौतिक सत्यापन रजिस्टर, मामलों की पत्रावलियाँ, नगद जमानत जमा करने का रजिस्टर, रोकड़ बही आदि की जाँच हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

### 2.8.12 निष्कर्ष

समीक्षा में उजागर हुआ कि टी.डी.एफ. एवं फार्म 38 के निर्गत करने एवं खारिज/जमा में कमियाँ थी। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि टी.डी.एफ. के आनलाइन प्रणाली में निवेश एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली में खामियाँ थी। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा तथा प्रवर्तन शाखा के मध्य समन्वय का अभाव है तथा प्रवर्तन शाखा को डाटा एन्ट्री के आँकड़े समय से प्राप्त नहीं हो रहे थे। बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारियों/ट्रान्सपोर्टर्स को ढूँढ़ निकालने हेतु कोई माड्यूल विद्यमान नहीं है। विद्यमान सचल दल इकाइयों में संचालनात्मक खामियाँ थीं, नियंत्रण कक्ष असंचालित थे तथा सचल दल अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में उपलब्ध सूचनाओं से प्रतिसत्यापन हेतु कोई उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे। सचल दल इकाइयों द्वारा अभिग्रहण तथा वि0अनु0शा0 द्वारा प्रतिकूल सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित अर्थदण्ड/कर सम्बन्धी अनुपालन एवं पर्यवेक्षण का अभाव था।

<sup>89</sup> आगरा, गाजियाबाद-1, झाँसी, लखनऊ-1 एवं वाराणसी-1।

<sup>90</sup> गाजियाबाद-1, लखनऊ-1 एवं वाराणसी-1।

<sup>91</sup> अलीगढ़, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, कानपुर 1 एवं 2, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर।

<sup>92</sup> परिपत्र सं०: ज्या0कमि0 (वि0अनु0शा0) मु-57/स0प0/वि0अनु0शा0 व्यवस्था परिवर्तन/2013-14/1047 दिनांक 13.09.2013।

### 2.8.13 संस्तुतियाँ

कमियों में सुधार हेतु शासन निम्नलिखित संस्तुतियों के क्रियान्वयन पर विचार कर सकता है:

- फार्म-38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाइन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना।
- टी.डी.एफ. हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।
- बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टर्स का डाटाबेस रखने हेतु माड्यूल विकसित करना।
- प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आंकड़ों का प्रयोग कर सकें।
- प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित/वसूले गये कर के संबंध में निगरानी/अनुश्रवण तंत्र स्थापित करना।



## 2.9 लेखा परीक्षा प्रेक्षण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में ना लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरो में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं। कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखा परीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आती हैं।

## 2.10 कर का अनारोपण/कम आरोपण

क०नि०प्रा० ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरो में उल्लिखित है:

### 2.10.1 व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर की गलत दर लगाये जाने से कर का अनारोपण/कम आरोपण

उ०प्र० व्यापार कर (उ०प्र०व्या०क०) अधिनियम 1948 की धारा 3 क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर (उ०प्र०मू०सं०क०) अधिनियम 2008 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वो अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (के०बि०क०) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत फार्म 'सी' या फार्म 'डी' में घोषणापत्र से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 31 मार्च 2007 तक 10 प्रतिशत अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर दोनों में जो भी अधिक हो की दर से कर आरोपणीय है एवं 1 अप्रैल 2007 से उस दर से कर आरोपणीय है जो कि उस राज्य में लागू हो।

हमने नवम्बर 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य 75 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा०क०का०)<sup>93</sup> में देखा<sup>94</sup> कि 95 व्यापारियों द्वारा ₹ 33.79 करोड़ मूल्य के माल की 2002-03 से 2009-10 के मध्य बिक्री पर वैट अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय जुलाई 2007 से मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.36 करोड़ व्यापार कर (व्या०क०)/मूल्य संवर्धित कर (मू०सं०क०) का अनारोपण/कम आरोपण

हुआ।

हमारे द्वारा इन मामलों को दिसम्बर 2008 एवं मई 2013 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) 25 मामलों में ₹ 69.49 लाख कर आरोपित कर दिया जिसमें से ₹ 8.91 लाख की वसूली की जा चुकी है। छः अन्य मामलों में विभाग द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

<sup>93</sup> डि०क० खण्ड-3 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-5 इलाहाबाद, अ०सि०क० खण्ड-11 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-8 आगरा, डि०क० खण्ड-10 आगरा, अ०सि०क० खण्ड-19 आगरा, डि०क० खण्ड-2 अमरोहा, डि०क० खण्ड-2 बाराबंकी, डि०क० खण्ड-5 बरेली, डि०क० खण्ड-3 बहराइच, डि०क० खण्ड-3 एटा, डि०क० खण्ड-2 इटावा, डि०क० खण्ड-1 फतेहगढ़, ज्वा०क० (कार्पो०स०) फैजाबाद, ज्वा०क० (कार्पो०स०) अ गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-10 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-17 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-2 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-3 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-4 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-10 गाजियाबाद, अ०सि०क० खण्ड-11 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-3 गौतमबुधनगर, अ०सि०क० खण्ड-1 गौतमबुधनगर, डि०क० खण्ड-2 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-9 गोरखपुर, अ०सि०क०-4 गोरखपुर, अ०सि०क० खण्ड-10 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-1 हरदोई, डि०क० खण्ड-5 कानपुर, डि०क० खण्ड-10 कानपुर, डि०क० खण्ड-17 कानपुर, डि०क० खण्ड-24 कानपुर, डि०क० खण्ड-27 कानपुर, डि०क० खण्ड-28 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-5 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-6 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-11 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-16 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-17 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-19 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-20 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-27 कानपुर, अ०सि०क० खण्ड-29 कानपुर, अ०सि०क० कौशाम्बी, डि०क० खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, अ०सि०क० खण्ड-1 लखीमपुर खीरी, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-5 लखनऊ, डि०क० खण्ड-13 लखनऊ, डि०क० खण्ड-14 लखनऊ, डि०क० खण्ड-16 लखनऊ, डि०क० खण्ड-17 लखनऊ, डि०क० खण्ड-20 लखनऊ, अ०सि०क० खण्ड-16 लखनऊ, अ०सि०क० खण्ड-20 लखनऊ, डि०क० खण्ड-7 मुरादाबाद, डि०क० खण्ड-6 मेरठ, अ०सि०क० खण्ड-6 मेरठ, अ०सि०क० खण्ड-8 मेरठ, डि०क० खण्ड-4 नोएडा, डि०क० खण्ड-5 नोएडा, डि०क० खण्ड-12 नोएडा, डि०क० खण्ड-14 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-6 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-14 नोएडा, अ०सि०क० खण्ड-3 ओराई, अ०सि०क० खण्ड-2 शाहजहांपुर, अ०सि०क० खण्ड-4 सीतापुर, अ०सि०क० खण्ड-11 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-3 वाराणसी एवं डि०क० खण्ड-15 वाराणसी।

<sup>94</sup> निर्धारित द्वारा दाखिल कर विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावली।

### 2.10.2 आरजीजीवीवाई (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) योजना में माल की बिक्री पर कर का अनारोपण

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0 व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 3 क के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 'एच' के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख से अधिक कुल वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर 1 मई 2005 से 1 प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। पुनश्च, उ0प्र0 सरकार ने 13 जुलाई 2006 को जारी विज्ञापित के अन्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में ही प्रयोग के लिए राज्य के बाहर से आयातित इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर विज्ञापित के जारी होने की तिथि से योजना के पूर्ण होने की तिथि तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान की गई है।

हमने मार्च 2012 में डि0क0 खण्ड-3 सीतापुर के अभिलेखों<sup>95</sup> की जाँच में देखा कि एक व्यापारी ने<sup>96</sup> वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 (12 जुलाई 2006 तक) की अवधि में आरजीजीवीवाई योजना के लिए कार्य कर रहे संविदाकारों को 12 जुलाई 2006 तक ₹ 43.33 करोड़ के इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री की। क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2010 में कर निर्धारण के समय आरजीजीवीवाई योजना में वर्ष 2005-06 एवं 12 जुलाई 2006 तक प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल गुड्स की बिक्री पर करमुक्ति का गलत लाभ दिया जबकि करमुक्ति<sup>97</sup> 13 जुलाई

2006 से प्रभावी थी। इस गलत कर मुक्ति के परिणामस्वरूप विकास कर सहित ₹ 4.77 करोड़ के कर का अनारोपण<sup>98</sup> हुआ।

हमारे द्वारा इस मामले को विभाग एवं शासन को मई 2012 को इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) ₹ 4.64 करोड़ का कर आरोपित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

### 2.10.3 माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराये पर कर का कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 एफ सपटित 14 नवम्बर 2000 की विज्ञापित के अनुसार 15 नवम्बर 2000 से किसी माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

हमने डि0क0 खण्ड-13 इलाहाबाद के अभिलेखों की जून 2012 में जाँच के दौरान देखा<sup>99</sup> कि क0नि0प्रा0 ने एक व्यापारी का दिसम्बर 2011 में कर निर्धारण करते समय मशीनरी एवं उपकरणों के

प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त किराया ₹ 23.64 करोड़ पर पाँच प्रतिशत के स्थान पर त्रुटिपूर्ण चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.64 लाख का कम कर आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि ₹ 23.64 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

<sup>95</sup> क0नि0आ0 एवं व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियाँ।

<sup>96</sup> अधि0 अभि0 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वत्सगंज सीतापुर।

<sup>97</sup> क0नि0-2-1283/XI-9(24)/2006 उ0प्र0 अधिनियम/15-48 आदेश-(12)-2006 दिनांक 13 जुलाई 2006।

<sup>98</sup> व्यापार कर ₹ 4.33 करोड़ रा0वि0क0 ₹ 43.33 लाख।

<sup>99</sup> कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावली।

### 2.10.4 टाफी एवं कन्फेक्शनरी गुड्स की बिक्री पर कर का कम आरोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा-4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय-समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। टाफी एवं कन्फेक्शनरी की मदें अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं।

हमने 11 वा0क0का0 में देखा<sup>100</sup> कि क0नि0प्रा0 ने अवधि 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक) एवं 2008-09 के लिए 12 व्यापारियों का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 8.01 करोड़ मूल्य के ब्रान्डेड<sup>101</sup> टाफी एवं कन्फेक्शनरी मदों की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 68.05 लाख कम कर आरोपित हुआ जो सारणी क्रमांक 2.20 में दर्शाया गया है:-

सारणी क्रमांक 2.20

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि०क० खण्ड-8 वा०क० आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	टाफी (v)	14.00	12.5/4	1.19
2	डि०क० खण्ड-11 वा०क० अलीगढ़	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	कन्फेक्शनरी उत्पाद (v)	10.74	12.5/4	0.91
			2008-09 (जनवरी 2012)		33.91	12.5/4	2.88
3	वा०क०अ० खण्ड-9 वा०क० अलीगढ़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	टाफी कन्फेक्शनरी (v)	10.81	12.5/4	0.92
4	असि० क० खण्ड-1 वा०क० छात्रपति शाहूजी महाराज नगर (गौरी गंज)	1	2008-09 (फरवरी 2012)	कन्फेक्शनरी टाफी एवं च्यूंग गम (v)	1.27	12.5/4	0.11
5	असि०क० खण्ड-8 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	53.04	12.5/4	4.51
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	53.13	12.5/4	4.52
6	डि०क० खण्ड-1 वा०क० गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	टाफी एवं टाफी गम (कन्फेक्शनरी उत्पाद) (v)	22.16	12.5/4	1.88
7	डि०क० खण्ड-2 वा०क० गोण्डा	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	कन्फेक्शनरी (v)	13.32	12.5/4	1.13
8	डि०क० खण्ड-10 वा०क० गोरखपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	टाफी (v)	7.68	12.5/4	0.65
9	डि०क० खण्ड-3 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	कन्फेक्शनरी (टाफी) (v)	60.06	12.5/4	5.10
10	असि०क० खण्ड-10 वा०क० नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी आइटम (v)	101.82	12.5/4	8.65
11	डि०क० खण्ड-4 वा०क० सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	कन्फेक्शनरी (v)	418.85	12.5/4	35.60
<b>योग</b>		<b>12</b>			<b>800.79</b>		<b>68.05</b>

<sup>100</sup> निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलियों।

<sup>101</sup> एल्येनलिबे, सेन्टर फ्रेश, क्लोरमिंट, फिली-फाली, फ्रूटला एवं मेन्टस इत्यादि।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2012 एवं मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित करने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9 एवं 11 में वर्णित मामलों में ₹ 53.66 लाख का कर आरोपित कर दिया। शेष मामलों में कर आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

### 2.10.5 अनियमित स्टॉक ट्रांसफर पर कर का अनारोपण

क०बि०क० अधिनियम 1956 की धारा 4 सपटित धारा 3 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल की दशा में जब विक्रय संविदा की जाय एवं अभिनिश्चित या विशिष्ट माल की दशा में विक्रेता या क्रेता द्वारा विक्रय संविदा के प्रति उसके विनियोग के समय चाहे दूसरे पक्ष की अनुमति ऐसे विनियोग के पूर्व या पश्चात की हो तो किसी राज्य के भीतर माल का विक्रय या क्रय हुआ माना जाता है तब ऐसा विक्रय या क्रय अन्य सभी राज्यों के बाहर हुआ समझा जायेगा। पुनश्च, सर्वश्री भारत कार्बन रिबन मैनुफैक्चरिंग क० लि० बनाम हरियाणा राज्य 2005 एन०टी०एन० के मामले में ग्राहक के साथ हुए संविदा के अन्तर्गत निश्चित विशेषताओं के साथ निर्मित वस्तुओं की अन्ततः उसी ग्राहक को की गयी आपूर्ति एवं बिक्री को प्रान्त के बाहर डिपो शाखा को हस्तान्तरण स्टॉक ट्रांसफर नहीं माना गया।

इस तथ्य की जांच नहीं की कि पूर्व में किये गये क्रय आदेश के अनुसार निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति विशेष ग्राहकों को करना स्टॉक ट्रांसफर नहीं था। न्यायिक निर्णय एवं अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद क०नि०प्रा० ने उसे अनुचित रूप से स्टॉक ट्रांसफर मानते हुए उस पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग/शासन को दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर कई अनुस्मारकों के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2013)।

हमने अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य ज्वाइंट कमिश्नर (कार्पोरेट) नोएडा के अभिलेखों<sup>102</sup> में देखा कि एक व्यापारी ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान अपने देहरादून एवं मोहाली स्थित शाखाओं को क्रय आदेश में दिये गये विशेषताओं के साथ माल के विवरण के अनुसार ₹ 67.67 करोड़ के माल (सीटीवी/डीवीडी कम्पोनेन्ट/प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड) की आपूर्ति की। क०नि०प्रा० ने मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

<sup>102</sup> कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

## 2.10.6 धान की भूसी की खरीद पर कर का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अनुसूची-I में वर्गीकृत माल किसी भी बिन्दु पर कर योग्य नहीं है एवं जो वस्तुएं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूची-II से IV तक वर्गीकृत नहीं हैं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यदि अपंजीकृत व्यापारी से किसी वस्तु की खरीद की जानी है तो उस वस्तु पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है कर के भुगतान का दायी होगा। पशु आहार एवं पशुचारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चोकर, जवी, ज्वार, तेल रहित राइस पालिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क या धान का बाहरी छिलका शामिल है को अनुसूची-I के क्रमांक 4 के अनुसार कर मुक्ति प्रदान की गयी है। धान का बाहरी छिलका जो धान की भूसी के रूप में जाना जाता है, जो तेल रहित न हो एवं जिसका प्रयोग पशु आहार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो इस प्रविष्टि से आच्छादित नहीं है एवं इस पर अधिनियम के अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5 की दर से कर देयता है।

हमने चार वाणिज्य कर कार्यालयों में अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा<sup>103</sup> कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) एवं 2008-09 के दौरान ₹ 34.42 करोड़ मूल्य के धान की भूसी अथवा धान के बाहरी छिलके की खरीद अपंजीकृत विक्रेताओं से खरीद कर इसका प्रयोग अपने निर्माण संयंत्रों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया। धान की भूसी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया, जबकि पशुचारा के रूप में ही तेल रहित धान की भूसी वैट से मुक्त है। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी या धान के बाहरी छिलके की खरीद पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया, जैसा सारणी क्रमांक 2.21 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.21

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर की धनराशि
1	ज्वा0क0 (काप0स0) वा0क0 इटावा मुख्यालय फिरोजाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	ईंधन के रूप में प्रयुक्त धान की भूसी (अनुसूची-V)	94.30	12.5/0	11.79
2	डि0क0 खण्ड-16 वा0क0 कानपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)		149.28	12.5/0	18.66
3	डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 सम्मल	1	2007-08 (वैट) (नवम्बर 2010)		331.32	12.5/0	41.41
			2008-09 (नवम्बर 2010)		2697.10	12.5/0	337.14
4	डि0क0 वा0क0 सिकन्दराबाद	1	2008-09 (फरवरी 2011)		170.37	12.5/0	21.30
	<b>योग</b>	<b>4</b>			<b>3442.37</b>		<b>430.30</b>

हमारे द्वारा मामले को विभाग/शासन को अगस्त 2012 एवं मई 2013 के मध्य प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि धान के बाहरी छिलके में तेल नहीं होता है एवं यह अनुसूची-I के प्रविष्टि संख्या-4 से आच्छादित है। हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि पशु चारा के रूप में प्रयुक्त तेल रहित पैडी हस्क पर ही कर मुक्ति है इन प्रकरणों में पैडी हस्क का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया है न कि पशु आहार के रूप में। अतः इस खरीद/बिक्री पर ₹ 4.30 करोड़ का कर आरोपणीय था।

<sup>103</sup> कर निर्धारण पत्रावलियों एवं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणियों से।

## 2.10.7 ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसफार्मर के पुर्जों की बिक्री पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रांसफार्मर अनुसूची-II में दिनांक 29 सितम्बर 2008 तक वर्गीकृत था एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य था। इस तिथि के पश्चात् ट्रांसफार्मर को अनुसूची-II से हटा दिया गया और यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हो गया। ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं ट्रांसफार्मर का तेल अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं है।

हमने पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों<sup>104</sup> की दिसम्बर 2011 एवं नवम्बर 2012 के मध्य जाँच में देखा कि पाँच व्यापारियों का वर्ष 2007-08 (वैट) से 2008-09 की अवधि का मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2008 से सितम्बर 2008 के मध्य

किये गये ₹ 5.20 करोड़ के ट्रांसफार्मर, इनके पुर्जों एवं ट्रांसफार्मर के तेल की बिक्री पर गलत दर से कर आरोपित किया। इस गलत करारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 44.22 लाख का कम कर आरोपित हुआ, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.22 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.22

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड-5 वा0क0 कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे एवं तेल (v)	112.91	12.5 / 4	9.60
2	डि0क0 खण्ड-6 वा0क0 झाँसी	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पुर्जे (v)	30.66	12.5 / 4	2.61
3	डि0क0 खण्ड-16 वा0क0 लखनऊ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर का तेल (v)	13.42	12.5 / 4	1.14
4	डि0क0 खण्ड-6 वा0क0 मेरठ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	ट्रांसफार्मर (v)	186.03	12.5 / 4	15.81
5	डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 मेरठ	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	ट्रांसफार्मर (v)	177.18	12.5 / 4	15.06
<b>योग</b>		<b>5</b>			<b>520.20</b>		<b>44.22</b>

हमने मामले को सितम्बर 2012 एवं नवम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। उत्तर में (दिसम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 3 पर वर्णित एक मामले में विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए ₹ 1.14 लाख का कर आरोपित कर दिया। अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भी शेष मामलों के उत्तर एवं वसूली की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

## 2.10.8 ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन पर 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। ट्रैक्टर एवं अटैचमेन्ट अनुसूची-II में वर्गीकृत है एवं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य है ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-II से IV में शामिल नहीं है।

हमने तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों की सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2012 के मध्य परीक्षण में देखा कि पाँच व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008-09 के लिए क0नि0प्रा0 ने जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

समय ₹ 3 करोड़ के ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की बिक्री पर गलत दर से कर

<sup>104</sup> निर्धारितों द्वारा दाखिल विवरणी एवं कर निर्धारण पत्रावलियाँ।

आरोपित किया। जैसा कि ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर अनुसूची-I से IV में शामिल नहीं है अतः उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। हमने पाया कि व्यापारी द्वारा दाखिल विवरणियों/कर बीजकों में ट्रैक्टर के सहायक उपस्करों की खरीद बिक्री का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, परन्तु क0नि0अ0 ने तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया। कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 25.52 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2.23 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 2.23

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि०क० खण्ड-14 वा०क० आगरा	1	2008-09 (जुलाई 2011)	ट्रैक्टर के सहायक उपस्कर (v)	15.11	12.5/4	1.28
2	डि०क० खण्ड-6 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (फरवरी 2012)		46.71 (प्रा०)	12.5/4	3.97
					99.93 (के०)	12.5/4	8.49
		1	2008-09 (फरवरी 2012)		84.92	12.5/4	7.22
					3.69(प्रा०)	12.5/4	0.31
					36.02 (के०)	12.5/4	3.06
3	असि०क० खण्ड-8 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	13.98	12.5/4	1.19	
योग		5			300.36		25.52

हमने प्रकरण विभाग/शासन को नवम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रतिवेदित किया, अनेक अनुस्मारकों के उपरान्त भी उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

### 2.10.9 पेन्ट पर कर का कम आरोपण

जो वस्तुएं अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं उन 1 जनवरी 2008 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। पेन्ट अनुसूची-I से IV में सम्मिलित नहीं है। यह न्यायिक रूप से निर्णीत\* है कि यदि किसी वस्तु का प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इस पर उस विशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत कर देयता है जहां यह वस्तु वर्गीकृत है।

\* सर्वश्री प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल (प्रा०) लिमिटेड बनाम कमिश्नर केन्द्रीय उत्पाद के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों में फरवरी 2013 एवं मार्च 2013 के मध्य देखा कि दो व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008-09 की अवधि का कर निर्धारण अक्टूबर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य करते समय क०नि०प्रा० ने ₹ 13.78 करोड़ के पेन्ट (पाउडर कोटिंग) एवं पेन्ट ड्रायर को अनुसूची-V में वर्गीकृत करने के बजाय इन्हें

इपोक्सी रेजिन एवं केमिकल मिश्रण मानते हुए गलत दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। जबकि सभी पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर पेन्ट में कार्य में प्रयुक्त होता है एवं पेन्ट अनुसूची-I से IV में वर्गीकृत नहीं है इन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था न कि चार प्रतिशत की दर से। पाउडर कोटिंग एवं पेन्ट ड्रायर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। विवरण सारणी क्रमांक 2.24 में दर्शाया गया है:



सारणी क्रमांक 2.24

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि०क० खण्ड-5 वा०क० मुरादाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	पेन्ट पाउडर कोटिंग (v)	142.57	12.5 / 4	12.12
2	ज्वा०क० (कार्पो० सं०)-1 वा०क० वाराणसी	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	पेन्ट ड्रायर (v)	1235.25	12.5 / 4	104.99
योग		2			1,377.82		117.11

हमने मामले को विभाग/शासन को अप्रैल 2013 एवं जून 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर में बताया कि ये वस्तुएँ पालिशिंग मैटीरियल/केमिकल का मिश्रण है जो अनुसूची-II ए के प्रविष्टि 29 में शामिल है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रविष्टि 29 में ये वस्तुएँ शामिल नहीं हैं। जैसा कि पेन्ट ड्रायर एवं पेन्ट (पाउडर कोटिंग) विशेष रूप से विशिष्ट प्रयोजन के प्रयोग के लिए पेन्ट कम्पनियों<sup>105</sup> को बेचे गये थे उपर्युक्त वर्णित न्यायिक अभिमत के आलोक में वे अवर्गीकृत हैं एवं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

2.11 क्रय कर का अनारोपण

उ०प्र०व्या० कर अधिनियम की धारा 3कककक के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यापारी जो किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति जिसके लिए वह कर योग्य है या नहीं से वह उस वस्तु के क्रय पर उसी दर से जिस दर से उसकी बिक्री पर कर देय है क्रय कर के भुगतान का दायी होगा।

हमने जून 2009 एवं मई 2011 के मध्य दो वा०क०का० के अभिलेखों<sup>106</sup> में देखा कि दो व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में अपंजीकृत व्यापारियों से ₹ 1.89 करोड़ की खरीद

की। क०नि०प्रा० ने नवम्बर 2008 एवं जनवरी 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय रिटर्नों की जांच नहीं की और अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये ₹ 1.89 करोड़ के माल पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.13 लाख का कर अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.25 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.25

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	डि०क० वा०क० डिबाई बुलन्दशहर	1	2006-07 (नवम्बर 2008)	टिम्बर	52.79	2.5	0	1.32
2	डि०क० खण्ड-8 वा०क० कानपुर	1	2006-07 (अक्टूबर 2010)	टिन कन्टेनर	96.47	5	0	4.82
			2007-08 (1.4.07 से 31.12.07 तक) (जनवरी 2011)		39.79	5	0	1.99
योग		2			189.05			8.13

<sup>105</sup> पेन्ट बनाने वाली कम्पनी को बिक्री जिनके नाम हैं:- एशियन पेन्ट्स लि० (विभिन्न इकाइयों), बर्जर पेन्ट्स इंडिया लि० राजदूत डिवीजन जम्मू, कामधेनु पेन्ट (कामधेनु इस्पात लि०) का डिवीजन अलवर राजस्थान, मोनार्क पेन्ट्स, पंजाब पेन्ट्स कलर (प्रा०) लि० कानपुर, नेरोलेक पेन्ट्स लि० कानपुर इत्यादि।

<sup>106</sup> व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियाँ।

हमने विभाग एवं शासन को जुलाई 2009 से जून 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया। विभाग ने आपत्ति को पूर्णरूप से स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013) ₹ 8.13 लाख का कर आरोपित किया। वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

## 2.12 अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम अर्थदण्ड के आरोपण एवं ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.10 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण एवं ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तारों में उल्लिखित है।

### 2.12.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(ए) एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54 (1)(1) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे देय कर का न्यूनतम 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर ₹ 10,000 से अधिक हो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत तथा देय कर का 20 प्रतिशत उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत अदा करें।

हमने अक्टूबर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य 22 वा0क0का0<sup>107</sup> में देखा<sup>108</sup> कि 27 व्यापारियों ने अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए ₹ 5.49 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था विलम्ब की अवधि चार से 844 दिनों तक की थी क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 99.47 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को नवम्बर 2009 एवं फरवरी 2013 के मध्य प्रकरणों को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार (अगस्त 2013) किया और 12 मामलों में ₹ 79.61 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। शेष मामलों कार्यवाही प्रारम्भ व वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2013)।

### 2.12.2 टर्नओवर/अपवंचित देय कर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(सी) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है जो वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

2.12.2.1 हमने जुलाई 2009 एवं जून 2012 के मध्य सात वा0क0का0 में देखा<sup>109</sup> कि सात व्यापारियों ने अवधि 2000-01 से 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के दौरान ₹ 4.21 करोड़ विक्रय टर्नओवर को छिपाया था, जिस पर क0नि0प्रा0 द्वारा

<sup>107</sup> डि0क0 खण्ड-2 इलाहाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) बरेली, डि0क0 खण्ड-3 बुलन्दशहर, डि0क0 खण्ड-1 बस्ती, डि0क0 खण्ड-4 बाराबंकी, डि0क0 खण्ड-3 एटा, ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-अ गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-ब गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-18 गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) गौतमबुद्ध नगर, डि0क0 खण्ड-6 झांसी, डि0क0 खण्ड-25 कानपुर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) जौन-1 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-5 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-14 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-15 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-22 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-3 नोयडा, डि0क0 खण्ड-11 नोयडा, असि0क0 खण्ड-9 नोयडा, डि0क0 खण्ड-12 सहारनपुर।

<sup>108</sup> व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

<sup>109</sup> व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली।

फरवरी 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य ₹ 37.26 लाख का कर आरोपित किया गया परन्तु क0नि0प्रा0 ने ₹ 18.63 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.26 दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.26

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	छिपाया गया टर्नओवर	छिपाये गये टर्नओवर पर लगाया गया कर	न्यूनतम अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-1 वा०क० चन्दौली	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (जनवरी 2012)	55.46	2.22	1.11
2	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) (अगस्त 2011)	32.89	2.63	1.32
3	असि०क० खण्ड-29 वा०क० कानपुर	1	2005-06 (जुलाई 2010)	207.35	22.81	11.40
4	डि०क० खण्ड-1 वा०क० मऊ	1	2000-01 (फरवरी 2007)	5.23	0.57	0.28
			2001-02 (फरवरी 2007)	22.14	1.56	0.78
			2002-03 (फरवरी 2007)	12.24	1.28	0.64
5	असि०क० खण्ड-8 वा०क० मुरादाबाद	1	2000-01 (अगस्त 2002)	19.16	1.67	0.84
6	असि०क० खण्ड-8 वा०क० नोयडा	1	2005-06 (अप्रैल 2010)	31.00	3.10	1.55
7	डि०क० खण्ड-13 वा०क० वाराणसी	1	2000-01 (दिसम्बर 2010)	35.44	1.42	0.71
योग		7		420.91	37.26	18.63

हमारे द्वारा विभाग/शासन को सितम्बर 2009 एवं जुलाई 2012 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने अपने उत्तर में हमारी आपत्तियों (दिसम्बर 2013) को स्वीकार करते हुए तीन मामलों<sup>110</sup> में ₹ 25.22 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जिसमें से अब तक ₹ 1.55 लाख की वसूली हो चुकी है। विभाग ने दो अन्य मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष दो मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहां पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क०नि०प्रा० व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

**2.12.2.2** हमने अगस्त 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 44 वा०क०का<sup>111</sup> के अभिलेखों<sup>112</sup> में देखा कि 55 व्यापारियों ने अवधि 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) से 2010-11 के मध्य

₹ 23.57 करोड़ खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया गया था। क०नि०प्रा० ने दिसम्बर 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 1.09 करोड़ कर आरोपित किया। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारियों ने

<sup>110</sup> सारणी 2.26 के क्रम संख्या 3, 4 एवं 7

<sup>111</sup> डि०क० खण्ड-12 आगरा, असि०क० खण्ड-16 आगरा, डि०क० खण्ड-5 अलीगढ़, डि०क० खण्ड-2 बदायूं, डि०क० खण्ड-4 बाराबंकी, डि०क० खण्ड-3 बरेली, डि०क० खण्ड-4 बुलन्दशहर, डि०क० खण्ड-1 चन्दौली, असि०क० खण्ड-1 चन्दौली, डि०क० खण्ड-1 फैजाबाद, डि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-18 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-4 गोण्डा, डि०क० खण्ड-12 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-1 कानपुर, डि०क० खण्ड-12 कानपुर, डि०क० खण्ड-16 कानपुर, डि०क० खण्ड-17 कानपुर, डि०क० खण्ड-18 कानपुर, डि०क० खण्ड-28 कानपुर, डि०क० खण्ड-29 कानपुर, असि०क० खण्ड-1 कानपुर, असि०क० खण्ड-2 कानपुर, असि०क०(इन्चार्ज) कौशाम्बी, असि०क० खण्ड-16 लखनऊ, डि०क० खण्ड-2 महाराजगंज, असि०क० खण्ड-5 मथुरा, डि०क० खण्ड-2 मिर्जापुर, असि०क० खण्ड-7 मुरादाबाद, असि०क० खण्ड-8 मुरादाबाद, असि०क० खण्ड-4 मुजफ्फरनगर, ज्वा०क० (कार्पोसि०)-1 नजीबाबाद, डि०क० खण्ड-1 नजीबाबाद, डि०क० खण्ड-6 नोयडा, डि०क० खण्ड-8 नोयडा, डि०क० खण्ड-9 नोएडा, डि०क० खण्ड-10 नोएडा, असि०क० खण्ड-2 नोएडा, असि०क० खण्ड-6 नोएडा, डि०क० खण्ड-1 प्रतापगढ़, डि०क० खण्ड-6 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-1 सोनभद्र एवं डि०क० खण्ड-8 वाराणसी।

<sup>112</sup> व्यापारियों का अंतिम क०नि०अ०, स्वीकृत कर जो व्यापारियों द्वारा जमा कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकारियों का आदेश।

(दिसम्बर 2010 और सितम्बर 2012 के मध्य) व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर/देय कर का अपवंचन की पुष्टि की या व्यापारियों द्वारा इसे स्वयं स्वीकार<sup>113</sup> करते हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया गया, सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने ₹ 3.27 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा विभाग/शासन को सितम्बर 2011 एवं मई 2013 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्तियों को स्वीकार (सितम्बर 2013) करते हुए 20 मामलों में ₹ 48.58 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद इन मामलों में वसूली की स्थिति और अन्य शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

### 2.12.3 मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा-15 ए (1)(एल) के अन्तर्गत कोई व्यापारी जो मिथ्या प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी करता है या प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कर आरोपणीय नहीं रह जाता तो वह कर के अतिरिक्त ऐसे कर की धनराशि जो बचा ली गयी होती के 50 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की राशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करेगा।

हमने नवम्बर 2009 एवं जुलाई 2011 के मध्य देखा<sup>114</sup> कि दो व्यापारियों ने मिथ्या घोषणा पत्र जारी अथवा प्रस्तुत किया था जिसके कारण वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 के मध्य की गई खरीद अथवा बिक्री ₹

11.43 लाख पर कर आरोपित नहीं हुआ तथापि क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य इन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय न्यूनतम ₹ 5.72 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। नीचे दी गई सारणी क्रमांक 2.27 में विवरण दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.27

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	टर्नओवर	मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके बचाया गया कर	आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड-5 वा0क0 मथुरा	2002-03 (अप्रैल 2008)	रोड़ी, गिट्टी, बदरपुर एवं बालू	42.13	1.88	0.94
2	ज्वा0क0 (कापौ0स0) वा0क0 राबर्टसगंज सोनभद्र	2004-05 (मार्च 2011)	एलुमिनियम इन्गट एवं रिडा राइस	159.25	9.55	4.78
<b>योग</b>				<b>201.38</b>	<b>11.43</b>	<b>5.72</b>

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं सितम्बर 2011 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार (अगस्त 2013) किया और बताया कि अर्थदण्ड के आरोपण की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है; अब तक ₹ 46,000 की वसूली हो चुकी है।

<sup>113</sup> डि0क0 खण्ड-3 बरेली, के एक मामले व्यापारी द्वारा क0नि0प्रा0 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गयी।

<sup>114</sup> व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0 आदेश एवं पत्रावलियाँ।

## 2.12.4 कम काटे गये/विलम्ब से जमा सकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा-8 डी (6) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को सकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरुद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क०नि०प्रा० ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

**2.12.4.1** हमने सितम्बर 2011 एवं अगस्त 2012 के मध्य 13 वा०क०का० के कर निर्धारण आदेशों में देखा कि 13 व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 एवं 2008-09 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 1.44 करोड़ के सकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि तीन दिन से लेकर 1285 दिनों तक की थी। क०नि०प्रा० ने मार्च 2009 एवं अप्रैल 2012 के मध्य

कर निर्धारण करते समय ₹ 2.88 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.28 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.28

(₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-2 वा०क० आजमगढ़	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	4.81	26 से 78	9.61
2	असि०क० खण्ड-2 वा०क० अमरोहा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.17	120 से 181	8.34
3	डि०क० खण्ड-12 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2010)	3.67	117 से 362	7.34
			2007-08 (वैट) (मार्च 2010)	1.88	38 से 98	3.77
4	असि०क० खण्ड-16 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	3.43	7 से 38	6.86
5	असि०क० खण्ड-3 वा०क० गौतमबुद्धनगर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (दिसम्बर 2010)	30.68	6 से 421	61.36
			2007-08 (वैट) (दिसम्बर 2010)	11.28	16 से 690	22.56
6	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	28.18	13 से 115	56.35
7	ज्वा०क० (कार्पो०सं०)-2 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.32	63 से 275	4.64
8	डि०क० खण्ड-12 वा०क० लखनऊ	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	8.34	13 से 26	16.68
9	डि०क० खण्ड-7 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	30.83	24 से 94	61.66
10	असि०क० खण्ड-8 वा०क० मुरादाबाद	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.49	19 से 1182	6.98
11	डि०क० खण्ड-11 वा०क० नोएडा	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (जुलाई 2010)	1.10	12 से 23	2.20
12	असि०क० खण्ड-3 वा०क० नोएडा	1	2005-06 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2009)	1.34	3 से 1285	2.68
13	असि०क० खण्ड-1 वा०क० रामपुर	1	2008-09 (अगस्त 2011)	8.52	17 से 53	17.04
<b>योग</b>		<b>13</b>		<b>144.04</b>		<b>288.07</b>

हमारे द्वारा विभाग/शासन को नवम्बर 2010 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य प्रकरण को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि सात मामलों<sup>115</sup> में ₹ 1.08 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया, शेष मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

**2.12.4.2** हमने अगस्त 2012 में डि0क0 खण्ड-8 के अभिलेखों<sup>116</sup> में देखा कि वर्ष 2008-09 के दौरान एक व्यापारी<sup>117</sup> द्वारा स्रोत पर ₹ 1.39 करोड़ की कटौती की गयी जबकि संविदाकार को ₹ 57.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 2.29 करोड़ के कर की कटौती करके जमा किया जाना अपेक्षित था। मार्च 2012 में क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय ₹ 90.52 लाख के स्रोत पर की गयी कर की कम कटौती पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड के अलावा ₹ 90.52 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

हमने प्रकरण को दिसम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अपने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (सितम्बर 2013) करते हुए ₹ 1.81 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया। तथापि ₹ 90.52 लाख के कम आरोपित कर की वसूली का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्थदण्ड एवं कम आरोपित जमा कर की वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

### 2.12.5 के0बि0क0 के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्रीकर (के0बि0क0) अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी अभियोजन योग्य होता है। यद्यपि अभियोजन के बदले यदि क0नि0प्रा0 उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने अगस्त 2009 एवं सितम्बर 2012 के मध्य देखा<sup>118</sup> कि वर्ष 2005-06 एवं 2009-10 के दौरान 10 व्यापारियों ने फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर ₹ 6.83 करोड़ का माल के0बि0क0 की रियायती दर पर खरीद जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय

पंजीयन प्रमाण पत्र और उपभोग किये गये फार्म 'सी' के विवरण की जांच नहीं की। कोई निवारक कार्यवाही नहीं की गई, अतः ₹ 99.86 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ। विवरण सारणी 2.29 में दर्शाया गया है:

<sup>115</sup> क्रम संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8 एवं 12।

<sup>116</sup> व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण अदेश एवं पत्रावली।

<sup>117</sup> अधिशासी अभियन्ता लखनऊ संभाग शारदा नहर लखनऊ।

<sup>118</sup> व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0प्रा0 एवं पत्रावली।

सारणी क्रमांक 2.29

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	पंजीयन प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओं के नाम	खरीद का मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-2 वा०क० बाराबंकी	1	2006-07 (मार्च 2009)	यार्न	13.30	8	12	1.60
2	डि०क० खण्ड-5 वा०क० गोरखपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	डी०जी० सेट ट्रक <sup>119</sup> माउन्टेक, बैचिंग प्लान्ट बैटोनाइट पाउडर और टाटा ट्रिपर (उ०प्र० व्या०क०) बैटरी	397.02	10	15	56.85
3	डि०क० खण्ड-1 वा०क० ग्रेटर नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2012)	इंजन और शटरिंग मैटिरियल	7.92	10	15	1.19
				यू जैक	3.71	12	18	0.67
				टाइल्स और शटरिंग मैटिरियल	11.55	12.5	18.75	2.16
4	डि०क० खण्ड-18 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	किराये पर डी०जी० सेट (उ०प्र०व्य० क०)	29.20	10	15	4.38
				किराये पर डी०जी० सेट (वैट)	20.86	4	6	1.25
5	असि०क० खण्ड-1 वा०क० लखीमपुर खीरी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	डी०जी० सेट	11.99	4	6	0.72
6	डि०क० खण्ड-19 वा०क० लखनऊ	1	2006-07 (मार्च 2009)	डी०जी० सेट	88.02	10	15	13.20
7	डि०क० खण्ड-4 वा०क० मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	हाट मिक्स प्लाण्ट	23.72	12.50	18.75	4.45
				एयर कम्प्रेसर जनरेटर जे०सी०बी०बी०डी० एक्स वाइब्रेटर और वेट मिक्स पलण्ट	53.63	12.50	18.75	10.05
8	असि०क० खण्ड-09 वा०क० नोएडा	1	2007-08 (मार्च 2011)	ट्रांसफार्मर के पार्ट्स एवं एसेसरीज	4.66	12.50	18.75	0.87
				डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स और केमीकल	0.62	4	6	0.04
9	डि०क० खण्ड-09 वा०क० सहारनपुर	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (अगस्त 2011)	बी०ओ०पी०पी० टेप (वैट)	0.24	4	6	0.01
				एडहेसिव/ गम एवं मिक्स स्लीब्स (वैट)	0.61	12.50	18.75	0.11
				बी०ओ०पी०पी० टेप (उ०प्र० व्या०क०)	0.24	5	7.50	0.02
				एडहेसिव (उ०प्र० व्या०क०)	0.18	12	18	0.03
				मिक्स स्लीब्स और प्लास्टिक बैग (उ०प्र० व्या०क०)	2.29	10	15	0.34
10	डि०क० खण्ड-17 वा०क० वाराणसी	1	2005-06 (मार्च 2009)	डी०जी०सेट और हाट गियर्ड ट्राली ग्राइन्डर बेस प्लेट	12.81	10	15	1.92
<b>योग</b>		<b>10</b>			<b>682.57</b>			<b>99.86</b>

हमारे द्वारा दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य विभाग/शासन को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) छः मामलों<sup>120</sup> में ₹ 22.18 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और बताया कि शेष मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

<sup>119</sup> पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित अवधि के पूर्व की अवधि में रियायती दर का दावा किया गया।

<sup>120</sup> क्रम संख्या 1, 5, 6, 8, 9 और 10।

## 2.13 प्रवेश कर का अनारोपण

उ०प्र० माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने अप्रैल 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य 22 वा०क०का०<sup>121</sup> के अभिलेखों<sup>122</sup> में देखा कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान 23

व्यापारियों ने ₹ 31.17 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क०नि०प्र० ने मार्च 2010 एवं मई 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस मामले की जांच नहीं किया कि माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा गया था जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, परिणामस्वरूप ₹ 61.46 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को मई 2011 एवं मई 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर<sup>123</sup> (सितम्बर 2013) में हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि सात व्यापारियों में से छः मामलों<sup>124</sup> में प्रवेश कर के रूप में ₹ 44.30 लाख आरोपित कर दिया गया है, जिसमें से ₹ 12.05 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं एक मामले में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। अनेक अनुस्मारक निर्गत करने के पश्चात शेष वा०क०का० से सम्बन्धित उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

## 2.14 के०बि०क० में गलत करमुक्ति/छूट

### 2.14.1 फार्म 'एफ' के विरुद्ध गलत कर मुक्ति

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12(5) के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर मास की अवधि के दौरान यथास्थिति अपने कारोबार के किसी अन्य स्थान को या अपने एजेन्ट या मालिक को किया गया माल का अन्तरण एक ही फार्म 'एफ' पर की गयी घोषणा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

हमने अक्टूबर 2007 एवं अगस्त 2012 के मध्य तीन वा०क०का० की कर निर्धारण पत्रावलियों एवं कर निर्धारण अदेशों से देखा कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 2004-05 एवं 2008-09 के दौरान 23 फार्म 'एफ' से समर्थित

₹ 5.59 करोड़ का माल राज्य के बाहर हस्तान्तरित किया। क०नि०प्र० ने जनवरी 2007 एवं फरवरी 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक संव्यवहार को मान्यता प्रदान की जबकि एक ही फार्म 'एफ' पर एक माह से अधिक के संव्यवहार पर छूट के दावे छूट के लिए अनुमन्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.53 लाख के संव्यवहार पर ₹ 1.61 करोड़ की गलत छूट दी गयी, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.30 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.30

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	आपत्तिगत प्रपत्र से आच्छादित माल का कुल मूल्य	व्यापारी को लाभप्रद माह के संव्यवहार को अनुमन्य करने के पश्चात् अच्छादित संव्यवहार की धनराशि	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	व्यापारी को अनुमन्य की गयी अनियमित छूट
1	डि०क० वा०क० ललितपुर	1	2004-05 (जनवरी 2007)	गेंहूँ ज्वार	14.10	3.60 1.94	8 4	0.29 0.08
2	डि०क० खण्ड-5 वा०क० नोएडा	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	सिलेसिलेय परिधान	169.02	85.57	4	3.42
3	डि०क० खण्ड-1 वा०क० रायबरेली	1	2008-09 (फरवरी 2012)	एसबेस्टस शीट	375.38	69.90	12.5	8.74
<b>योग</b>		<b>3</b>			<b>558.50</b>	<b>161.01</b>		<b>12.53</b>

<sup>121</sup> ज्वा०क० (कार्पो०स०) इटावा, ज्वा०क० (कार्पो०स०) गौतमबुद्धनगर, डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, ज्वा०क० (कार्पो०स०) रेन्ज 'ए' गाजियाबाद, ज्वा०क० (कार्पो०स०) रेन्ज 'ब' गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-10 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-12 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-14 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-2 गोण्डा, असि०क० खण्ड-4 गोरखपुर, ज्वा०क० (का०स०) झांसी, डि०क० खण्ड-17 कानपुर, असि०क० कोशाम्बी, डि०क० खण्ड-2 लखीमपुरखीरी, डि०क० खण्ड-4 मथुरा, डि०क० खण्ड-4 मेरठ, डि०क० खण्ड-1 मुजफ्फरनगर, ज्वा०क० (कार्पो०स०) नोएडा, डि०क० खण्ड-6 नोएडा, डि०क० खण्ड-1 रायबरेली एवं डि०क० खण्ड-2 सम्भल।

<sup>122</sup> व्यापारियों से सम्बन्धित क०नि०अ० एवं पत्रावलियाँ।

<sup>123</sup> सात वा०क०का० में शामिल मात्र आठ व्यापारी- ज्वा०क० (कार्पो०स०) गौतमबुद्ध नगर, डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, ज्वा०क० (कार्पो०स०) 1 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-2 गोण्डा, डि०क० खण्ड-1 मुजफ्फर नगर एवं डि०क० खण्ड-1 रायबरेली।

<sup>124</sup> क्रम संख्या 2, 3, 4, 6, 18 एवं 21।



हमारे द्वारा इन मामलों को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यवाही की जा रही है एवं एक मामले<sup>125</sup> में के0बि0क0 आरोपित करके वसूली कर ली गयी है। अन्य मामलों में वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

### 2.14.2 पारेषण बिक्री पर अनुचित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 6 ए सपडित के0बि0क0 नियमावली के नियम 12(5) के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी पर कर निर्धारण के समय अन्तरिती (ट्रान्सफरी) से प्राप्त फार्म 'एफ' में एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें उसकी केन्द्रीय पंजीयन संख्या, वैधता की अवधि, क्रय आदेश की संख्या और तिथि का उल्लेख है तो वह करमुक्ति का हकदार होगा। एक फार्म 'एफ' पर एक कैलेन्डर मास का संव्यवहार आच्छादित होगा ऐसे मामलों में जहां संव्यवहार फार्म 'एफ' से आच्छादित नहीं है वहां ऐसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री पर लागू कर की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0मू0सं0 कर नियमावली के नियम 45(2) के अन्तर्गत व्यापारी को अन्तरित बिक्री के विषय में पृथक सूचना मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में दाखिल करना है। उ0प्र0मू0सं0 कर अधिनियम के अनुसूची-II के अन्तर्गत क्राफ्ट पेपर पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

हमने मार्च 2013 में डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 नजीबाबाद के अभिलेखों में देखा कि वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) के दौरान एक व्यापारी ने मासिक विवरणी रूप पत्र-24 में ₹ 2.97 करोड़ मूल्य के क्राफ्ट पेपर की अन्तरित बिक्री घोषित की। क0नि0 के समय व्यापारी ने वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) के लिए ₹ 1.99 करोड़ के संव्यवहार से आच्छादित फार्म 'एफ' प्रस्तुत किया।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 98 लाख के संव्यवहार हेतु फार्म 'एफ' प्रस्तुत नहीं किया गया। क0नि0अ0 ने ₹ 3.93 लाख कर<sup>126</sup> एवं साथ ही ₹ 2.95 लाख ब्याज आरोपित करने के बजाय फार्म 'एफ' से अनाच्छादित आवर्त पर अनुचित कर मुक्ति प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 लाख के कर एवं ब्याज की अनुचित करमुक्ति प्रदान की गई।

हमने प्रकरण को मई 2013 में विभाग/एवं शासन को इंगित किया। अनेक अनुस्मारकों के भेजे जाने के बावजूद उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

<sup>125</sup> ₹ 37,000 क्रम संख्या 1 पर।

<sup>126</sup> चार प्रतिशत की दर से

### 2.14.3 शीरे की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर अनुचित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से आच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' से अनाच्छादित वस्तुओं (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री पर 1 अप्रैल 2007 से उस सन्दर्भित राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर से कर आरोपणीय है। पुनश्च विज्ञप्ति संख्या दिनांक 15.01.2000 के अनुसार शीरे की बिक्री पर दिनांक 17 जनवरी 2000 से 31 दिसम्बर 2007 तक 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। यह न्यायिक\* रूप से निर्णीत है कि यदि प्रशासनिक प्रभार का भुगतान किया गया है तो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर के भुगतान से मुक्त होगी, किन्तु यह कर मुक्ति अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के मामले में लागू नहीं है। पुनश्च न्यायिक# रूप से यह भी निर्णीत है कि के0बि0क0 अधिनियम की धारा 8 (2क) के प्रावधान वहीं लागू होंगे जहां वस्तुएं सामान्य रूप से कर से मुक्त की गयी हैं न कि कुछ विशेष परिस्थितियों में।

\* सर्वश्री धामपुर शुगर मिल लि0 धामपुर बनाम कमिश्नर व्यापार कर उ0प्र0 के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय।

# कमिश्नर व्यापार कर बनाम मोहकमपुर टी गार्डन के मामले में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा दिया गया निर्णय एस0टी0आई0 2001 इलाहाबाद उच्च न्यायालय 97।

हमने मार्च 2013 में डि0क0 खण्ड-1 नजीबाबाद के कर निर्धारण पत्रावलियाँ में देखा कि क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 में एक व्यापारी का वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल 2007 से 31 दिसम्बर 2007) के लिए कर निर्धारण करते समय फार्म 'सी' से आच्छादित ₹ 3.96 करोड़ के शीरे की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर ₹ 11.88 लाख एवं छुपाये गये टर्नओवर ₹ 3.50 करोड़ पर ₹ 70 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान करी। व्यापारी को प्रशासनिक खर्च का भुगतान किये जाने के आधार पर क0नि0प्रा0 द्वारा यह अनुचित कर मुक्ति प्रदान की गयी। क्योंकि शीरे की बिक्री पर कर मुक्ति सामान्य न होकर सशर्त<sup>127</sup> थी, मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के

आलोक में इस केन्द्रीय बिक्री पर कर मुक्ति अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार क0नि0प्रा0 ने ₹ 81.88 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान की।

हमने इस प्रकरण को मई 2013 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया विभाग ने उत्तर में हमारी आपत्ति को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 81.88 लाख का कर आरोपित कर दिया। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

<sup>127</sup> ऐसे शीरे पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान कर दिया गया है।

### 2.14.4 फार्म "एच" के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा-5 सपटित के0बि0क0 नियमावली (पंजीकरण एवं आवर्त) के नियम 12(10) के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय या क्रय हुआ तभी समझा जायेगा जब उस विक्रय या क्रय से ऐसा निर्यात होता है या वह विक्रय या क्रय भारत के सीमा शुल्क सीमान्तों से माल के पार हो जाने के पश्चात इस शर्त के साथ माल की हक दस्तावेजों के अन्तरण (ट्रांसफर) किया जाता है कि घोषणा प्रपत्र 'एच' में करेगा एवं कर निर्धारण के समय प्राधिकारी के समय प्रस्तुत करेगा। प्रपत्र 'एच' निर्यातक (क्रेता व्यापारी) द्वारा विक्रेता व्यापारी को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है कि उससे क्रय की गई वस्तु भारत के बाहर निर्यात कर दी गयी है। पुनश्च प्रपत्र 'सी' के लिए लागू त्रैमासिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के नियम एवं शर्तें प्रपत्र 'एच' में प्रमाण पत्र के लिए भी लागू होगी।

हमने दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य दो वा0क0का0 के अभिलेखों<sup>128</sup> देखा कि दो व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल 2007 से 31 दिसम्बर 2007) की अवधि में ₹ 7.02 करोड़ मूल्य के माल का निर्यात किया एवं प्रत्येक ने प्रत्येक त्रैमास हेतु पृथक प्रपत्र 'एच' प्रस्तुत करने के बजाय पूरे वर्ष 2007-08 के संव्यवहार के लिए एक प्रपत्र 'एच' प्रस्तुत किया। सम्पूर्ण संव्यवहार में से ₹ 1.06 करोड़ का संव्यवहार एक त्रैमास से अधिक से सम्बन्धित था। जुलाई 2009 तथा फरवरी

2010 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0अ0 ने ₹ 10.47 लाख की अनुचित कर मुक्ति प्रदान किया जैसा कि सारणी क्रमांक 2.31 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.31

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	प्रपत्र 'एच' से आच्छादित वस्तु का मूल्य	एक त्रैमास से अधिक का संव्यवहार	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	डि0क0 वा0क0 कोसीकलां	1	2007-08 (फरवरी 2010)	एसिड कैसिन, लेक्टोस, ग्रेड पाउडर	652.19	81.20	8	6.50
2	असि0क0 खण्ड-4 वा0क0 मुरादाबाद	1	2007-08 (जुलाई 2010)	ग्लास वेयर	50.20	24.84	16	3.97
योग		2			702.39	106.04		10.47

हमारे द्वारा मामले को जनवरी 2011 एवं मई 2012 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि दोनों मामलों में ₹ 10.47 लाख कर आरोपित कर दिया गया है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2013)।

### 2.15 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3 ज सपटित कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 3 मई 2005 प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0 क0 वसूल किया जायेगा।

हमने अक्टूबर 2008 एवं जुलाई 2012 के मध्य 9 वा0क0 का0 में 10 व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में देखा कि उनका समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था। क0नि0प्रा0 ने अवधि 2005-06 से 2007-08

<sup>128</sup> व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं कर निर्धारण आदेश।

(दिसम्बर 2007 तक) के लिए कर निर्धारण<sup>129</sup> करते समय ₹ 81.21 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.21 लाख रा0वि0क0 अनारोपित रहा जैसा कि सारणी क्रमांक 2.32 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.32

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय राज्य विकास कर
1	डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 आगरा	1	2006-07 (अक्टूबर 2011)	635.35	6.35
2	असि0क0 खण्ड-5 वा0क0 गाजियाबाद	1	2007-08 (मार्च 2010)	111.00	1.11
		1	2007-08 (मार्च 2010)	87.00	0.87
3	डि0क0 खण्ड-15 वा0क0 गाजियाबाद	1	2005-06 (फरवरी 2010)	62.89	0.63
4	डि0क0 खण्ड-9 वा0क0 गोरखपुर	1	2005-06 (सितम्बर 2011)	96.76	0.97
5	डि0क0 खण्ड-28 वा0क0 कानपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	143.97	1.44
6	डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 कानपुर	1	2005-06 (फरवरी 2008)	6,377.87	63.78
7	डि0क0 खण्ड-2 नोएडा	1	2006-07 (दिसम्बर 2011)	170.08	1.70
8	असि0क0 खण्ड-2 वा0क0 रामपुर	1	2006-07 (दिसम्बर 2010)	184.23	1.84
9	असि0क0 वा0क0 शिकोहाबाद	1	2005-06 (जून 2008)	252.08	2.52
<b>योग</b>		<b>10</b>		<b>8,121.23</b>	<b>81.21</b>

हमारे द्वारा जनवरी 2009 एवं अगस्त 2012 के मध्य इन मामलों को इंगित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया कि छः मामलों (उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6 और 9) में ₹ 73.74 लाख का रा0वि0क0 आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद शेष मामलों में वसूली की सूचना एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

<sup>129</sup> फरवरी 2008 एवं दिसम्बर 2011 के मध्य।

## 2.16 अपूर्ण सूचना होने पर भी वाद को डीमड घोषित किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा-24 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी स्वनिर्धारित आवर्त और कर की विवरणी ऐसे प्रारूप में एवं रीति से समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया गया हो, अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसने वार्षिक विवरणी विहित प्रपत्र और रीति से दाखिल कर दी है, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसका स्वकर निर्धारण स्वीकृत रूप से देय कर की धनराशि तक हो चुका है। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली 2008 के नियम 45 के अनुसार खरीद एवं बिक्री, जांच एवं अभिग्रहण व्यापार में माल का मिलान, कर योग्य खरीद/बिक्री की गणना एवं खरीद/बिक्री पर देय कर, अर्थदण्ड/अस्थायी कर निर्धारण इत्यादि एवं रिट/अपील के परिणाम, इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0/आर0आई0टी0सी0), कोषागार/बैंक में जमा कर इत्यादि के विवरण से सम्बन्धित सूचना कर विवरणी में होनी चाहिए।

हमने 88 वाणिज्य कर कार्यालयों<sup>130</sup> में स्वकर निर्धारण वादों में से वर्ष 2012-13 में 1693 मामलों की जांच की एवं पाया कि इनमें से 12 प्रतिशत मामलों में व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए कर विवरणी के निर्धारित प्रपत्र में अपूर्ण/गलत सूचना<sup>131</sup> दी। पूर्ण सूचना के अभाव में विक्रय या क्रय या दोनो का आवर्त विश्वसनीय नहीं रह जाता है एवं देय कर की धनराशि और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्य धनराशि भी संदिग्ध हो जाती हैं। अतः इन वादों का निस्तारण व्यापारियों के लेखा पुस्तकों के परीक्षण

एवं नियमित सुनवाई के पश्चात किया जाना अपेक्षित था। इन सभी मामलों में हमने देखा कि कर निर्धारण वादों को डीमड घोषित करते समय क0नि0प्रा0 ने विवरणी में लुप्त सूचनाओं की अनदेखी की। इस प्रकार अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं कर के अनारोपण की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हमने मामले को जून 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया, विभाग ने सितम्बर 2013 में हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि आठ मामलों<sup>132</sup> में ₹ 1.29 लाख का अर्थदण्ड एवं ब्याज आरोपित कर दिया गया है, एवं अब तक ₹ 31,096 की वसूली की जा चुकी है। 12 मामलों<sup>133</sup> में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है एवं शेष मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही करी गई है।

<sup>130</sup> असि0क0 खण्ड-11 आगरा, डि0क0 खण्ड-11 अलीगढ़, डि0क0 खण्ड-3 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड-7 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड-2 अमराठा, डि0क0 खण्ड-2 बरेली, असि0क0 खण्ड-1 बरेली, असि0क0 खण्ड-5 बरेली, डि0क0 खण्ड-2 बदामू, असि0क0 खण्ड-2 बदामू, असि0क0 सी0एस0एम0 नगर (गौरीगंज), डि0क0 खण्ड-2 इटावा, डि0क0 खण्ड-4 फैजाबाद, असि0क0 खण्ड-5 फैजाबाद, असि0क0 खण्ड-2 जी0बी0 नगर, असि0क0 खण्ड-3 जी0बी0 नगर, डि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-10 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-14 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-7 गायिजाबाद, असि0क0 खण्ड-8 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-10 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-18 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-4 गोण्डा, डि0क0 खण्ड-1 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-2 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-10 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-12 गोरखपुर, असि0क0 खण्ड-10 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-4 हापुड, डि0क0 खण्ड-2 हाथरस, असि0क0 खण्ड-2 हसनपुर, डि0क0 खण्ड-6 झांसी, डि0क0 खण्ड-15 कानपुर, डि0क0 खण्ड-16 कानपुर, डि0क0 खण्ड-19 कानपुर, डि0क0 खण्ड-28 कानपुर, असि0क0 खण्ड-10 कानपुर, असि0क0 खण्ड-15 कानपुर, असि0क0 खण्ड-16 कानपुर, असि0क0 खण्ड-18 कानपुर, असि0क0 खण्ड-27 कानपुर, असि0क0 खण्ड-29 कानपुर, असि0क0 खण्ड-30 कानपुर ज्वा0क0 (कापी0सी0) लखनऊ, डि0क0 खण्ड-8 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-3 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-15 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-15 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-16 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-17 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-18 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-4 मेरठ, डि0क0 खण्ड-6 मेरठ, डि0क0 खण्ड-8 मेरठ, डि0क0 खण्ड-9 मेरठ, असि0क0 खण्ड-10 मेरठ, डि0क0 खण्ड-10 मेरठ, असि0क0 खण्ड-8 मेरठ, डि0क0 खण्ड-2 मिर्जापुर, डि0क0 खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, असि0क0 खण्ड-5 मुजफ्फरनगर, वा0क0अ0 खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-3 नोएडा, डि0क0 खण्ड-4 नोएडा, असि0क0 खण्ड-4 नोएडा, असि0क0 खण्ड-6 नोएडा, असि0क0 खण्ड-8 नोएडा, असि0क0 खण्ड-9 नोएडा, असि0क0 खण्ड-13 नोएडा, वा0क0अ0 खण्ड-4 नोएडा, डि0क0 पलियाकलां, डि0क0 खण्ड-1 रामपुर, असि0क0 खण्ड-1 रामपुर, डि0क0 खण्ड-4 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-5 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-6 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-1 सोनमठ, डि0क0 खण्ड-8 वाराणसी, डि0क0 खण्ड-14 वाराणसी, डि0क0 खण्ड-15 वाराणसी एवं असि0क0-8 वाराणसी।

<sup>131</sup> लागू कर की दरों के अनुसार वस्तु का नाम मात्रा और कोड, आई0टी0सी0/आर0आई0टी0सी0 की अशुद्ध गणना, कर का अशुद्ध आगमन, निर्धारित फार्म के निर्धारित कालम और अनेकजूर अपूर्ण और अशुद्ध हैं, आरम्भिक और अंतिम रहतिया के सम्बन्ध में अलग से सूचना आदि।

<sup>132</sup> डि0क0 खण्ड-12 इलाहाबाद, असि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-18 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-4 गोण्डा, डि0क0 खण्ड-1 गोरखपुर, डि0क0 खण्ड-15 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-3 नोएडा, असि0क0 खण्ड-3 नोएडा।

<sup>133</sup> असि0क0 खण्ड-1 अमेठी (गौरीगंज), डि0क0 खण्ड-4 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-2 हाथरस, डि0क0 खण्ड-28 कानपुर, असि0क0 खण्ड-29 कानपुर, असि0क0 खण्ड-8 मेरठ, असि0क0 खण्ड-4 नोएडा, डि0क0 खण्ड-4 सहारनपुर, डि0क0 खण्ड-5 सहारनपुर।

## 2.17 ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

**2.17.1** हमने दिसम्बर 2011 एवं जून 2013 के मध्य 14 वा0क0का0 के अभिलेखों<sup>134</sup> की जांच में देखा कि 19 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2007-08 (1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008) से 2009-10 के दौरान स्वीकृत कर ₹ 1.68 करोड़ 434 दिन से लेकर 1763 दिनों तक विलम्ब से जमा किया।

स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने के कारण विलम्ब की तिथि तक ₹ 59.65 लाख का ब्याज आकर्षित होता है। क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण करते समय यह प्रभारित नहीं किया गया। विवरण सारणी क्रमांक 2.33 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.33

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	स्वीकृत कर	विलम्ब की अवधि (दिन में)	ब्याज की दर प्रति वर्ष	आरोपणीय ब्याज (₹ लाख में)
1	डि०क० खण्ड-1 वा०क० बदायूं	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	1.18	1267	15	0.61
				1.88	1185	15	0.91
2	डि०क० खण्ड-3 वा०क० एटा	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.50	761	15	1.09
				0.73	844	15	0.25
				1.53	844	15	0.53
3	डि०क० खण्ड-4 वा०क० फैजाबाद	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	1.43	1229	15	0.72
4	डि०क० खण्ड-4 वा०क० फिरोजाबाद	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	5.28	1338	15	2.47
5	ज्वा०क० (कापौ०स०) जोन बी वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.81	606	15	0.45
				4.85	1241	15	2.47
6	असि०क० खण्ड-4 वा०क० गाजियाबाद	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (जून 2012)	0.94	92	14	0.03
					1763	15	0.68
7	ज्वा०क० (कापौ०स०) वा०क० गोरखपुर	1	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	3.50	435	15	0.63
8	डि०क० खण्ड-6 वा०क० झांसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	38.75	966	15	15.39
				75.58	601	15	18.67
9	डि०क० खण्ड-2 वा०क० कानपुर	1	2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (मार्च 2010)	3.30	92	14	0.12
					1180	15	1.39
10	डि०क० खण्ड-5 वा०क० कानपुर	1	2007-08 (वैट) (सितम्बर 2011)	11.12	1368	15	6.25
11	डि०क० खण्ड-16 वा०क० कानपुर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	2.71	1340	15	1.49
12	डि०क० खण्ड-12 वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.43	1360	15	0.24
				0.51	1403	15	0.29
				0.25	1336	15	0.14
				1.12	1426	15	0.64
				3.68	1428	15	2.16
13	डि०क० खण्ड-6 वा०क० नोएडा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	2.74	1407	15	1.53
14	डि०क० खण्ड-4 वा०क० सहारनपुर	1	2008-09 (फरवरी 2011)	1.36	897	15	0.50
<b>योग</b>		<b>19</b>		<b>168.18</b>			<b>59.65</b>

हमने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) पांच

<sup>134</sup> व्यापारियों द्वारा दाखिल क०नि० पत्रावली एवं विवरणी।

मामलों<sup>135</sup> में ₹ 18.42 लाख के ब्याज की वसूली करते हुए ₹ 3.76 लाख की मांग सृजित की और सात मामलों<sup>136</sup> में ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की।

## 2.17.2 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण

### 2.17.2.1 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007, 2008 एवं 2009 में संशोधन के अन्तर्गत शासन के द्वारा समय समय पर अधिसूचित कर की दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33 एवं उ0प्र0व्या0 कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों पर भी लागू है। उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33 (2) एवं उ0प्र0व्या0 कर अधिनियम की धारा 8 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर के भुगतान का दायित्व है अपेक्षा की जाती है कि वह देय तिथि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि कोषागार में जमा करें ऐसा न करने पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगले दिन से जमा की तिथि तक जमा न की गई धनराशि पर सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज (उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की अवधि में 14 प्रतिशत वार्षिक) देय होता है। ऐसी वस्तुओं जिन पर प्रवेश कर आरोपणीय है, क0नि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 माल पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाते हैं।

मा0 उच्च न्यायालय में अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर आरोपित करने के उ0प्र0 सरकार की विधायी सक्षमता को चुनौती दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2007 एवं मई 2010 के मध्य मामले की प्रारम्भिक सुनवायी पर व्यापारियों को विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करने का आदेश दिया। मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश (दिसम्बर 2011) में उ0प्र0 सरकार के द्वारा उक्त प्रवेश कर आरोपित करने की सक्षमता को सही ठहराया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित मामलों में

प्रवेश कर आरोपणीय/देय था। अतः जहां विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की गयी थी उन मामलों में क0नि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा-9 (4) के अन्तर्गत आदेश पारित करना अपेक्षित था।

हमने जुलाई 2012 एवं जुलाई 2013 के मध्य 17 वा0क0का0<sup>137</sup> के अभिलेखों<sup>138</sup> में देखा कि मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि0प्रा0 ने 30 व्यापारियों के मामले में बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण कराया।

हमने देखा कि मात्र पांच मामलों<sup>139</sup> में सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के नकदीकरण के पश्चात विलम्ब से जमा किये गये प्रवेश कर पर ₹ 46.40 लाख का ब्याज आरोपित किया। शेष 25 मामलों में यद्यपि बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद को भुना लिया गया था परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा विलम्ब से

<sup>135</sup> सारणी संख्या 2.33 के क्रम संख्या 1, 3, 6, 7 एवं 8।

<sup>136</sup> सारणी संख्या 2.33 के क्रम संख्या 2, 4, 9, 10, 12, 13, एवं 14।

<sup>137</sup> ज्वा0क0 (कार्पो0स0) अलीगढ़, डि0क0 खण्ड-10 अलीगढ़, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 1 गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 2 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-9 गाजियाबाद, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 1 कानपुर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 2 कानपुर, डि0क0 खण्ड-6 कानपुर, डि0क0 खण्ड-14 कानपुर, डि0क0 खण्ड-22 कानपुर, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 1 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-1 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-6 मुजफ्फरनगर एवं डि0क0 खण्ड-8 वाराणसी।

<sup>138</sup> कर निर्धारण पत्रावतियां, मांग रजिस्टर।

<sup>139</sup> ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 1 गाजियाबाद के मे0 वर्लकूल आफ इण्डिया लि0 एवं मे0 वरुण ब्रेवरीज लि0, ज्वा0क0 (कार्पो0स0) 2 गाजियाबाद के मे0 हर्ष स्टील प्रा0लि0, डि0क0 खण्ड-6 गाजियाबाद के मे0 इण्टरनेशनल टोबैको कम्पनी लि0 एवं डि0क0 खण्ड-15 गाजियाबाद के मे0 मंगलम वायर्स प्रा0लि0।

जमा प्रवेश कर पर आरोपणीय ब्याज नहीं प्रभारित किया गया। बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद भुनाने के पश्चात् मात्र देय प्रवेश कर एक बार जमा किया गया, जबकि बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद प्रश्नगत वर्षों के देय प्रवेश कर के लिए थी। यद्यपि स्वीकृत प्रवेश कर ₹ 52.02 करोड़ 20 माह 28 दिन से 55 माह सात दिन तक के विलम्ब के पश्चात् शासकीय कोषागार में जमा किया गया फिर भी क0नि0प्रा0 शासकीय खाते में विलम्ब से जमा पर ₹ 26.71 करोड़ ब्याज प्रभारित करने में विफल रहे जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा मामलों को अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये जाने पर विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2013) कि 10 मामलों<sup>140</sup> में ₹ 5.90 करोड़ की मांग निकाली जा चुकी है तथा पांच मामलों में ₹ 34.09 लाख ब्याज की वसूली की जा चुकी है।

### 2.17.2.2 बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का नकदीकरण न कराया जाना

हमने दिसम्बर 2012 एवं मई 2013 के मध्य तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के अभिलेखों<sup>141</sup> में देखा कि तीन व्यापारियों के मामलों में वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान जमा बैंक गारण्टी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय व्यापारी के द्वारा जमा बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद का क0नि0प्रा0 के द्वारा नकदीकरण कराया जाना था। हमने देखा कि मार्च 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य प्रकरणों को अंतिम रूप देते समय क0नि0प्रा0 ने व्यापारियों को जमा कर का लाभ दिया परन्तु ₹ 1.27 करोड़ के बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के साथ ₹ 68.46 लाख के ब्याज का नकदीकरण नहीं कराया (लेखापरीक्षा की तिथि तक) विवरण सारणी क्रमांक 2.34 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.34

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	अभिलेख का प्रकार	माल का मूल्य	आरोपित प्रवेश कर	चालान से जमा प्रवेश कर	बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा प्रवेश कर	आरोपणीय ब्याज
1	ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-1 कानपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	1,623.21	16.23	6.62	9.56	6.45
			2009-10 (मार्च 2012)	मोटर वाहन	सावधि जमा रसीद	3,405.85	34.06	0.00	34.09	17.89
2	ज्वा0क0 (कार्पो0स0) लखनऊ	1	2009-10 (जून 2012)	सीमेंट एवं हाई स्पीड डीजल	बैंक गारण्टी	3,451.22	77.46	0.00	75.69	39.08
3	डि0क0 खण्ड-19 वाराणसी	1	2008-09 (मार्च 2011)	साफ्ट कोक	बैंक गारण्टी	526.31	10.52	3.06	7.47	5.04
<b>योग</b>		<b>3</b>				<b>9,006.59</b>	<b>138.27</b>	<b>9.68</b>	<b>126.81</b>	<b>68.46</b>

हमारे द्वारा मामले को मार्च 2013 एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार (दिसम्बर 2013) करते हुए ₹ 41.82 लाख के ब्याज की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया।

<sup>140</sup> क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 11 एवं 13।

<sup>141</sup> मांग पंजिका एवं कर निर्धारण पत्रावलियां।



## 2.18 कर की दर की गलत अनुमन्यता

हमने जून 2012 और मार्च 2013 के दौरान तीन वा0क0का0 के व्यापारियों के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए पारित क0नि0आ0 एवं उनकी पत्रावलियां में देखा कि

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 4(1)(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 4(ख) के अनुसार डीजल पर 1 अप्रैल 2008 से 7 जून 2008 तक 21 प्रतिशत की दर से, 8 जून 2008 से 28 जनवरी 2009 तक 16.16 प्रतिशत की दर और 29 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक 17.23 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उसी अनुसूची से 7 (ख) के अनुसार फर्नेस आयल या अवशिष्ट फर्नेस आयल पर 29 सितम्बर 2008 तक 20 प्रतिशत की दर से और इसके बाद 21 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। क्रमशः प्रविष्टि संख्या 4 (क) एवं 7(क) के अनुसार केवल करयोग्य वस्तुओं के निर्माता को ही कमिश्नर द्वारा निर्धारित फार्म-‘डी’ के विरुद्ध डीजल और फर्नेस आयल जिसके अन्तर्गत अवशिष्ट फर्नेस आयल सम्मिलित है, कि 29 सितम्बर 2008 तक की खरीद पर चार प्रतिशत की दर से और उसके बाद पांच प्रतिशत की रियायती दर से खरीद का हकदार है। न्यायिक<sup>#</sup> रूप से निर्णीत है कि बड़े पत्थर से छोटी गिट्टियां अथवा चूर्ण बनाना विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। पुनश्च, कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2007 के अनुसार तिल (सीसम) का प्रसंस्करण भी विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं है। आगे अधिनियम की धारा 54 (1)(11) (1) के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

<sup>#</sup>एस0टी0आई0 2000 एस0सी0 53 उत्तर प्रदेश बनाम लालकुंआ स्टोन क्रशर प्रा0लि0।

क0नि0प्रा0 ने वर्ष फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य तीन व्यापारियों का कर निर्धारण करते समय फार्म ‘डी’ के विरुद्ध फर्नेस आयल एवं डीजल की रियायती दर पर की गई खरीद को अनुचित रूप से अनुमन्य किया। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड के अलावा ₹ 41.45 लाख की रियायती कर की दर अनुचित रूप से अनुमन्य की गयी। चूंकि केवल करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले निर्माताओं को ही रियायती दर का लाभ अनुमन्य है, करमुक्त माल का निर्माण करने वाले क्रम सं0 1 के व्यापारी को रियायती दर का लाभ दिया जाना गलत था। शेष दो मामलों में व्यापारी द्वारा निर्मित उत्पाद<sup>142</sup> विनिर्माण की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। विवरण सारणी क्रमांक 2.35 में दर्शाया

गया है:

<sup>142</sup> क्रमशः तिल एवं छोटी गिट्टियाँ।

सारणी क्रमांक 2.35

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	खरीद की अवधि	वस्तु का नाम	डीजल/फ० आ० का मूल्य	संवत/संदेय कर की दर	प्राप्य अनियमित रियाती कर	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि०क० खण्ड-12 वा०क० गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	फरनेश आयल	17.41	20/4	2.78	8.71
				01.04.08 से 07.06.2008 तक	डीजल	51.88	21/4	8.82	25.94
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		66.94	16.16/4	8.14	33.49
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		23.31	16.16/5	2.60	11.66
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.74	17.23/5	1.59	6.37
2	डि०क० खण्ड-2 वा०क० मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	01.04.2008 से 07.06.2008 तक	डीजल	15.32	21/4	2.60	7.66
				08.06.2008 से 29.09.2008 तक		3.62	16.16/4	0.44	1.81
				30.09.2008 से 28.01.2009 तक		24.41	16.16/5	2.71	12.21
				29.01.2009 से 31.03.2009 तक		12.69	17.23/5	1.55	6.35
3	डि०क० खण्ड-1 वा०क० नजीबाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	2008-09	डीजल	44.09	16.16/4	5.36	22.05
			2009-10 (फरवरी 2011)	2009-10		39.72	17.23/5	4.86	19.86
<b>योग</b>		<b>3</b>				<b>312.13</b>		<b>41.45</b>	<b>156.11</b>

हमने मार्च 2013 एवं मई 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2013) उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 पर वर्णित मामले में ₹ 7.32 लाख का कर एवं ₹ 28.02 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद वसूली की सूचना एवं अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

### 2.19 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा-4 (1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची-I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची-II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से तथा अनुसूची-III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनुसूची-IV में शामिल हैं समय समय पर शासन द्वारा विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी सूची में वर्गीकृत नहीं हैं वे अनुसूची-V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क०नि०प्रा० को व्यापारी के व्यापार और अन्य सुसंगत अभिलेखों से सम्बन्धित उसके द्वारा रखे जाने वाले खाते लेखे और अभिलेखों की जांच करके क०नि०आ० पारित किया जाना चाहिए।

हमने दिसम्बर 2011 और मार्च 2013 के मध्य आठ वा०क०का० के अभिलेखों की जांच में देखा कि नौ व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि में क०नि०प्रा० को प्रस्तुत अभिलेखों में इन व्यापारियों ने ₹ 8.20 करोड़ की बिक्री को टर्नओवर के रूप में दर्शाया। इन

व्यापारियों की संबंधित कर निर्धारण पत्रावलियों में छूटे हुए टर्नओवर का विवरण<sup>143</sup> उपलब्ध है, क०नि०प्रा० द्वारा कर निर्धारण करते समय इन विवरणों की जांच की जानी चाहिए थी। क०नि०प्रा० द्वारा मार्च 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79.90 लाख का कर अनारोपित रहा। जैसा कि सारणी क्रमांक 2.36 में दर्शाया गया है:

<sup>143</sup> व्यापार और लाभ हानि खाता, वार्षिक बैलेन्स शीट, वर्तमान और पिछले वर्षों का कर निर्धारण आदेश आदि।

सारणी क्रमांक 2.36

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	वस्तु का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	अनारोपित कर
1	ज्वा०क० (कार्पो०स०) वा०क० आगरा	1	2008-09 (मार्च 2012)	यूज्ड कार (II)	12.54	4/0	0.50
2	डि०क० खण्ड-7 वा०क० आगरा	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (जून 2010)	आटोमेटिक फिल्टर और लूब्रीकेंट आयल (V)	84.65	12.5/0	10.58
3	डि०क० खण्ड-10 वा०क० बरेली	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08 तक) (मार्च 2011)	कार ट्रक और आटो व्हीकल के टायर टयूब (V)	23.25	12.5/0	2.91
4	डि०क० खण्ड-4 वा०क० फिरोजाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	पेन्ट (V)	7.89	12.5/0	0.99
5	डि०क० खण्ड-7 वा०क० झांसी	1	2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	वैटरी और मोटर पार्ट्स (V)	3.39	12.5/0	0.42
				मशीनरी पार्ट्स (II)	5.52	4/0	0.22
			2007-08 (01.01.08 से 31.03.08) (मार्च 2011)	बैटरी और मशीनरी पार्ट्स (V)	10.53	12.5/0	1.32
				ट्रैक्टर पार्ट्स (II)	8.31	4/0	0.33
6	ज्वा०क० (कार्पो०स०) वा०क० लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	स्पेयर पार्ट्स और लूब्रीकेंट्स (V)	327.67	12.5/0	40.96
7	डि०क० खण्ड-1 वा०क० मऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	लाइलोन फिलामेंट यार्न (II)	198.67	4/0	7.95
8	डि०क० वा०क० मोदी नगर	1	2006-07 और 2007-08 (उ०प्र०व्या०क०) (अप्रैल 2011)	डिजि एन्टीना और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स	137.16	10/0	13.72
<b>योग</b>		<b>9</b>			<b>819.58</b>		<b>79.90</b>

हमारे द्वारा जनवरी 2012 और अप्रैल 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि उपरोक्त सारणी के दो मामलों (क्रम संख्या 4 और 7) में ₹ 8.53 लाख का कर आरोपित कर दिया गया है। अनेक अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद भी शेष मामलों में वसूली की सूचना और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

## 2.20 कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 29 एवं उ०प्र०मू०सं० कर अधिनियम 2008 की धारा 40 के अन्तर्गत किसी व्यापारी को उसके द्वारा कर शुल्क अथवा अन्य देयों के मद में अधिक जमा धनराशि की वापसी के प्रावधान हैं। पुनश्च, न्यायिक निर्णय\* में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस कर की वापसी उस व्यक्ति को अनुचित लाभ मानी जायेगी। साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर है।

\* मे० मफतलाल इण्डस्ट्रीज लि० बनाम यूनियन आफ इण्डिया इत्यादि (1996) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

हमने अगस्त 2011 और दिसम्बर 2012 के मध्य 20 वा०क०का०<sup>144</sup> के 35 संविदाकारों से सम्बन्धित क०नि०आ० की जांच में देखा कि 20 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि में क०नि०प्रा० द्वारा फरवरी 2010 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते

<sup>144</sup> अ०सि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद, अ०सि०क० खण्ड-5 बरेली, डि०क० खण्ड-1 बस्ती, डि०क० खण्ड-1 धामपुर, अ०सि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-5 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-11 कानपुर, डि०क० खण्ड-13 कानपुर, डि०क० खण्ड-14 कानपुर, डि०क० खण्ड-22 कानपुर, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-14 लखनऊ, डि०क० खण्ड-17 लखनऊ, डि०क० खण्ड-19 लखनऊ, डि०क० खण्ड-22 लखनऊ, अ०सि०क० खण्ड-1 लखनऊ, डि०क० खण्ड-4 मेरठ, डि०क० खण्ड-2 मुजफ्फरनगर एवं अ०सि०क० खण्ड-2 सहारनपुर।

समय स्रोत<sup>145</sup> पर की गयी कटौती का आरोपित कर में समायोजन किया गया, शेष अधिक जमा ₹ 71.62 लाख वापसी के आदेश पारित किये गये। न्यायिक निर्णय के आलोक में क0नि0प्रा0 से यह अपेक्षा की जाती है कि व्यापारी को अधिक जमा धनराशि की वापसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जिस व्यक्ति को अधिक जमा धनराशि की वापसी की जा रही है उसने अधिक जमा कर की राशि का भार किसी अन्य पक्ष पर अन्तरित तो नहीं कर दिया था और ऐसी वापसी के द्वारा कही अनुचित वित्तीय लाभ तो नहीं हुआ। केवल आठ मामलों<sup>146</sup> में क0नि0प्रा0 ने सही जांच करते हुए इन मामलों में धनराशि की वापसी नहीं की। अन्य 21 मामलों में अनियमित वापसी का विवरण सारणी क्रमांक 2.37 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.37

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की वापसी
1	असि०क० खण्ड-14 इलाहाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	1.13
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	3.98
		1	2008-09 (मार्च 2012)	1.47
2	असि०क० खण्ड-5 बरेली	1	2006-07 (फरवरी 2010)	1.05
3	डि०क० खण्ड-1 बरती	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	1.64
		1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	2.49
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	1.24
		1	2009-10 (अगस्त 2011)	1.21
4	डि०क० खण्ड-1 धामपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	2.91
5	असि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद	1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	1.46
6	डि०क० खण्ड-5 गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.36
7	डि०क० खण्ड-13 कानपुर	1	2008-09 (जुलाई 2010)	22.63
8	डि०क० खण्ड-14 कानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	9.25
9	डि०क० खण्ड-17 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.86
10	डि०क० खण्ड-19 लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	3.45
11	डि०क० खण्ड-4 मरठ	1	2007-08 (दिसम्बर 2010)	0.51
12	डि०क० खण्ड-2 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	5.27
		1	2009-10 (फरवरी 2012)	4.10
13	असि०क० खण्ड-2 सहारनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.91
		1	2008-09 (मई 2011)	0.61
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.47
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	0.62
<b>योग</b>		<b>21</b>		<b>71.62</b>

हमने टेके देने वाले सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों<sup>147</sup> के अभिलेखों<sup>148</sup> के प्रतिसत्यापन में देखा और पाया कि संविदाकारों द्वारा अपने सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से जो कर की प्राप्ति की गयी थी, उसमें संविदा में दी गई सामग्री की दरों में कर भी शामिल था। इस प्रकार सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्रोत पर की गई कटौती को संविदाकारों द्वारा पहले

<sup>145</sup> डि०क० खण्ड-14 कानपुर के एक मामले में व्यापारी ने कर को नकद जमा किया लेकिन इसे खर्च के रूप में अपने लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया।

<sup>146</sup> डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-14 लखनऊ, डि०क० खण्ड-22 लखनऊ असि०क० खण्ड-1 लखनऊ, डि०क० खण्ड-11 कानपुर, डि०क० खण्ड-14 कानपुर एवं डि०क० खण्ड-22 कानपुर।

<sup>147</sup> लो०नि०वि० के विभिन्न खण्ड, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पो०लि०, यू०पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पो०लि०, उ०प्र० जल निगम आदि।

<sup>148</sup> संविदा/सहमति बन्धपत्र के उद्घरण, मात्रात्मक बिल, आशय पत्र, रनिंग बिल आदि।

ही अपने सम्बन्धित सरकारी विभागों/सर्वजनिक उपक्रमों में मूल्य उद्धरण<sup>149</sup> में कर तत्व को शामिल करते हुए प्राप्त किया गया था। इस प्रकार संविदाकारों को अदा किया गया अतिरिक्त कर सम्बन्धित सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित था और संविदाकारों को वापसी योग्य नहीं था क्योंकि संविदाकारों द्वारा पहले ही कर का भार पहले से अपने सम्बन्धित संविदी को अन्तरित कर दिया गया था, जिससे उन्होंने संविदा प्राप्त की थी। इस प्रकार अनुचित वित्तीय लाभ तात्पर्यित थी।

हमने अक्टूबर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2013) दो मामलों<sup>150</sup> में वापसी आदेश को वापस ले लिया। विभाग ने आठ मामलों<sup>151</sup> में कोई उत्तर नहीं दिया और बताया कि शेष पांच मामलों<sup>152</sup> में कार्यवाही की जा रही है। छः अन्य मामलों<sup>153</sup> में विभाग ने बताया कि संविदी से प्राप्त पत्र, संविदाकारों द्वारा दाखिल शपथपत्र और संविदाकारों के संविदी द्वारा जारी टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र के आधार पर मामलों की पुनः जांच करके कर की वापसी की गई थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वापसी किये जाने के पूर्व क0नि0प्रा0 द्वारा संविदाकारों को केवल शपथपत्र और प्राप्त पत्र के आधार पर देखा गया, उनके द्वारा दिये गये कार्य आदेश/संविदा में दी गई शर्तों की जांच नहीं की गयी है इन संविदाकारों को कर वापसी नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने अपने खाते से कर का भुगतान नहीं किया था बल्कि इसे अपने संविदी से वसूला गया था।

## 2.21 गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे के मामले

अगस्त 2011 और मार्च 2013 के मध्य हमने आई0टी0सी0 को ध्यान में रखते हुए 56 वा0क0का0 द्वारा अक्टूबर 2010 और मार्च 2012 के मध्य पारित क0नि0 आदेश की जांच की। हमने पाया कि 82 मामलों में व्यापारियों ने अस्तित्वहीन व्यापारियों से की गई खरीद, अनियमित इनवाइसों, कर अदा न की गई खरीद पर प्राप्त रिबेट/छूट कम दर से अदा की गई वस्तु पर अधिक दर से कर मुक्त वस्तुओं, पूंजीगत वस्तु, विशेष आर्थिक क्षेत्र (वि0आ0क्षे0) को की गई बिक्री आदि पर मिथ्या/अनुचित तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया।

हमने आगे पाया कि 27 वा0क0का0<sup>154</sup> में वैट परिपत्र-2 (2008-09)-774/080977/सी0टी0/दिनांक 31 अक्टूबर 2008 एवं पत्र सं0-जे0सी0 (एस0आई0बी0)/मू0/सं0प0/2009-10/1593/वाणिज्य कर दिनांक 18 सितम्बर 2009 के अनुसार आई0टी0सी0 सत्यापन किया गया जिसके परिणामस्वरूप क0नि0प्रा0 ने मिथ्या/अनुचित/कपटपूर्ण तरीके से दावाकृत आई0टी0सी0 की त्रुटि को संज्ञान में लेकर मिथ्या रूप से दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया गया। 41 मामलों में सम्बन्धित वा0क0का0 द्वारा अनुचित दावाकृत आई0टी0सी0 को संज्ञान में नहीं लिया गया। हमारे परीक्षणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

<sup>149</sup> पत्थर की गिट्टी, बजरी, बालू, बिटूमिन, सीमेन्ट, ईट, आयरन और स्टील आदि।

<sup>150</sup> सारणी संख्या 2.37 के क्रमांक 5 और 10 पर वर्णित।

<sup>151</sup> डि0क0 खण्ड-14 इलाहाबाद (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-1 बस्ती (चार व्यापारी) डि0क0 खण्ड-14 कानपुर (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-17 लखनऊ (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-4 मेरठ (एक व्यापारी)।

<sup>152</sup> डि0क0 खण्ड-13 कानपुर (एक व्यापारी) असि0क0 खण्ड-2 सहारनपुर (चार व्यापारी)।

<sup>153</sup> डि0क0 खण्ड-14 इलाहाबाद (दो व्यापारी) असि0क0 खण्ड-5 बरेली (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-1 धामपुर (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, (एक व्यापारी) डि0क0 खण्ड-2 मुजफ्फरनगर, (एक व्यापारी)।

<sup>154</sup> ज्वा0क0(कार्पो0स0) वा0क0 आगरा, डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 आगरा, डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 इटावा, डि0क0 खण्ड-5 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-10 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-19 वा0क0 गाजियाबाद, असि0क0 खण्ड-4 वा0क0 गाजियाबाद, असि0क0 वा0क0 खण्ड-11 वा0क0 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-29 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-20 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-14 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-18 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 कानपुर, डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 काशीराम नगर (कासगंज), डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 कासगंज, डि0क0 खण्ड-20 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-13 वा0क0 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 वा0क0 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-1 वा0क0 मथुरा, डि0क0 खण्ड-12 वा0क0 मेरठ, डि0क0 खण्ड-7 वा0क0 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-8 वा0क0 नोएडा, डि0क0 खण्ड-3 वा0क0 पीलीभीत एवं ज्वा0क0(कार्पो0स0)-2 वा0क0 वाराणसी।

### 2.21.1 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले मामले

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 की धारा 13 सपटित उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस के विरुद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गई खरीद या बिक्री पर संदत या संदेय कर की सीमा तक आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य है। उक्त अधिनियम की धारा 14 सपटित उ०प्र०मू०सं०क० नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में दावाकृत आई०टी०सी० को उत्क्रमित किए जाने का प्रावधान है। वैट अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि क०नि०प्रा० संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आई०टी०सी० के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आई०टी०सी० की धनराशि के पांच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई०टी०सी० का दावा किया है। आई०टी०सी० का लाभ उस सीमा तक जहां तक अनुमन्य नहीं है, उत्क्रमित किया जाएगा। उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जन्म देने वाली घटना जिस दिनांक को धनराशि जमा की गई हो को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जमा करने का दायी होगा। उ०प्र० मू०सं०क० नियमावली के नियम 21(4) के अनुसार जिस धनराशि के लिए विक्रेता व्यापारी से क्रेता व्यापारी को क्रेडिट नोट मिला है उस धनराशि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुमन्य नहीं है या इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत दावाकृत आई०टी०सी० जिस सीमा तक आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य नहीं वस्तु के समबन्ध में गलत ढंग से दावा की गयी ऐसी आई०टी०सी० उत्क्रमित की जायेगी और व्यापारी द्वारा पहले से दावा की गयी आई०टी०सी० में से ऐसी उत्क्रमित आई०टी०सी० की धनराशि को घटाया जायेगा।

हमने वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान देखा <sup>155</sup> कि 35 वा०क०का०<sup>156</sup> के 41 व्यापारियों ने 1.23 करोड़ की आई०टी०सी० का दावा किया था। क०नि०प्रा० ने फरवरी 2011 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई०टी०सी० का प्रति सत्यापन नहीं किया और ₹ 1.23 करोड़ की मिथ्या एवं कपटपूर्ण आई०टी०सी० को अनुमन्य की। यह आई०टी०सी० अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन मिथ्या/कपटपूर्ण आधार पर जैसे कि अस्तित्वहीन फर्मों से की गई खरीद, अनियमित इनवाइसों पर पूंजीगत वस्तुओं पर, कर मुक्त वस्तुओं पर जिन सब पर आई०टी०सी० का लाभ अनुमन्य नहीं है पर दावा किया गया था। इस प्रकार मिथ्या रूप से दावाकृत आई०टी०सी० पर ₹ 8.24 करोड़ की उत्क्रमित

आई०टी०सी०, अर्थदण्ड और ब्याज आकर्षित होता है। जैसा कि परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2013) कि छः मामलों<sup>157</sup> में ₹ 5.88 लाख की आई०टी०सी० उत्क्रमित कर दी गयी थी और ₹ 16.11 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिया गया जिसमें से ₹ 7.20 लाख की अब तक वसूली की जा चुकी है

<sup>155</sup> व्यापारियों से संबन्धित क०नि०आ० एवं पत्रावलियाँ।

<sup>156</sup> डि०क० खण्ड-12 आगरा, ज्वा०क० (कार्पो०स०) आगरा, डि०क० खण्ड-2 आजमगढ़, ज्वा०क०(कार्पो०स०)-ए बरेली, डि०क० खण्ड-1 बस्ती, डि०क० खण्ड-1 छात्रपति शाहूजी महाराजनगर (गौरीगंज), डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डि०क० खण्ड-9 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-4 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-1 गोण्डा, डि०क० खण्ड-5 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-4 हापुड़, डि०क० खण्ड-1 हरदोई, डि०क० खण्ड-1 हसनपुर, डि०क० खण्ड-2 हाथरस, डि०क० खण्ड-2 कन्नौज, डि०क० खण्ड-18 कानपुर, डि०क० खण्ड-12 कानपुर, असि०क० खण्ड-9 कानपुर, डि०क० खण्ड-20 लखनऊ, डि०क० खण्ड-18 लखनऊ, डि०क० खण्ड-17 लखनऊ, असि०क० खण्ड-21 लखनऊ, असि०क० खण्ड-18 लखनऊ, असि०क० खण्ड-15 लखनऊ, असि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 मेरठ, डि०क० खण्ड-4 मेरठ, डि०क० खण्ड-1 पडरौना (कुशीनगर), डि०क० खण्ड-1 रायबरेली, डि०क० खण्ड-1 वाराणसी एवं डि०क० खण्ड-4 वाराणसी।

<sup>157</sup> डि०क० खण्ड-1 अमेठी, डि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, डि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-4 हापुड़ एवं डि०क० खण्ड-1 हरदोई।

अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2013)।

### 2.21.2 ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण

हमने 27 वा0क0का0<sup>158</sup> में 32 व्यापारियों के मामलों में देखा<sup>159</sup> कि अक्टूबर 2010 एवं जून 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय क0नि0प्रा0 द्वारा व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के प्रति सत्यापन में पाया गया कि व्यापारियों ने कपटपूर्ण तरीके से ₹ 71.70 लाख की आई0टी0सी0 का दावा किया था। हमने पाया कि क0नि0प्रा0 द्वारा यद्यपि आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गई थी लेकिन उन्होंने न तो ₹ 47.79 लाख ब्याज और न ही ₹ 3.59 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया जैसा कि परिशिष्ट-IV में दर्शाया गया है:

हमने प्रकरण को अगस्त 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। अनेक अनुस्मारक के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

### 2.21.3 खरीदे गये माल पर गलत कर की दर दर्शाते हुए आई0टी0सी0 का अनुचित दावा किया जाना

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सपटित उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली के नियम 24 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयुक्त माल के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद पर संदत या संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की अनुसूचि-I से V तक में प्रत्येक वस्तु के लिए लागू कर की दर को विहित किया गया है।

आठ वा0क0का0 में 10 व्यापारियों ने ₹ 4.76 करोड़ की खरीद पर 12.5 प्रतिशत की दर से मिथ्या रूप से आई0टी0सी0 का दावा किया। ये वस्तुएं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की अनुसूचि-II में वर्णित हैं और उन पर लागू कर

की दर चार प्रतिशत है। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 और मार्च 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया और बिना विस्तृत जांच किये और प्रतिसत्यापन किये व्यापारियों के चार प्रतिशत की करदेयता वाली वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की दर से आई0टी0सी0 के दावे पर, अधिक गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को अनुमन्य किया। इस मिथ्या दावा किये जाने के कारण ₹ 2.69 करोड़ का उत्क्रमित आई0टी0सी0, अर्थदण्ड और ब्याज आकर्षित होता है, जैसा कि सारणी क्रमांक 2.38 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.38

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर / गलत ढंग से लागू	अनुक्रमित आई0टी0सी0 की घनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रसारित ब्याज
1	ज्वा0 क0 (कार्पां0 सं0) इटावा	1	2008-09 (मार्च 2012)	एल्यूमिनियम वायर और कापर वायर (II)	45.37	4 / 12.5	3.86	19.28	2.03
2	डि0क0 खण्ड-4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	पम्प (II)	7.84	4 / 12.5	0.67	3.33	0.45
3	डि0क0 खण्ड-7 वा0क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	डुप्लेक्स पेपर (II)	31.32	4 / 12.5	2.66	13.30	1.80
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर केबल स्क्रैप (II)	4.72	4 / 12.5	0.40	2.00	0.27

<sup>158</sup> ज्वा0क0 (कार्पां0स0) आगरा, डि0क0 खण्ड-12 आगरा, डि0क0 खण्ड-2 इटावा, डि0क0 खण्ड-5 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-7 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-10 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-19 गाजियाबाद, अंसि0क0 खण्ड-4 गाजियाबाद, अंसि0क0 खण्ड-11 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-1 कानपुर, डि0क0 खण्ड-14 कानपुर, डि0क0 खण्ड-18 कानपुर, डि0क0 खण्ड-20 कानपुर, डि0क0 खण्ड-29 कानपुर, डि0क0 खण्ड-2 काशीरामनगर (कासगंज), डि0क0 खण्ड-1 कासगंज, डि0क0 खण्ड-3 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-11 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-20 लखनऊ, अंसि0क0 खण्ड-13 लखनऊ, डि0क0 खण्ड-2 महाराजगंज, डि0क0 खण्ड-1 मथुरा, डि0क0 खण्ड-12 मेरठ, डि0क0 खण्ड-7 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड-8 नोएडा, डि0क0 खण्ड-3 पीलीभीत एवं ज्वा0क0 (कार्पां0स0)-2 वाराणसी।

<sup>159</sup> व्यापारी से सम्बन्धित क0नि0आ0 एवं पत्रावलियां।

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	लागू कर की दर / गलत ढंग से लागू	अनुत्क्रामित आईटी0सी0 की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड	प्रसारित ब्याज
4	डि०क० खण्ड-1 वा०क० गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	पैकिंग बाक्सजै केमिकल (II)	6.05	4 / 12.5	0.51	2.57	0.34
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कैमिकल एण्ड होज पार्सप (II)	6.18	4 / 12.5	0.52	2.62	0.35
5	डि०क० खण्ड-2 वा०क० गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (मार्च 2012)	कापर पैकिंग मेटिरियल (II)	337.09	4 / 12.5	28.66	143.30	19.34
6	डि०क० खण्ड-3 वा०क० गौतमबुद्ध नगर	1	2008-09 (सितम्बर 2011)	पी०यू० फोम (II)	32.55	4 / 12.5	2.77	13.83	1.87
7	डि०क० खण्ड-4 वा०क० मुरादाबाद	1	2008-09 (मार्च 2011)	आइरन वेयर (II)	2.64	4 / 12.5	0.22	1.12	0.16
8	डि०क० खण्ड-2 वा०क० हसनपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	आइसक्रीम (II)	2.14	4 / 12.5	0.18	0.91	0.12
<b>योग</b>		<b>10</b>			<b>475.90</b>		<b>40.45</b>	<b>202.26</b>	<b>26.73</b>

हमने मई 2012 और जुलाई 2013 के मध्य प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और बताया कि दो मामलों में (क्रम सं० 2 एवं 3) ₹ 18.64 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है और ₹ 3.73 लाख की आईटी0सी0 उत्क्रामित की गई है। अनेक अनुस्मारक के बावजूद शेष अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

## 2.22 जमा की पुष्टि न होना

उ०प्र०व्या०क० अधिनियम की धारा 3(1) एवं उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी अपने कर योग्य माल के विक्रय या क्रय अथवा दोनो जैसा भी प्रकरण हो, के कर योग्य टर्नओवर पर प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित दर से कर के भुगतान का दायी होगा। परन्तु दोनों अधिनियमों में किसी योजना के अन्तर्गत बिना मूल्य दिये प्राप्त माल, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज हो, के विक्रय पर वसूले गये कर को सरकारी कोष में जमा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

हमने मार्च 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य पांच वा०क०का० के 17 व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच में देखा कि उनके द्वारा उ०प्र० के बाहर से ₹ 110.56 करोड़ मूल्य की दवा विक्रेता निर्माताओं द्वारा दवाओं की बिक्री बिना मूल्य चुकाये योजना<sup>160</sup> के अन्तर्गत प्राप्त किया। इन व्यापारियों

ने वस्तु के रूप में छूट की योजना<sup>161</sup> के अन्तर्गत आने के कारण इन निःशुल्क दवाइयों पर कोई कर नहीं दिया था। इन व्यापारियों ने ₹ 110.61 करोड़ मूल्य की फ्री मेडिसिन को अपने खुदरा थोक व्यापारियों को कर योग्य दवाओं के साथ हस्तान्तरित किया।

हमने इन खुदरा/थोक क्रेता व्यापारियों के कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच एवं प्रतिसत्यापन में पाया कि सम्बन्धित कर विवरणियों<sup>162</sup> में इन व्यापारियों ने बिना मूल्य की प्राप्त दवाइयों की प्राप्ति को नहीं दर्शाया था। इसके अलावा हमने देखा कि ऐसे संव्यवहार पर कर की वसूली एवं जमा सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर के 25 सितम्बर 2012<sup>163</sup> के आदेश का वा०क०का० द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। केवल डिप्टी कमिश्नर खण्ड-5 नोएडा के मामलों में ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वा०क०का० को पत्र जारी किये गये थे। इन संव्यवहारों के प्रति सत्यापन के अभाव में ₹ 4.42 करोड़ के प्रेषण पर न तो कर को सुनिश्चित किया जा सका है और

<sup>160</sup> दवा निर्माताओं की ऐसी योजना जिसमें दवाओं की कुछ मात्रा को बिना मूल्य लिये वितरको/खुदरा व्यापारियों को दवाओं की खरीद पर दी जाती है।

<sup>161</sup> जैसा कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 2003 में निर्णीत।

<sup>162</sup> अनुलग्नक 'क' जो कि अपने वा०क०का० को प्रस्तुत किये जाने वाले मासिक/वार्षिक विवरणी का भाग है।

<sup>163</sup> आडिट महालेखाकार 2012-13/15551/वाणिज्य कर।



न ही उ0प्र0मू0सं0क0 की धारा 33(2)<sup>164</sup> और 54(1)(2)<sup>165</sup> के अन्तर्गत छिपाये टर्नओवर पर आरोपणीय ब्याज और अर्थदण्ड सुनिश्चित किया जा सका है, विवरण सारणी क्रमांक 2.39 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.39

(₹ लाख में)

क्र० सं०	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	प्री बोनस के रूप में वितरित दवाओं का मूल्य	प्री बोनस पर कर का प्रभाव (चार प्रतिशत की दर से)
1	ज्वा0 क0 (कापो0 सं0)-1 लखनऊ	मे0 एलकेम लैबोरेटरीज लि0 सी-31 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	12,379.77	788.11	31.50
		मे0 ल्यूपिन लि0 ई-207 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	16,080.13	937.00	37.48
		मे0 सिपला लि0 सी-27 ट्रांसपोर्टनगर लखनऊ	2008-09 (सितम्बर 2011)	दवाएं	20,986.84	3797.12	151.88
		मे0 रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि0 गगन पैलेस बाग नं0-2 लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	12,384.27	4019.82	160.79
		मे0 अलेम्बिक लि0 35 हैवलक रोड लखनऊ	2008-09 (मार्च 2012)	दवाएं	6,838.64	634.20	25.37
2	डि0क0 खण्ड-9 लखनऊ	मे0 सिंध ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स 67 विजय नगर कृष्णा नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	690.02	41.99	1.68
		मे0 पंजाब फार्मूलेशन लि0 ई-104 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (अगस्त 2011)	दवाएं	618.13	29.08	1.16
		मे0 सेन्ट्र फार्मास्यूटिकल्स लि0 ई-323 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	604.56	77.08	3.08
		मे0 पैनासिया बायोटेक लि0 बाग नं0-2 लखनऊ	2008-09 (नवम्बर 2011)	दवाएं	1,275.63	25.64	1.03
		मे0 इण्डिको रेमीडीज लि0 ई-132 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (अक्टूबर 2011)	दवाएं	1,332.10	159.49	6.38
		मे0 अल्मेट हेल्थ केयर प्रा0लि0 सी-516 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2009-10 (दिसम्बर 2011)	दवाएं	159.68	60.07	2.40
		मे0 एस0एस0 बायोटेक 565-566 विश्वामित्र कम्प्लेक्स लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	174.61	32.99	1.32
		मे0 माप्रा लैबोरेटरीज प्रा0लि0 ई03/10 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (मई 2011)	दवाएं	443.63	56.33	2.25
		मे0 फाइजर प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 सी0-43 ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ	2008-09 (जनवरी 2012)	दवाएं	1,080.94	12.59	0.50
3	डि0क0 खण्ड-2 लखनऊ	मे0 कन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स लि0 35 हैवलक रोड लखनऊ	2007-08 (वैट) (मार्च 2011)	दवाएं	163.56	18.70	0.75
4	डि0क0 खण्ड-5 नोएडा	मे0 मार्टिन एण्ड हैरिस प्रा0लि0 श्रीजी कम्प्लेक्स शर्मा मार्केट सी-5 नोएडा	2008-09 (फरवरी 2012)	दवाएं	2,290.97	217.31	8.69
5	डि0क0 खण्ड-5 मेरठ	मे0 ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज लि0 38-ए पप्पल स्ट्रीट मेरठ	2008-09 (सितम्बर 2010)	दवाएं	1,558.07	153.97	6.16
<b>योग</b>		<b>17</b>			<b>79,061.55</b>	<b>11,061.49</b>	<b>442.42</b>

चूंकि इन निःशुल्क दवाइयों पर कर सहित अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था निःशुल्क दवाइयों का थोक/खुदरा व्यापारियों का वितरण कर की परिधि से बाहर छिपाई गई

<sup>164</sup> उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

<sup>165</sup> उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा-54(1)(2) के अन्तर्गत जहां पर व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है तो क0नि0प्रा0 व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

बिक्री है, क्योंकि थोक/खुदरा व्यापारियों द्वारा दाखिल मासिक और वार्षिक कर विवरणी के अनुलग्नक 'क' में इसे नहीं दिखाया गया है।

उदाहरण के लिए हम उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 4 पर अंकित व्यापारी<sup>166</sup> का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसका कर निर्धारण ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-1 लखनऊ द्वारा किया गया था। उसने ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयां डि0क0 खण्ड-9 लखनऊ में पंजीकृत अपने अनुवर्ती व्यापारी<sup>167</sup> को देना दिखाया है। इस अनुवर्ती व्यापारी ने अपने विवरणी में कुल ₹ 12.50 करोड़ का टर्नओवर दिखाया था जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ₹ 13.52 करोड़ की निःशुल्क दवाइयों को उसके खाते में नहीं लिया गया था।

31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद विभाग ने ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना नहीं की। हमने देखा कि ज्वा0क0 (कार्पो0स0)-1 लखनऊ के केवल एक मामले में क0नि0प्रा0 द्वारा फ्री बोनस के रूप में दी गई दवाओं को अनुमन्य न करते हुए कर आरोपित किया गया था।

हमने दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2013 के मध्य इस प्रकरण को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने अगस्त 2013 में बताया कि विक्रेता व्यापारियों द्वारा क्रेता व्यापारियों को फ्री बोनस के रूप में दी गयी दवाएं उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार बिक्री टर्नओवर विक्रय मूल्य की परिधि में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक न्यायिक निर्णयों के अनुसार मात्रात्मक छूट और निःशुल्क दवाओं की आपूर्ति, बिक्री के अन्तर्गत नहीं आते। दवाइयों की आपूर्ति में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त न होने के कारण ऐसे संव्यवहार पर कोई कर आरोपणीय नहीं था। ऐसे संव्यवहार पर वसूले गये और जमा कर को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में हमारी उठायी गई आपत्ति के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया।

इन 17 व्यापारियों में से परवर्ती क्रेता व्यापारियों की कर निर्धारण प्रत्रावलियों<sup>168</sup> का प्रतिसत्यापन और जांच में हमने पाया कि 86 मामलों में परवर्ती क्रेता व्यापारियों ने अपने वैट विवरणी में अपने द्वारा प्राप्त निःशुल्क दवाओं की प्राप्ति को नहीं दिखाया। इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गई निःशुल्क दवाइयों की आगे की जांच संभव नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार कमिश्नर वाणिज्य कर कर्नाटक<sup>169</sup> की तर्ज पर एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है, जिससे ऐसे संव्यवहारों पर कर की वसूली एवं उनका जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

<sup>166</sup> मे0 रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि0 गगन वैलेस बाग नं-2 कानपुर रोड, लखनऊ।

<sup>167</sup> मे0 सोर फार्मसिया प्रा0लि0 कानपुर रोड, लखनऊ।

<sup>168</sup> 22 वा0क0 में।

<sup>169</sup> कर्नाटक में कमिश्नर वाणिज्य कर ने एक परिपत्र संख्या सी0एल0आर0सी0आर0/149/05-06 दिनांक 28 जून 2006 को निर्गत करते हुए स्पष्ट किया है किसी व्यापारी के मामले में जिसने अन्य दवाओं के साथ मुक्त नमूनों की दवाओं की आपूर्ति क्रेता व्यापारियों को की है ऐसे निर्माता/आयातक/थोक विक्रेता व्यापारी फुटकर व्यापारी को मुक्त दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है, जिसका प्रतिफल के बदले बिक्री करने की अनुमति मिली हो। यद्यपि उन्होंने खुदरा व्यापारी से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया हो ऐसी आपूर्ति मुक्त नमूनों की आपूर्ति पर यदि कर प्रभारित किया गया हो, तो फुटकर व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होगा।

## 2.23 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

के0बि0क0 अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा, एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। जिसमें उस वर्ग या वर्गों के माल को निविदिष्ट करेगा जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है। पुनश्च कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं0-17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था कि निर्माताओं/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

हमने सोनभद्र स्थित ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वा0क0 जोन-II वाराणसी के अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2012) के दौरान देखा कि एक व्यापारी<sup>170</sup> को मार्च 1985 (संशोधित मार्च 1998)में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रयुक्त माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0प0प्र0प0) प्रदान किया गया था। के0प0प्र0प0 में सीमेंट और बैटरी की खरीद भी शामिल थी जिसका

विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण में प्रयोग नहीं होता है। व्यापारी ने वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान ₹ 61.93 लाख के सीमेंट एवं बैटरी की खरीद की एवं उसने इस खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2008-09 में 31 मई 2008 तक एवं 2007-08 के लिए तीन प्रतिशत) का दावा किया।

चूंकि व्यापारी का व्यापार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण का था और उक्त के उत्पादन के लिए सीमेंट एवं बैटरी कच्चा माल/प्रसंस्करण सामग्री नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण व प्रसंस्करण में किया जाय जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0प0प्र0प0 में सीमेंट की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेशों के विरुद्ध भी था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2012 में वर्ष 2008-09 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 5.78 लाख का अनुचित लाभ मिला।

हमने प्रकरण को नवम्बर 2012 में विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया। विभाग ने हमारी आपत्ति को सीमेंट के मामले में स्वीकार किया (अगस्त 2013) लेकिन बैटरी की खरीद के सम्बन्ध में बताया कि इसका प्रयोग जनरेटर में किया जाता है जो कि प्लाण्ट एवं मशीनरी का अभिन्न अंग है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस थर्मल पावर प्लाण्ट के व्यापारी के के0प0प्र0प0 के साथ संलग्न सूची में बैटरी को प्लाण्ट एवं मशीनरी के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

<sup>170</sup> मे0 केन्द्रीय वित्तीय लेखा और बजट संगठन, एन0टी0पी0सी0 अनपरा सोनभद्र।

## 2.24 आदेश के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन न किया जाना

उ०प्र०मू०सं०क० अधिनियम की धारा-13 में व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने एवं देय कर के विरुद्ध इसका समायोजन करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करती हैं। कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० में भी राजस्व के व्यापक हित में अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2009 के द्वारा आई०टी०सी० के सत्यापन तथा इसका डाटाबेस रखने के सम्बन्ध में क०नि०प्रा० को निर्देश जारी किये थे। सभी डिप्टी कमिश्नर के लिए आवश्यक है कि सर्वाधिक आई०टी०सी० का दावा करने वाले 20 बड़े व्यापारियों की अनुलग्नक-‘क’ (क्रय सूची) का अनुलग्नक-‘ख’ (विक्रय सूची) से शतप्रतिशत सत्यापन कर लिया गया है एवं उपरोक्त विवरणों की वाह्य एजेन्सी अथवा विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रविष्टि कराकर एक डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक सांख्यिकीय विधि से आच्छादित मामलों का शतप्रतिशत जांच एवं सत्यापन किया जाना था।

वाणिज्य कर विभाग ने विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए वेब आधारित सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विसेज की उपलब्धता कराने हेतु कम्प्यूटरीकृत परियोजना पर ₹ 45 करोड़ का व्यय किया। विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू कामटैक्स यू०पी० एन०आई०सी०) पर जनसाधारण के लिए एवं व्यास (वाणिज्य कर आटोमेशन सिस्टम) पर विभागीय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। अवधि 2007-08<sup>171</sup> से 2010-11

के लिए नमूना जांच (2012-13) के दौरान हमने देखा कि:

- क०नि०प्रा० ने बिना आई०टी०सी० के दावों के सत्यापन का प्रयास किये ही 38<sup>172</sup> वा०क०का० के 122 व्यापारियों के लिए ₹ 13.07 करोड़ के आई०टी०सी० का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क०नि०आ० पारित कर दिया।
- क०नि०प्रा० ने 39<sup>173</sup> वा०क०क० के से सम्बन्धित 122 व्यापारियों के लिए ₹ 23.33 करोड़ के आई०टी०सी० का समायोजन उनके देयकर के विरुद्ध करते हुए क०नि०आ० पारित कर दिया, परन्तु सत्यापन के लिए दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

क०नि०प्रा० ने ₹ 36.40 करोड़ के आई०टी०सी० के समायोजन सम्बन्धी आदेश बिना इनका सत्यापन किये ही पारित कर दिया।

हमारे द्वारा प्रकरण को मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने बताया कि (अगस्त 2013) में बताया कि विवरणियों

<sup>171</sup> 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2008 तक।

<sup>172</sup> डि०क० खण्ड-7 इलाहाबाद, डि०क० खण्ड-12 आगरा, डि०क० खण्ड-2 अम्बेडकर नगर, डि०क० खण्ड-2 अमरोहा, डि०क० खण्ड-1 औरैया, डि०क० खण्ड-1 बस्ती, डि०क० खण्ड-1 चन्दौली, डि०क० खण्ड-2 चन्दौली, डि०क० खण्ड-1 देवरिया, डि०क० खण्ड-1 धामपुर, डि०क० खण्ड-1 फतेहगढ़, डि०क० खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-8 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-4 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-10 लखनऊ, डि०क० खण्ड-13 लखनऊ, डि०क० महोबा, डि०क० खण्ड-2 मुरादाबाद, डि०क० खण्ड-3 औराई, डि०क० खण्ड-8 वाराणसी एवं डि०क० खण्ड-10 वाराणसी; असि०क० खण्ड-12 इलाहाबाद, असि०क० खण्ड-1 अलीगढ़, असि०क०-5 बरेली, असि०क० खण्ड-1 चन्दौली, असि०क० खण्ड-1 छत्रपति साहूजीमहाराज नगर, असि०क० खण्ड-2 गौतमबुद्धनगर, असि०क० खण्ड-3 गौतमबुद्धनगर, असि०क० खण्ड-5 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-7 गाजियाबाद, असि०क० खण्ड-10 कानपुर, असि०क० खण्ड-4 लखनऊ एवं असि०क० खण्ड-20 लखनऊ।

<sup>173</sup> ज्वा०क० (कार्पो०स०)-2 वाराणसी, डि०क० खण्ड-22 आगरा, डि०क० खण्ड-1 चन्दौली, डि०क० खण्ड-2 चन्दौली, डि०क० खण्ड-1 धामपुर, डि०क० खण्ड-2 इटावा, डि०क० खण्ड-4 फैजाबाद, डि०क० खण्ड-1 फतेहगढ़, डि०क० खण्ड-4 फिरोजाबाद, डि०क० खण्ड-6 गाजियाबाद, डि०क० खण्ड-12 गोरखपुर, डि०क० खण्ड-4 गोण्डा, डि०क० खण्ड-15 कानपुर, डि०क० खण्ड-21 कानपुर, डि०क० खण्ड-24 कानपुर, डि०क० खण्ड-25 कानपुर, डि०क० खण्ड-2 लखनऊ, डि०क० खण्ड-8 लखनऊ, डि०क० खण्ड-10 लखनऊ, डि०क० खण्ड-11 लखनऊ, डि०क० खण्ड-12 लखनऊ, डि०क० खण्ड-22 लखनऊ, डि०क० खण्ड-9 मेरठ, डि०क० खण्ड-3 औराई, डि०क० खण्ड-5 सहारनपुर, डि०क० खण्ड-1 उन्नाव, डि०क० खण्ड-15 वाराणसी; असि०क० खण्ड-18 आगरा, असि०क० खण्ड-19 आगरा, असि०क० खण्ड-1 अलीगढ़, असि०क० खण्ड-5 बरेली, असि०क० खण्ड-2 बदरगं, असि०क० खण्ड-12 गोरखपुर, असि०क० खण्ड-22 कानपुर, असि०क० खण्ड-1 लखनऊ, असि०क० खण्ड-2 लखनऊ, असि०क० खण्ड-4 लखनऊ, असि०क० खण्ड-22 लखनऊ एवं असि०क० खण्ड-10 मेरठ।

की अत्यधिक मात्रा होने, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं एवं निधि की कमी एवं अन्य कठिनाइयों के कारण आईटीसी के दावों के प्रतिसत्यापन की कार्यवाही वांछित तरीके से नहीं की जा सकी। यद्यपि विभाग यादृच्छिक संख्याओं के आधार पर आईटीसी के दावों का प्रतिसत्यापन कर रहा है और कई मामलों में गलत/मिथ्या आईटीसी के दावे प्रकाश में आये हैं।

## 2.25 कपड़े की बिक्री पर कर के प्रावधान का न होना

1957 के केन्द्रीय अधिनियम 58 कुछ वस्तुएँ जैसे चीनी, तम्बाकू कारखाना निर्मित कपड़ा आदि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए लागू किया गया। राज्य अपना अंश ऐसे संग्रहीत शुल्क से प्राप्त करते हैं और इस लिए वे इस पर बिक्री कर नहीं आरोपित करते हैं।

विज्ञप्ति संख्या 11/2006 केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 1 मार्च 2006 के द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ) अधिनियम, 1957 वापस ले लिया गया विज्ञप्ति संख्या के0ए0 एन0आई0-993/XI-9 (94)/07-उ0प्र0 अधिनियम-15-48-आदेश-(04)-2007 लखनऊ दिनांक 30 मई 2007 के अनुसार सभी प्रकार के अनिर्मित तम्बाकू तम्बाकू के अवशिष्ट आदि पर उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अंतर्गत 32.5 प्रतिशत की दर से एवं बाद में उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर योग्य बनाया गया कर योग्य बनाया गया।

कपड़े की खरीद/बिक्री पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 आरोपित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया जबकि सरकार को कर आरोपित करने के लिए अधिकृत किया गया है परन्तु आज तक ऐसी कोई विज्ञप्ति निर्गत नहीं की गयी।

विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वापस लेने के पश्चात कारखाना निर्मित कपड़ों की बिक्री/खरीद पर उ0प्र0व्या0क0/मू0सं0क0 के अनारोपण के प्रभाव का हमने परीक्षण किया। हमने 13 वाणिज्य कर कार्यालयों<sup>174</sup> के कपड़ों के 27 व्यापारियों के वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक से सम्बन्धित क0नि0आ0 की जांच (अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य) किया एवं पाया कि ₹ 369.73 करोड़ के कपड़ों की बिक्री के कारोबार पर शासन द्वारा कोई मू0सं0क0 (वैट) आरोपित नहीं किया गया। मात्र इन 27 व्यापारियों के मामलों में 4 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने पर ₹ 14.79 करोड़ की वसूली होती, जो उक्त पर

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के कारण विभाग राजस्व में हुई कमी को पूरा कर सकती थी। यदि राज्य के इस प्रकार के सभी व्यापारियों के लिए आगणित किया जाता तो यह बहुत अधिक होता। यह स्पष्ट है कि 1 मार्च 2006 से कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त किये जाने के बाद से राज्य के विभाज्य राजस्व में कमी आयी है और सरकार को कारखाना निर्मित कपड़े की बिक्री पर कर लगाने पर विचार करना चाहिए।

हमारे द्वारा फरवरी 2013 में मामले को विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया; विभाग ने अगस्त 2013 में उत्तर दिया कि किसी वस्तु पर कर की दर एवं कर देयता तय करने का राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अनेक अनुस्मारकों के भेजे जाने के बाद भी शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

हम संस्तुति करते हैं कि अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एवं तमिलनाडु के समान सरकार भी कपड़े की बिक्री पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क समाप्त करने के आलोक में उस पर कर आरोपित कर सकती है।

<sup>174</sup> डि0क0 खण्ड-11 आगरा, डि0क0 खण्ड-12 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड-2 कानपुर, असि0क0 खण्ड-6 लखनऊ, असि0क0 खण्ड-10 लखनऊ, वा0क0अ0 खण्ड-8 सरधना मंडल, असि0क0 खण्ड-8 सरधना मंडल, असि0क0 सरधना मंडल, असि0क0 खण्ड-10 मेरठ, असि0क0 खण्ड-13 मेरठ, डि0क0 खण्ड-1 नोएडा, डि0क0 खण्ड-4 नोएडा, एवं असि0क0 खण्ड-2 नोएडा।